तृतीय माला, खण्ड २२--अंक ८

बुधवार, २७ नवम्बर, १९६३
६ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित* प्रश्न संख्या २११, २१२ और २१४ से २२२ . . ८६७—९३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३, २२३ से २२५, २२७ से २२९ और २३१ से २४० ८९३—९०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६२३, ६२५ से ६३१, ६३३ से ६३५, ६३७ से ६६६, ६६८ से ६७३, ६७५ से ६७९, ६८१ और ६८५ से ६९० ९०२—२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ९२७—३४

(१) पूंछ के निकट हुई भारतीय वायुसेना के हेलीकोप्टर की दुर्घटना

(२) बनिहाल दर्रे के निकट हुई भारतीय वायु सेना के डकोटा विमान की दुर्घटना

सभा–पटल पर रखे गये पत्र ९३४–३५

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३—पुरःस्थापित . . ९३५–३६

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६१-६२ . . . ९३६—४५

श्री दासप्पा . . . ९३६

श्री स० मो० बनर्जी . . ९३६–३७

श्री भू० ना० मंडल . . . ९३७–३८

श्री यमुना प्रसाद मंडल ९३९

श्री व० बा० गांधी ९३९–४०

श्री ओंकार लाल बेरवा ९४०–४१

श्री विश्राम प्रसाद . . . . ९४१—४३

श्री रतन लाल ९४३

श्री अ० प्र० शर्मा . . . ९४३–४४

श्री सें० वें० रामस्वामी ९४४

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिए

लोक-सभा

बुधवार २७ नवम्बर, १९६३
६ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भूतपूर्व मंत्री द्वारा सरकारी अभिलेखों का देखा जाना

+

†*२११. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री २८ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच तेल पर एक पुस्तक लिखने के प्रयोजन के लिये सरकारी फाइलों कागजों तथा दस्तावेजों को देखने की भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्री की प्रार्थना स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोच कर तथा किन आधारों पर; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में ब्रिटिश तथा अमरीकी पूर्वोदाहरणों की जांच की थी ?

†पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां, परन्तु यदि लेखक सरकारी दस्तावेजों या फाइलों, आदि से कोई उद्धरण लेना चाहता है तो उसके लिए भारत सरकार की विशेष अनुमति लेना आवश्यक होगा।

†मूल अंग्रेजी में

1621 (Ai) LSD—1.

(ख) अधिकतर जानकारी उन्हें उपलब्ध है और सरकार समझती है कि भारत के लिए अत्यधिक महत्व के विषय पर विश्वसनीय पुस्तक का प्रकाशन लोकहित में है।

(ग) जी नहीं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : श्रीमान, अपने अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाता हूं क्योंकि भाग का प्रश्न यह है "क्या सरकार ने भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्री की सरकारी फाइलें, आदि देखने की प्रार्थना स्वीकार कर ली है", और उत्तर यह दिया गया है कि उनके लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने भूतपूर्व मंत्री की प्रार्थना स्वीकार कर ली है?

†**श्री हुमायून् कबिर** : श्रीमान, मैंने जो कहा है, मैं उसी को दोहरा सकता हूं। मैंने अपने उत्तर में कहा है: "जी हां, परन्तु भारत सरकार की विशेष अनुमति लेना आवश्यक है, अगर लेखक सरकारी दस्तावेजों या फाइलों, आदि का कोई उद्धरण देना चाहते हैं।"

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : उस मामले में, क्या भारत में ऐसे पूर्वोदाहरण हैं और क्या भविष्य में इसे एक उदाहरण माना जायेगा?

†**श्री हुमायून् कबिर** : संभव है कि कोई पूर्वोदाहरण न हो। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, उन्हें पर्याप्त जानकारी पहिले से ही उपलब्ध है। इसमें काफी सार्वजनिक है और जो भी प्रकाशित होती है, उसे वह निश्चय प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु यदि वह किसी सरकारी दस्तावेज से कोई उद्धरण लेना चाहते हैं, तो विशेष अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। भूत में भी ऐसा हुआ है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या मैं यह समझूं कि दस्तावेजों, कागजों और फाइलों की एक विशष सूची दे दी गई है जिनका भूतपूर्व मंत्री हवाला देना चाहते हैं?

†**श्री हुमायून् कबिर** : संबंधित भावी लेखक से कहा गया है कि वह हमें बताये कि वह किन कागजों को देखना चाहते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि भूतपूर्व मंत्री के अतिरिक्त वे सभी जो शोधकार्य तथा अध्ययन कर रहे हैं, उस समय तक सरकारी दस्तावेज देख सकते हैं जब तक कि उन्हें सुरक्षा के कारणों से रोका न जाये?

†**श्री हुमायून् कबिर**: मैंने कहा कि ऐसा पहिले भी हुआ है। यदि वे सार्वजनिक दस्तावेज हैं जो कि गोपनीय नहीं है, तो हमने उन्हें देखने की अनुमति दी है और ऐसा हम भविष्य में भी करेंगे।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या प्रस्तावित पुस्तक के लेखक श्री के० दे० मालवीय हैं, जो कि पहले मंत्री थे, या अन्य कोई व्यक्ति हैं, जो उनके सहयोग से लिख रहे हैं?

†**श्री हुमायून् कबिर**: इस प्रश्न का हमसे कोई संबंध नहीं है। श्री के० दे० मालवीय ने कुछ दस्तावेज देखने की अनुमति मांगी थी और मैंने जो शर्तें बताई हैं, उनके अनुसार उन्हें वे सुविधायें दे दी जायेंगी। जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूँ हमने अन्य व्यक्तियों को भी सुविधायें दी हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री हेम बरुआ:** मंत्री के पद से हटाये जाने के बाद और वह भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर निर्णय दिये जाने के बाद, वे विशिष्ट कारण क्या हैं जिनके आधार पर उन्हें इन गोपनीय दस्तावेजों को देखने की अनुमति दी जा रही है? मंत्री ने अभी सुरक्षा और गोपनीय दस्तावेजों की बात कही है। उन फाइलों को देखने की उन्हें अनुमति देने के क्या कारण है?

†**श्री हुमायून कबिर:** मेरे माननीय मित्र के सभी विचार...

†**श्री त्यागी:** श्रीमान, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। मेरे माननीय मित्र ने गलत अर्थ लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय को पद से हटाया गया था। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने स्वयं त्यागपत्र दिया था। उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भी नहीं किया था।

†**अध्यक्ष महोदय:** उत्तर देने दीजिये।

†**श्री हुमायून कबिर:** जब मुझे रोका गया उस समय मैं कह रहा था कि मेरे माननीय मित्र के सभी विचार गलत प्रतीत होते हैं और गलत तथा अनुचित हैं। अतः बाकी प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री हेम बरुआ:** क्या मैं.....

†**अध्यक्ष महोदय:** अब वह भावी लेखक के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। वहां, क्या तुमें यह देखना है कि उनका आचरण कैसा है? बात केवल यह है कि यह सावधानी रखनी है कि उन्हें कोई ऐसी बात न बताई जाये जो लोकहित में न हो। अतः वे पुर्वानुमान तथा विचार सभी अनुचित हैं।

†**श्री हेम बरुआ:** माननीय मंत्री ने बात उतनी स्पष्ट नहीं कही है, अपितु आपने कही है।

†**अध्यक्ष महोदय:** मैंने भी उत्तर सुना है।

†**श्री हेम बरुआ:** उन्होंने कहा है कि लेखक श्री के० दे० मालवीय हैं। फिर, उन्हें दस्तावेजों आदि को देखने की अनुमति दी जायेगी। इसी आधार पर....

†**अध्यक्ष महोदय:** दस्तावेजों की सूची मिलने पर सरकार निश्चय करेगी। सूची अभी आनी है। उन्होंने यही कहा है।

†**श्री हेम बरुआ:** जी नहीं। उन्होंने कहा था कि लेखक को केवल अनुमति लेनी होगी यदि वे उनका हवाला देना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने पूछा है कि उन्हें किस किस दस्तावेज की आवश्यकता है।

†**श्री हुमायून् कबिर:** जी हां, यह मैं पहिले ही कह चुका हूं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या श्री मालवीय ने उन गोपनीय या अन्यथा दस्तावेजों, कागजों या फाइलों को देखने की अनुमति मांगी है या यदि नहीं मांगी है, तो यदि वह भविष्य

---

†मूल अंग्रजी में

में मांगते हैं, जो मंत्री होते हुए उनको विदित थे,.. यदि यह बात है...तो क्या स्थिति यह है कि वह उन दस्तावेजों को देखने की अनुमति मांग रहे हैं जो कि वह देखते थे जब कि वह मंत्री थे ?

†**अध्यक्ष महोदय**: वह तर्क कर रहे हैं। वह यह पूछें कि वह जानना चाहते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यदि मैंने मंत्री को ठीक समझा है, तो उन्होंने अपने मूल उत्तर में "काफी" कहा है। अतः काफी दस्तावेज उन्होंने देखे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वही तर्क कर रहे हैं। **श्रीमती सावित्री निगम**।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह सच है कि श्री मालवीय द्वारा लिखी जाने वाली यह पुस्तक खान और ईंधन मंत्रालय और इस कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : ऐसा हो सकता है, परन्तु मैं भविष्य के बारे में नहीं कह सकता।

बरौनी तेलशोधक कारखाना

+

†*२१२. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री इ० मधुसूदन राव : }

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री २८ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस तेलशोधक कारखाने के पहले चरण के कब तक चालू हो जाने की संभावना है जिससे कि नूनमाटी-बरौनी तेल पाइपलाइन का काम शुरू हो सके ; और

(ग) नूनमाटी-बरौनी तेल पाइपलाइन के पूरा होने से अब तक कितना अवक्षयण हो चुका है ?

†**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) वायुमण्डलिक वेकवान यूनिट संख्या १ का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और यूनिट संख्या २ का पूरा होने वाला है। कोकिंग यूनिट और तापीय बिजली घर का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आशा है कि तेलशोधक कारखाने का प्रथम चरण, जिसमें छानने की क्षमता दस लाख मीट्रिक टन होगी, अप्रैल, १९६४ तक तैयार हो जायेगा और दूसरा चरण, जिसकी क्षमता इतनी ही होगी, जुलाई, १९६४ तक तैयार हो जायेगा ?

(ग) मामला विचाराधीन है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: नूनमाटी में पहिला सरकारी तेलशोधक कारखाना जलाभाव के कारण काफी समय तक न बन सका। अब इसको बाधा पड़ रही है क्योंकि पानी अधिक

†मूल अंग्रेजी में

है और उसे मूल स्थान से हटाना है। हटाने पर कितना व्यय होगा और इससे तेल शोधक कारखाने के निर्माण में कितना विलम्ब होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न बहुत देर से पूछा गया है। पहिला यूनिट तैयार होने वाला है। कुल लगभग २,४०० टन के निर्माण कार्य में से २,३८५ टन पूरा हो गया है और केवल लगभग १५ टन बाकी है। अतः, यह प्रश्न पूछना बहुत पीछे की बात है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : दोनों यूनिटों का काम, अर्थात ७५० मील पाइप लाईन का निर्माण और बरौनी कारखाने का ताल मेल क्यों न किया जा सका ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : क्यों कि वे विभिन्न स्तरों पर आरम्भ किये गये थे, विलम्ब थोड़ा हुआ है। मूल योजनानुसार भी पहिले यूनिट में दिसम्बर में कार्य आरम्भ होना था। इसमें तीन या चार महीने का विलम्ब हो सकता है। परन्तु निश्चय ही यह प्रयत्न करेंगे कि समय सूची अनुसार ही काम हो।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : इस तेल शोधक कारखाने में उत्पादन आरम्भ होने की तारीख कितनी बार बढ़ाई गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने अभी कहा था कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसमें दिसम्बर, १९६३ में उत्पादन आरम्भ होना था। अब इसमें फरवरी-अप्रैल, १९६४ में उत्पादन आरम्भ होने की आशा है। हो सकता है कि फरवरी में ही होने लगे परन्तु मैं अधिकतम समय ले रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पूछा था कि तारीख कितनी बार बढ़ाई गई है ?

†**श्री हुमायून कबिर**: मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी का हटाया जाना

+

†*२१४. { **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री ब्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से अपनी राजधानी हटाकर मशोबरा ले जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस संबंध में केन्द्र द्वारा कोई सहायता दी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) और (ख). कुछ समय पहिले ऐसा प्रस्ताव आया था, परन्तु सभी पहलुओं पर पूरा विचार करके इस पर आगे कार्यवाही नहीं की गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विश्राम प्रसाद : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह थी कि इसको परसू नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय: इससे आपको क्या फायदा होगा । अब कोई तजबीज नहीं है। जहां था वहां है।

श्री विश्राम प्रसाद : मंत्री महोदय जवाब देने जा रहे हैं।

श्री हजरनवीस : बिजली और पानी की वहां सुविधा नहीं थी और खर्चा भी काफी होने वाला था। इतना खर्चा करने से कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं था। इसलिए खयाल किया गया कि जहां है वहीं रहे।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या कोई ऐसी संभावना है कि शिमला को पंजाब और भारत सरकार की ग्रीष्म ऋतु कालीन राजधानी पुनः बनाया जाये ; और नहीं, तो शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाने में क्या आपत्ति है ?

†**श्री हजरनवीस :** जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग का संबंध है, हमने स्वीकार कर लिया है कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना रहेगा। जहां तक इसके पंजाब सरकार की ग्रीष्म ऋतु कालीन राजधानी बनने का प्रश्न है, मैं पंजाब सरकार की ओर से उत्तर नहीं दे सकता, परन्तु मैं समझता हूं कि वे वहां जाते हैं। भारत सरकार के बारे में, इस प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** शिमला में पंजाब और हिमाचल प्रदेश का प्रशासन है। सरकार इस दोहरे प्रशासन की समस्या को कैसे हल करेगी और पंजाब सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यों का निर्धारण कैसे करेगी ?

†**श्री हजरनवीस :** दोहरे प्रशासन की कोई बात नहीं है। शिमला पंजाब का तो अंग है ही, अतः हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई प्रशासन नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** विभाजन भी है। हिमाचल प्रदेश का शिमला है और पंजाब का शिमला है।

†**श्री हजरनवीस :** मैं प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दे सकता परन्तु मैं नहीं समझता कि कोई किसी प्रकार का कभी मतभेद उत्पन्न हुआ है और यदि ऐसी कोई समस्या पैदा होती है, तो यह पारस्परिक बातचीत से तय हो जायेगी।

श्री मा० ला० द्विवेदी : हिमाचल प्रदेश को जो इमारतों की और दफ्तरों की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कोई नया प्रबन्ध किया है ? क्या पंजाब सरकार से इमारतें मिल सकेंगी, यदि नहीं, तो इस पर सरकार क्या कुछ व्यय करने जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ मेरी बातचीत हुई थी और यह फैसला हुआ है कि जितनी जरूरत है उनको, उसको पूरा किया जाएगा। कुछ किराये पर ले लेंगे और उनको सैक्रेटेरिएट बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने की इजाजत दे दी जाएगी। उनसे इसके बारे में फैसला कर लिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शिमला से राजधानी हटाये जाने की क्यों मांग की थी ? क्या कारण थे ?

श्री नन्दा: उस वक्त उन्हें तकलीफ महसूस होती थी और वे समझते थे कि इस तरह से वह तकलीफ दूर हो जाएगी। जब उनसे बातचीत हुई और उन्हें समझाया गया कि वहां ज्यादा दिक्कतें होंगी, ज्यादा खर्च होगा, तो उन्होंने दूसरा रास्ता मान लिया।

भारतीय प्रशासन सेवा के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा

+

†*२१५. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रामचंद्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प० कुन्हन :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १४ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासन सेवा के लिये सीमित प्रतियोगिता आरम्भ करने का जो प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन था, उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हजरतवीस)**: राज्य सरकारों ने जो बहुत सी आपत्तियां उठाई हैं और कठिनाई बताई हैं, उन्हें ध्यान में रख कर आजकल भारतीय प्रशासन सेवा आदि के लिये 'सीमित प्रतियोगिता परीक्षा' करने की योजना को स्थगित करने का निश्चय किया गया है।

श्री नि० रं० लास्कर : जब सरकार विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों से इस बारे में पहिले ही परामर्श कर चुकी है, तो उन्होंने अभी तक निश्चय क्यों नहीं किया है ? मैं नहीं जानता कि इसमें क्या बाधा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)**: स्थिति यह है कि इस बारे में राज्यों के मुख्य सचिवों और यहां मंत्रालयों से बार-बार कहा गया है। यह मामला पहिले भी सभा में उठाया गया था और बताया गया था कि कुछ आपत्तियां हैं। यह देखा गया कि योजना लागू करने के लिये काफी सहमति नहीं है।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : कहा गया है कि मुख्य मंत्री बल्कि मुख्य सचिव इस योजना की विभिन्न बातों पर सहमत नहीं होते। वे मुख्य बातें क्या हैं जिन पर वे सहमत नहीं हैं ?

†**श्री नन्दा** : वे समझते हैं कि इस उपाय की बजाये सीधी भर्ती से उन्हें आवश्यक व्यक्ति मिल सकते हैं। और भी आपत्तियां हैं।

श्री शिव नारायण : इस प्रतियोगिता की सीमा कब तक सरकार तय कर लेगी ? विलम्ब होने के क्या कारण हैं और कब तक इसका फैसला हो जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय: कौन सी सीमा ?

श्री शिव नारायण : यह जो प्रतियोगिता करने वाले थे, आई० ए० एस० वाली।

श्री नंदा : इस वक्त स्थिति यह है कि आगे बढना मुश्किल हो रहा है। जाती तौर पर मुझे महसूस होता है कि इसके बारे में कुछ करना चाहिये। लेकिन फिर देखा जाएगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** भारतीय प्रशासन सेवा के लिये और कितने अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता है यदि वे इस भर्ती के लिये जाते हैं और यदि यह भर्ती गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा मान ली जाती है ?

†**श्री नन्दा :** यह तो समय की आवश्यकता पर निर्भर है ?

†**श्रीमती सावित्री निगम :** गृह-कार्य मंत्रालय की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री नन्दा :** श्री वी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा जांच किये जाने के समय, मेरा विचार है कि यह आवश्यकता लगभग २६६ व्यक्तियों की थी। फिर बाद में आवश्यकता बढ़ी क्योंकि स्थानापन्न करने की आवश्यकता और अतिरिक्त आवश्यकता बढ़ गई।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** स्पष्ट है कि मंत्रालय का यह अपना विचार राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना ही पेश किया गया था। ऐसी अपरिपक्व योजना राज्य सरकारों को परामर्श किये बिना क्यों रखी गई और क्यों अस्वाभाविक रूप में समाप्त हो गई ?

†**श्री नन्दा :** इसका उद्भव पवित्र है। यह वेतन आयोग ने बनाई है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री महसूस करते हैं कि उनके सलाहकार कुछ भारतीय प्रशासन सेवा के व्यक्ति हैं जो निम्न वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और सारे संसार में यह बात है कि व्यक्तियों को बिना किसी कठिनाई के ऐसी सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने दिया जाता है ?

†**श्री नन्दा :** मैंने कुछ ही पहिले बताया है कि व्यक्तिगत रूप में मुझे योजना के साथ सहानभति है। मैंने इसका सारा रिकार्ड भी देखा है। अनेक आपत्तियां की गई हैं और अनेक कठिनाइयां बताई गई हैं। मैं फिर प्रयास करूंगा।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** क्या सरकार भारतीय प्रशासन सेवा में कोई विशेष भर्ती करेगी और यदि हां, तो किस तारीख तक और कितने व्यक्ति लिये जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय:** यह बिल्कुल ही अलग प्रश्न है।

†**श्री अ० प्र० जैन :** माननीय गृह-कार्य मंत्री ने अभी बताया है कि उन्हें इस मामले में सहानुभूति है। उनकी सहानुभूति को कार्यरूप में सफल होने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री नन्दा :** जब मैं इस बारे में कुछ काम करने की इच्छा की बात कह चुका हूं, तो माननीय सदस्यों को सन्तोष महसूस करना चाहिये।

†**श्री हेडा :** क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों के बावजूद भी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के मामले में उम्मीदवारों को १५ प्रतिशत कोटा दिया जाना चाहिये, तो भी पिछले दो वर्षों में भारतीय प्रशासन सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कोटा पूरा नहीं किया गया ?

†**श्री नन्दा :** मुझे बताया गया है कि यह जानकारी सही नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू तथा काश्मीर का भारत से अग्रेतर एकीकरण

+

†*२१६. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री स्वैल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वे० व० पुरी :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :
श्री गुलशन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९६२ के बाद से जम्मू तथा काश्मीर राज्य के शेष भारतीय संघ के साथ अग्रेतर एकीकरण के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं। अथवा कोई प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या जम्म तथा काश्मीर की सरकार से परामर्श लेते समय संविधान के अनुच्छेद ३७० का निरसन करने पर विचार किया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतबीस)**: (क) और (ख). (१)संविधान के अनुच्छेद ३७० के अन्तर्गत राष्ट्रपति का यह आदेश २५ सितम्बर, १९६३ को जारी किया गया था कि विधि तथा चिकित्सा संबंधी व्यवसायों तथा संविधान के अन्य समनुवर्ती उपबन्धों के संबंध में सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची ३) की प्रविष्टि २६ जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू होगी ।

(२) जम्मू तथा काश्मीर पर समवर्ती सूची की प्रविष्टि २४ लागू करने का प्रस्ताव, जहां तक इसका संबंध कोयला खान उद्योग में श्रमिकों के कल्याण से है, विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) यह निर्णय किया गया है कि लोग सभा में जम्मू तथा काश्मीर के प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों के समान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाना चाहिये। इस निर्णय को वर्तमान आपात की समाप्ति पर कार्यरूप में लाया जायेगा।

(४) यह भी निर्णय किया गया है कि जम्मू तथा काश्मीर के सदरे रियासत तथा प्रधान मंत्री को क्रमशः राज्यपाल और मुख्य मंत्री नामोद्दिष्ट किया जाये। इस प्रस्ताव को कार्यरूप में लाने के लिये विधान बनाने के काम के राज्य विधान सभा के अगले सत्र में लिये जाने की आशा है।

(ग) संविधान का अनुच्छेद ३७० संविधान के भाग २१ में आता है जिसका संबंध अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्धों से है। इस अनुच्छेद को संविधान में समाविष्ट किये जाने के बाद से बहुत से ऐसे परिवर्तन किये गये हैं जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य को शेष भारत के समान स्तर पर लाते हैं। राज्य पूरी तरह से भारतीय संघ के साथ एकीकृत है। सरकार की यह राय है कि उस अनुच्छेद ३७० के सम्पूर्ण निरसन के लिये इस समय कोई पग नहीं उठाना चाहिये। निस्सन्देह यह काम जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकार तथा विधान सभा से परामर्श करके अग्रेतर परिवर्तनों द्वारा किया जायेगा। यह काम पिछले कुछ वर्षों से जारी है और शायद इसी तरह से इसे जारी रहने दिया जाए।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: इस तथ्य को देखते हुये कि जम्मू तथा काश्मीर की जनता के पर्याप्त वर्ग तथा राजनीतिक मत उस राज्य के शेष के भारतीय संघ के साथ पूर्ण एकीकरण के पक्ष में है, ऐसी कौनसी परिस्थितियां, कारम और कारण हैं जो ऐसे सुखद विलय को अब भी रोक रही हैं? क्या यह संघ सरकार की हिचक के कारण है या जम्मू तथा काश्मीर सरकार और सभा के विरोध के कारण तथा किसी अन्य कारण से है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)**: हिचक या विरोध का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक जनता की राय इस पग के पक्ष में है, जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, वह उस सरकार के रवैये में अवश्य प्रतिबिम्बित होगा। और इस तरह का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता जैसा कि माननीय सदस्य के मस्तिष्क में है।

†**श्री हरिविष्णु कामत**: क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में जो छोटे मोटे परिवर्तन किये गये हैं पाकिस्तान ने उनका भी विरोध किया है और यदि हां, तो क्या पाकिस्तान को पक्की तरह से बता दिया गया है कि वह अपने काम से काम रखे, कि जम्मू तथा काश्मीर का मामला भारतीय संघ का आन्तरिक और घरेलू मामला है, और कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य भारतीय संघ का उसी प्रकार से एक संघठक राज्य है जैसे भारत के अन्य पन्द्रह राज्यों में से कोई सा भी राज्य?

†**श्री नन्दा**: यह बिल्कुल ठीक है, अर्थात् प्रश्न का दूसरा भाग। जम्मू तथा काश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से एकीकृत है और भारत का ही भाग है। इसलिये और कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता इस बारे में और किसी को भी कोई राय नहीं देनी है।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है कि क्या कोई विरोध किया गया था और क्या पाकिस्तान को कोई जवाब भेजा गया था। माननीय सदस्य ने 'पक्की तरह से' शब्दों का प्रयोग किया है और वह जानना चाहते हैं कि क्या कोई ठोस उत्तर भेज दिया गया है। इसके बारे में बताया जाए कि क्या उन्होंने विरोध प्रकट किया था और उसका कोई जवाब दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा: इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या वह बाद में जानकारी प्राप्त करके सदन को दे देंगे। माननीय प्रधान मन्त्री यहां हैं और वह इस पर एक वक्तव्य दे सकते हैं।

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक मुझे पता है—जो बहुत से सन्देश आते हैं उन सब का पता रखना जरा मुश्किल है—कोई विरोध नहीं किया गया है। विरोध जनता के और लोगों से किया गया है, हम से नहीं।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से विरोध किया है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : भारत के प्रधान मन्त्री जब अभी काश्मीर राज्य में विश्राम करने गये थे तो वहां से लौटते समय श्रीनगर में उन्होंने एक शिष्टमण्डल को अपना वक्तव्य देते हुए कहा था कि संविधान की धारा ३७० घिसते घिसते घिस जायेगी, लेकिन काश्मीर के पदमुक्त प्रधान मन्त्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने अपने पद से मुक्त होने के बाद कहा है कि संविधान की धारा ३७० स्थायी है, और उसके साथ काश्मीर का भाग्य बंधा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों वक्तव्यों में से कौनसा सही है और भारत सरकार की इन दोनों वक्तव्यों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने जो कुछ मेरे वक्तव्य की निस्बत कहा वह सही है। बख्शी गुलाम मुहम्मद ने मुख्तलिफ मौकों पर क्या क्या कहा, इसका मैं बिना देखे हुए ठीक जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, उन्होंने कुछ जोर दिया था कि धारा ३७० बिल फेल रहनी चाहिये और कुछ इशारा किया था कि वह हल्के हल्के बदल रही है। वाकया यह है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा जान रही नहीं है। दो तीन बातें हैं और उन्होंने एक आध बात का जिक्र किया था जो कि अलग भी हो सकती हैं, जैसे कि ऐसे किसी आदमी को जो कि काश्मीर में रहने वालों की फेहरिस्त में नहीं है, वहां जमीन लेने का अख्त्यार नहीं है। मेरी जाती राय है कि यह बात बिल्कुल ठीक है, वहां पर किसी और को ज़मीन लेने का अख्त्यार नहीं होना चाहिये। उससे काश्मीर का बहुत नुकसान होगा। लेकिन उसका धारा ३७० से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह की दो एक बातों में, जो कि पुरानी बातें हैं और जिनसे काश्मीर का नुकसान हो सकता है, उसकी हिफ़ाज़त की जानी चाहिये, जैसे कि भारत के बाज़ बाज़ और हिस्सों की हमने हिफ़ाज़त की है, मसलन नेफ़ा वगैरह वगैरह में। वहां पर बाहर वाले आदमियों को वगैर खास इजाज़त के ज़मीन लेने का अख्त्यार नहीं है।

श्री त्यागी : काश्मीर वालों को अख्त्यार है हमारे यहां ज़मीन ख़रीदने का।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री जवाहर लाल नेहरू : जी हां।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का उत्तर आ गया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब आ गया है। आपने पूछा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यह धारा घिसते घिसते घिस जायेगी, तो उन्होंने कहा कि यह ठीक है। यह बात उन्होंने कही है और वे उस बात को दुरुस्त समझते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह था कि प्रधान मन्त्री के वक्तव्य देने के कुछ दिन बाद बख्शी गुलाम मुहम्मद ने कहा है कि धारा ३७० स्थायी है और उसके हटाने का कोई सवाल नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके बाद प्रधान मन्त्री जी के और सरकार के विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ है जिसके कारण बख्शी गुलाम मुहम्मद को इस तरह का वक्तव्य देना पड़ा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका जवाब तो होम मिनिस्टर साहब ने अभी दे दिया। हमारी राय है कि धारा ३७० जैसा कि कांस्टिट्युशन में लिखा गया है ट्रांजिशनल अर्थात् अस्थायी है। है भी यही, और इसको आप देख सकते हैं कि जबसे वह बनी, कितना फर्क हो गया है बहुत सी बातों में। वह अभी भी होता जाता है। अभी दो तीन बातों के लिये होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऐसा होता जाता है। मैं उसे स्थायी नहीं समझता।

†**श्री कंडप्पन** : क्या मैं प्रार्थना प्रार्थना कर सकता हूं कि उत्तर अंग्रेजी में भी दिया जाए ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में माननीय सदस्य भी कल उपस्थित थे और मैंने माननीय सदस्यों से प्रार्थना की थी कि इसे कुछ वक्त के लिये ऐसे चलने दिया जाए।

†**श्री कंडप्पन** : कल या परसों...

†**अध्यक्ष महोदय** : एक ही रात में सारी चीज नहीं हो सकती। उन्हें चाहिये कि मुझे कुछ वक्त दें।

†**श्री कंडप्पन** : मैं उत्तर समझने को बड़ा उत्सुक हूं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसका सारांश अंग्रेजी में बता दिया जाए।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : यह प्रश्न क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिये उत्तर का सारांश अंग्रेजी में दे दिया जाये।

†**श्री कंडप्पन** : माननीय प्रधान मन्त्री उत्तर का सारांश अंग्रेजी में दे दें।

†**श्री रंगा** : वह हिन्दी में नहीं बल्कि उर्दू में बोले थे और इसलिये हम समझ नहीं पाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय प्रधान मन्त्री उत्तर का सारांश कृपया अंग्रेजी में दे देंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा सदन को याद होगा, अनुच्छेद ३७० कतिपय अन्तर्कालीन अस्थायी व्यवस्था का एक भाग है। यह संविधान का स्थायी अंग नहीं है। यह तभी तक अंग है जब तक वह ऐसा रहे।

सच तो यह है, जैसा कि गृह-कार्य मन्त्री ने बताया है, इसे धीरे धीरे ढीला कर दिया गया है, यदि मेरा ऐसा कहना उपयुक्त हो, और पिछले कुछ सालों में बहुत सी ऐसी चीजें की गई हैं जिन्होंने भारतीय संघ के साथ काश्मीर के सम्बन्ध को बहुत घनिष्ठ बना दिया है। इसमें शक नहीं कि काश्मीर पूरी तरह से एकीकृत है....

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पूरी तरह से नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं। मैं फिर कहता हूं कि यह पूरी तरह से एकीकृत है। यह तथ्य कि इसके साथ कुछ विशेष बातें सम्बद्ध हो सकती हैं एकीकरण के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालता

†मूल अंग्रेजी में

और मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था कि काश्मीर के लोगों को छोड़ कर भारत के नागरिक काश्मीर में जमीन क्या जायदाद नहीं खरीद सकते। यह एक पुराना कायदा है जो चला आ रहा है, यह कोई नई बात नहीं है, और मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा कायदा है जो जारी रहना चाहिये क्योंकि काश्मीर एक ऐसी खूबसूरत जगह है कि रुपये-पैसे वाले लोग वहां की सारी जमीन खरीद लेंगे जो वहां के रहने वालों को दुर्भाग्य होगा। यह असली वजह है और अंग्रेजों के वक्त से, पिछले सौ या उससे ज्यादा सालों से, चली आई है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जम्मू तथा काश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने वहां जमीन खरीदी है।

†**अध्यक्ष महोदय**: वह उसी राज्य के हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : लेकिन वह हरेक चीज तो हड़प नहीं कर सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम उस सवाल पर बहस नहीं कर रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं तो सिर्फ अपनी राय बता रहा हूं कि यह अच्छा कायदा है और काश्मीर में काश्मीर के बाहर लोगों द्वारा जमीन खरीदे जाने पर कड़े प्रतिबन्ध होने चाहियें क्योंकि अन्यथा जो लोग खर्च कर सकते हैं वे बहुत सी जमीन खरीद लेंगे, कीमतें बहुत ही ज्यादा चढ़ जायेंगी और वहां के लोगों को तकलीफ होगी।

सदन को याद होगा ऐसे ही कुछ प्रतिबन्ध नेफा और दूसरी जगहों के बारे में हैं, बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। ऐसा तो अन्य जिलों में भी है, आसाम के पहाड़ी जिलों में है। यह उनके फायदे के लिये है।

इस तरह हम महसूस करते हैं कि अनुच्छेद ३७० को धीरे धीरे ढीला करने का काम चल रहा है। कुछ नये कदम उठाये जा रहे हैं और अगले एक दो महीनों में वे पूरे हो जायेंगे। हमें इसे ऐसे ही चलने देना चाहिए। हम इस मामले में ज्यादा उत्साह दिखाना और अनुच्छेद ३७० को पूरी तरह खत्म कर देना नहीं चाहते। हम महसूस करते हैं कि उत्साह पहले काश्मीर की सरकार तथा जनता को दिखाना चाहिए। हम सहर्ष उसे मान लेंगे। वह प्रक्रिया जारी है।

†**श्री नम्बार**: यदि आप आज्ञा दें तो मैं बख्शी साहेब के बारे में प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैंने सोचा कि स्थिति स्पष्ट कर दूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय वह संगत नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या अनुच्छेद ३७० के निराकरण के प्रश्न पर काश्मीर में लोगों की राय जानने के लिये कोई उपाय किये गये हैं, यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि एक निर्वाचित सभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे मामलों में जनमत नहीं कराया जाता।

†**श्री स्वैल** : क्या सरकार का ध्यान कल के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में एक लेख में श्री जी० एम० सादिक के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद ३७० के निराकरण की मांग निहित हितों द्वारा राजनैतिक प्रयोजनों के लिये की गई है ? यदि हां, तो उस वक्तव्य पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने श्री सादिक का लेख नहीं पढ़ा है। लेकिन मैंने उनसे बातचीत की है और मैं उनके विचारों से वाकिफ हूं। हो सकता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण इसमें दिलचस्पी रखते हों। परन्तु वह सारी कहानी नहीं है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस राज्य की वर्तमान विधि द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्थायी रूप से वहां का रहने वाला नहीं है बल्कि बाहर से आया है राज्य सरकार की आज्ञा से जमीन खरीदने और उद्योग चलाने की अनुमति प्राप्त है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह विधि को देखने से पता चल सकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि आपातकाल के समाप्त होने पर लोक-सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे। आपातकाल के समाप्त होने के तो कोई लक्षण नहीं हैं। यदि आपातकाल और दस वर्ष तक रहता है तो ऐसे निर्वाचन होने की संभावना कब तक हो सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं माननीय सदस्य से एक अनुरोध करता हूं। इसका यह उत्तर दे दिया गया है कि अनुच्छेद ३७० का कड़ापन दूर हो रहा है और कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। एक उदाहरण दिया गया था। उस उदाहरण में से एक चीज चुन ली गई है और पूछा जाता है कि चुनाव कब होगा। सका प्रश्न से कोई सीधा संबंध नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरी मंशा केवल यह है कि हम लोक-सभा में निर्वाचित प्रतिनिधि चाहते हैं, यह नहीं कि वे प्रतिनिधित्व ही न करें। परन्तु जैसा कि हम जानते हैं, जम्मू तथा काश्मीर को कई क रोड़ दिये जा चुके हैं.....

†**अध्यक्ष महोदय**: वह किसी और बात को से रहे हैं? इस प्रश्न में हमारा उससे संबंध नहीं है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या मैं अपने प्रश्न को स्पष्ट कर ? आज भी विधि में उप-बन्ध है जो राज्य के बाहर रहने वाले लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति देता है। यहां कुछ लोगों ने एक गलतफहमी सी पैदा कर ी है।

श्री कछवाय : इसी मास के तीसरे सप्ताह में जम्मू काश्मीर की जनता की ओर से प्रजा परिषद् के ारा इस राज्य को भारत में मिलना चाहिये क्या स मांग को लेकर आंदोलन चला था और वहां की सरकार ने उन पर गोलियां चलाई हैं, और यहां की सरकार ने इस संबंध में क्या विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने विचार क्या करना था। यह आप पूछ सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन पर सरकार ने क्या विचार किया।

श्री कछवाय: उस संबंध में सरकार ने क्या कारवाई की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : रिप्रेजेंटेशन आया, उस पर गौर हुआ, और उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

श्री बड़े: क्या यह बात सच है कि अभी वहां धारा ३७० होने से वहां की गवनमेंट डिक्टेटर-शिप की तरह बनती जा रही है, और इसलिये वहां की बहुसंख्यक जनता ने और विरोधी पार्टी ने

---

†मूल अंग्रेजी में

मांग की है कि धारा ३७० को संविधान में से निकाल देना चाहिये। क्या उस संबंध में भारत सरकार ने जम्मू काश्मीर की सरकार को कोई डाइरेक्शन भेजा है कि वहां की विधान सभा ारा यह प्रस्ताव पास कराया जाय कि स धारा को और तरह से लागू किया जाए या इसमें कुछ संशोधन किया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : इसके पिछले हिस्से का जवाब दिया जाए कि आया यहां से कोई डा - रेक्शन भेजा जा रहा है कि इस दफा को अमेंड किया जाए या और बढ़ाया जाए।

श्री जवाहरलाल नेहरू : डाइरेक्शन देने का कोई सवाल नहीं है। अक्सर बातचीत और मशविरा होता है जम्मू और काश्मीर की सरकार से। और ये जो ो तीन बातें होम मिनिस्टर साहब ने कहीं कि होने वाली हैं, उनके बारे में हमने कोई डाइरेक्शन नहीं भेजा था, यह तो उनकी तरफ से ही आयी थीं।

श्री बड़े : मैंने सलाह नहीं कहा था, मैंने तो पूछा था कि क्या कोई डाइरेक्शन दिया गया। सलाह और डाइरेक्शन एक चीज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपने जो कहा वही तो हमने समझा है।

श्री बड़े : मैं तो हिन्दी में बोलता हूं।

श्री गुलशन : पिछले महीने में नेशनल कानफरेंस जम्मू काश्मीर ने एक मता पास किया था कि जम्मू काश्मीर को भारत के साथ पूरे तौर से मिला दिया जाए। क्या यह बात सरकार के नोटिस में आयी है, अगर हां, तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे दिया गया।

†**श्री कपूर सिंह :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अनुच्छेद ३७० में किसी चीज को जम्मू तथा काश्मीर राज्य की संस्थिति को भारतीय संघ के एकीकृत रूप में मानक्षयी समझती है। यदि ऐसा नहीं है, ो इस अनुच्छेद के निराकरण के लिये बार बार इस आंदोलन के होने के क्या कारण हैं ? यह मैं समझ नहीं पाता।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** आप इसे समझ नहीं पायेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं जानता कि इस सवाल का कैसे जवाब दूं। मोटे तौर पर—— मुझे अनुच्छेद ३७० के शब्द पूरी तरह से याद नहीं हैं——कोई भी परिवर्तन हमें जम्मू तथा काश्मीर सरकार तथा वहां के लोगों की सलाह से करने होते हैं। एक बड़ी बात यह है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** प्रधान मंत्री ने जो कहा है उसे ृष्टि में रखते हुए मैं किसी विस्तृत व्याख्या के लिये नहीं कह रहा हूं परन्तु मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूं कि क्या सरकार ने संविधान को समवर्ती सूची में दिये गए विधान के क्षेत्र का विस्तार उस राज्य तक करने के लिये कोई समय सारिणी निर्धारित की है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक ऐसी चीज पूछ रहे हैं जो कि वह पूछना नहीं चाहते ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** यह मैं पूछना चाहता हूं। स बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और इसलिए मैं इस संबंध में जानना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोई समय सारिणी नहीं है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि जम्मू तथा काश्मीर और भारत के लोग उन तरीकों के साथ अधिकतर सन्तुष्ट हैं जिनसे जम्मू तथा काश्मीर को भारत के साथ एकीकृत किया जा रहा है, और क्या यह सच नहीं है कि इसके विरूद्ध वहां चलाया जाने वाला आंदोलन अधिकतर भारत के राजनैतिक दलों द्वारा ही चलाया जाता है जो प्रदर्शन करने के लिए अपने स्वयंसेवक तथा आदमी वहां भेजते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय**: केवल पहले भाग का उत्तर दे दिया जाए ।

†**श्री नन्दा**: पहले भाग के बारे में मैं प्रश्न पूछने वाले सदस्य से सहमत हूं ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : उस राज्य के अध्यक्ष का पद बदल कर राज्यपाल कर देने के प्रस्तावित परिवर्तन को देखते हुये, क्या उसे नामनिर्देषित किया जाता रहेगा या उसका चुनाव होगा ?

†**श्री नन्दा**: सदरे रियासत के नामनिर्देशन तथा नियुक्ति के बारे में शेष उपबन्ध राज्यपाल पर भी लागू होंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान काश्मीर के नए मुख्य मंत्री श्री शम्सुद्दीन के इस आशय के हाल ही के वक्तव्य की ओर गया है कि भारतीय संसद यदि चाहे तो अनुच्छेद ३७० को निरसित कर सकती है, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई सांवैधानिक उपबन्ध है अथवा सरकार बिना किसी निर्देश के ऐसा करने का विचार रखती है जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वहां की राज्य विधान सभा को निर्देश किये बिना ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कुछ वैध पहलुओं के बारे में पूछ रहे हैं ?

†**श्री हेम बरुआ**: श्री शम्सुद्दीन द्वारा कही गई बात प्रधान मंत्री की बात का खंडन करती है । प्रधान मंत्री कहते हैं कि राज्य विधान सभा अनुच्छेद ३७० के निरसन का सुझाव दे सकती है । परन्तु श्री शम्सुद्दीन कहते हैं कि भारतीय संसद्, यदि वह चाहे, ऐसा कर सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: इसलिये श्री शम्सुद्दीन से जम्मू तथा काश्मीर सभा में पूछा जा सकता है कि क्या उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह ठीक है क्योंकि वह प्रधान मंत्री द्वारा यहां कही गई बात का खंडन करता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : आपने सुझाव दिया है कि श्री शम्सुद्दीन से राज्य विधान सभा में पूछा जा सकता है । अब आप ही के द्वारा दी गई प्रेरणा के अन्तगत मैं प्रधान मंत्री से उस वक्तव्य के परस्पर विरोध होने के बारे में पूछता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कानूनी जानकारी पर प्रश्नों की आज्ञा नहीं दूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस परिरक्षक उपबन्ध को अब कुछ ऐसे तरीकों से इस्तेमाल किया गया है जो भ्रष्टाचार को और अधिक बढावा देते हैं । इसलिये क्या सरकार इस बात का पुनर्विलोकन करने का इरादा रखती है कि यह अनुच्छेद कहां तक उस सुन्दर तथा बहुत अच्छे विधान के आरम्भ किये जाने के विरूद्ध है जो शेष भारत पर लागू होता है, उदाहरणार्थ श्रम विधियां तथा अन्य विधियां जो भ्रष्टाचार को रोके हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** वह पहले ही बता चुके हैं कि अब उन्हें लागू किया जा रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** उन्हें स्वत: उसी प्रकार से लागू नहीं किया जा रहा है जैसे शेष भारत पर लागू किया जाता है । श्रम विधियों को छोड़ दीजिए । फिर भी भ्रष्टाचार और मूल्य नियंत्रण तथा उन सभी चीजों के प्रश्न पर ऐसी अच्छी विधियां हैं जो शेष भारत पर स्वत: लागू होती हैं परन्तु जो संविधान के उपबन्धों के कारण जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं होतीं ।

†**श्री नन्दा:** श्रम के बारे में.....

†**अध्यक्ष महोदय :** श्रम को उन्होंने छोड़ दिया था ।

†**श्री नन्दा :** इसमें कोई गलत धारणा हो सकती है । श्रम संबंधी विधान आंशिक रूप से लागू किया जा रहा है । पूरा नहीं । यह सच है ।

†**श्री हेम बरुआ :** निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार को भी केवल आंशिक रूप से लागू किया जाता है ।

श्री नंदा : अन्य विषयों में राज्य को विधान बनाने की शक्ति है और वह उन्हीं विषयों के बारे में कानून बना रहा है जिन पर हम यहां बनाते हैं । जो भी चीज अच्छी होती है उसका विस्तार पारस्परिक परामर्श तथा सहमति से धीरे-धीरे तथा उत्तरोत्तर किया जाता है ।

श्री बड़े : प्रधान मंत्री जी ने कहा कि प्रजा परिषद् के रिप्रजेंटेशन को दाखिल दफ्तर कर दिया गया । सका जनता पर क्या असर पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से दरखास्त करूंगा कि वह बैठ जाएं ।

श्री बड़े : मैं यह पूछता हूं कि इसका क्या असर पड़ेगा.....

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं । क्या आप इस सारी कार्यवाई को रोके रखना चाहते हैं, इसको चलने देना नहीं चाहते ?

तेल की खोज

\+

†*२१७. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव:
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के नए क्षेत्रों में तेल की खोज का सर्वेक्षण करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों का सर्वेक्षण किया जायेगा और इस कार्य के लिये कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

†**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सहारनपुर जिले में जो तेल की खोज का काम शुरू हुआ था वह किस स्टेज पर है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुख्य प्रश्न नये क्षेत्रों में तेल की खोज से सम्बन्धित ह । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री यशपाल सिंह : आपने जो सहारनपुर जिले में तेल की खोज के बारे में कहा था, उसके मुताल्लिक मैंने पूछा था ।

श्री हुमायून् कबिर : इसके बारे में आप दूसरा सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा । इस सवाल में तो यह पूछा गया है कि किन नई जगहों पर खोज हो रही है। सहारनपुर जिले में काम शुरू हो गया है, तो वह इस सवाल में नहीं आता ।

†**श्री वारियर :** क्या मैं जान सकता हूं कि कोचीन बेसिन तथा कावेरी बेसिन में तेल की खोज के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री हुमायन् कबिर : कावेरी बेसिन में दो दलों द्वारा जो भूकम्पीय सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है वह जारी रखा जायेगा। धीरे-धीरे इसका बेसिन के उन विभिन्न भागों में विस्तार किया जायेगा जहां कि गुरुत्व चम्बकीय सर्वेक्षणों[1] के द्वारा उच्च भूकम्पीय क्षेत्रों के होने की सम्भावना का पता चले ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या उत्तर प्रदेश में तेल मिलने की कुछ सम्भावना है ?

श्री हुमायून् कबिर : उमीद तो है लेकिन अभी तो सर्वे ही हो रहा है और जियोलाजिक्ल सर्वे खास तौर पर फुटाईल बैल्ट आफ दी हिमालयाज़ में चल रहा है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** मैं आपले माननीय मंत्री को यह सलाह देने की प्रार्थना करता हूं कि वह प्रश्न संख्या २३१ का भी जो कि तेल की खोज सम्बन्धी नीति से सम्बन्धित है इसी प्रश्न के साथ उत्तर देने की कृपा करें। वह ऐसी ही नीति के सम्बन्ध में एक प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय:** २३१ ? मैं नहीं समझ पाया । डा० गोन्विद दास ।

डा० गोविन्द दास : माननीय मंत्री ने यह बात अनेक बार कही है कि देश के अन्य अनेक स्थानों में भी तेल है, मध्य प्रदेश में बस्तर आदि में तेल है तो वहां पर भी क्या कोई सर्वेक्षण हो रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इस समय चार बड़े-बड़े सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। हिमालय की तलहटी में भूतत्वीय सर्वेक्षण, जलोढ मिट्टी से ढके हुए समस्त तलछटीय प्रदेशों में भूभौतिकीय सर्वेक्षण, तीसरे, कावेरी बेसिन में भूकम्पीय सर्वेक्षण जिसका मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है और चौथे, कच्छ क्षेत्र में कुछ सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Gravity Magnetic Surveys.

श्री विश्राम प्रसाद : जहां तक तेल की कमी भारत में है, मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने एरिया का सर्वे इस मिनिस्टरी के द्वारा हो चुका है और कितना होना अभी बाकी है ?

श्री हुमायून् कबिर : उसके लिए तो मुझे नोटिस चाहिए।

श्री कछवाय: मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सारा सर्वे कितने वर्षों में पूरा हो जायेगा और उसमें कितनी प्रगति होने की सम्भावना है ?

श्री हुमायून् कबिर: यह सर्वे तो कभी खत्म नहीं होगा। एक एरिया में एक मैथड से सर्वे किया जाता है और मालूम यह पड़ता है कि वहां पर तेल नहीं है लेकिन उसके बाद साइंस की प्रगति होती है और नये मैथड्स से उसी जगह पर तेल के लिए दुबारा सर्वे किया जाता है तो उस जगह तेल हमें मिलता है। इसलिए सर्वे का काम तो कभी खत्म होता नहीं है वह तो चलता ही रहता है।

श्री यशपाल सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इस में फौरैन कोलैबोरेशन किस हद तक है ?

†**श्री हुमायन् कबिर:** यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण

\+

†*२१८. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री रा० गि० दुबे:
श्री यशपाल सिंह:
श्री म० ला द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान की सरकार ने भारत सरकार से विद्यार्थियों को भेजने के लिये कहा है जिन्हें विज्ञान तथा उद्योग के क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) विद्यार्थियों का प्रथम दल कब भेजा जायेगा ; और

(घ) विद्यार्थियों का चयन किस प्रकार किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला):** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ओंकारलाल बेरवा: मैंने हिन्दी में प्रश्न किया है और उसका जवाब भी यदि हिन्दी में मुझे दिया जायेगा तो मैं उसे ठीक से समझ सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो किया था मगर पहला नाम श्री बिशनचन्द्र सेठ का था जिन्होंने कि यह सवाल अंग्रेज़ी में पूछा था। अब इस वक्त तो एकदम से हिन्दी में अंग्रेज़ी के उत्तर का अनुवाद हो नहीं सकता और अंग्रेज़ी उत्तर को फौरन हिन्दी उत्तर से बदला नहीं जा सकता है। उम्मीद यह थी कि श्री बिशनचन्द्र सेठ जिनका कि पहले नम्बर पर नाम था वह उसको पूछने के लिए सदन में उपस्थित होंगे और उनका सवाल चूंकि अंग्रेज़ी में था इसलिए आप देखेंगे कि सवाल नम्बर २१८ के सामने हिन्दी का निशान नहीं है। बहरहाल अगर वह ठीक से उनके पहले के जवाब को सुन नहीं सके हैं तो मैं मंत्री महोदय से यह कहे देता हूं कि वह दुबारा उसको दुहरा दें।

†क्या माननीय मंत्री कृपा करके उत्तर को दुहरायेंगे ?

†**श्री मु० क० छागला :** भाग (क) का उत्तर है "जी नहीं"। भाग (ख) से (घ). तक का उत्तर है "प्रश्न ही नहीं उठते"।

†**अध्यक्ष महोदय:** (क) जी, नहीं ; और (ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या आयन्दा भी उनको बाहर भेजने का कोई ऐसा विचार है ?

श्री एम० सी० छागला : अगर जापान की गवर्नमेंट हम को स्टूटैंड्स भेजने के लिए कहेगी तो हम ज़रूर वहां भेजेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं भेजा है।

श्री यशपाल सिंह : जबकि भारत में ही प्रशिक्षण के बड़े से बड़े केन्द्र हैं तो सरकार को क्या ज़रूरत महसूस हो रही है कि यहां से स्टूटैंड्स को बाहर भेजा जाय ?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि अगर जापान गवर्नमेंट हमें भेजने के लिए कहेगी तो हम भेजेंगे लेकिन अभी तक नहीं भेजा है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** जापान में इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जायेगी इस आशय का समाचार समाचारपत्रों में छपा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह समाचार गलत था, यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई बातचीत चल रही है कि आगे भी विद्यार्थी भेजे जा सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय: अब मिनिस्टर इस बारे में जवाब दे चुके हैं और यह कह कर कि इस तरह की ख़बर कुछ समाचारपत्रों में छपी थी कि जापान में इस प्रकार की शिक्षा यहां के विद्यार्थियों को दी जायगी, माननीय सदस्य क्या यह समझते हैं कि वह अपने जवाब से लौट जायेंगे ?

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** कुछ समय पूर्व मैंने यह समाचार समाचारपत्रों में पढ़ा था।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह प्रश्न ही नहीं उठता। **(अंतर्बाधायें)**

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** यह सम्भव हो सकता है कि यह लोग भविष्य में भेजे जायें।

†**अध्यक्ष महोदय:** भविष्य में क्या हो सकता है हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या जापान के साथ विद्यार्थियों की पारस्परिक अदला-बदली का कोई कार्यक्रम इस समय है ?

†**श्री मु० क० छागला** : जी हां, १९५८ से, जब से कि यह मंत्रालय बना, भारत और जापान के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिये, जापान सरकार प्रतिवर्ष जापान में स्नातकोत्तर अध्ययन और अणुसन्धान करने के लिये भारतीय राष्ट्रजनों को दो अथवा तीन छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव करती है। हमारी नीति यह है कि विदेशी मित्र राष्ट्रों द्वारा जो ऐसे प्रस्ताव किये जायें उनका उपयोग किया जाय। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक अथवा दो विद्यार्थी जापान को जाते रहे हैं और इस प्रकार से एक गलत धारणा बन गई है जो कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई है।

श्री कछवाय : जो विद्यार्थी जापान भेजे जायेंगे तो क्या उनके लिए कोई विशेष शर्तें रखी गई हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने तो यह नहीं कहा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

†*२१६. { **श्री विश्वनाथ राय** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपने मुख्यालय को देहरादून से फरीदाबाद (दिल्ली के समीप) ले जाने की योजना बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**पेट्रोलियम् और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयोग के कार्यकलाप देश के विभिन्न दूर-दूर के भागों में चलले रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आयोग के कार्यालय के लिये अन्य किसी केन्द्रीय स्थान को चुनने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी नहीं, जैसा कि मैंने बताया है, आयोग उस स्थान पर ही ठहर गया है और वह वहीं रहेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति

+

†*२२०. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान विवेकानन्द शताब्दी समारोह समिति द्वारा मद्रास में विवेकानन्द शिला पर स्वामी विवेकानन्द की एक मूर्ति स्थापित किये जाने के प्रस्ताव की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

†शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला): (क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय करना मद्रास सरकार का कार्य है कि विवेकानन्द शिला पर स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति स्थापित करने के लिए अनुमति दी जाये अथवा नहीं ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि देवस्वम बोर्ड ने, जिसका प्रशासन सीधा मद्रास सरकार द्वारा ही किया जाता है, मूर्ति और पदयात्रियों के लिए एक पुल की भी स्थापना करने की अनुमति दी थी ?

†श्री मु० क० छागला : जैसाकि मैं ने बताया है यह पूर्णतः मद्रास सरकार का एक मामला है और मैं यह नहीं समझता कि हमें उन के विवेक में अथवा वे जो निर्णय करें उस में हस्तक्षेप करना चाहिये ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि वहां एक बोर्ड स्थापित किया गया था और वह कुछ मछुआरों द्वारा कुछ आपत्तिजनक आधारों पर हटा दिया गया था? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह देखने के लिए क्या कदम उठाये कि उसे ठीक कर दिया जाय ?

†श्री मु० क० छागला : मद्रास सरकार ?

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जी हां, इस मंत्रालय की मंत्रणा और निर्देश पर ।

†अध्यक्ष महोदय : तब फिर वही उत्तर दुहराया जाना है ।

†श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वामी विवेकानन्द अखिल-भारतीय प्रसिद्धि के व्यक्ति थे और यह कि सारे भारत की ही इस मामले में रुचि है, इस मामले को पूर्णतः मद्रास सरकार का ही मामला क्यों समझा जाना चाहिये ? निश्चित ही भारत सरकार इस मामले से सम्बन्धित अपने समस्त उत्तरदायित्व से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकती ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह जानना चाहिये कि मूर्ति वहां उस राज्य में ही स्थापित की जा रही थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : क्या हम यह समझ लें कि मद्रास सरकार ने इस पर कोई आपत्ति उठाई थी और यदि हां, तो इस मामले के सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? हम इस के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते। हमें यह नहीं बताया गया था कि मद्रास सरकार मूर्ति स्थापित करने के पक्ष में नहीं है ।

†**श्री बड़े** : मद्रास सरकार ने यह मामला केन्द्रीय सरकार को भेजा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या यह मामला केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था ?

†**श्री बड़े** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह किसी भी सरकार से बहुत अधिक जानते हैं, परन्तु कठिनाई तो यह है कि वह उस समस्त जानकारी को तब भी प्रगट कर रहे हैं जबकि उन्हें ऐसा करने के लिये नहीं कहा गया है । क्या कोई निर्देश दिया गया था ?

†**श्री मु० क० छागला** : मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार को कोई औपचारिक निर्देश किया गया था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : शिला पर इस मूर्ति की स्थापना करने की अनुमति देने से मना करने के लिये अथवा इसका विरोध करने के लिये मद्रास सरकार द्वारा क्या कारण बताये गये थे ? क्या यह बात केवल मूर्ति की सुरक्षा ही के लिये थी अथवा अन्य किसी कारण से ?

†**श्री मु० क० छागला** : यदि माननीय सदस्य इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो हम मद्रास सरकार से उचित उत्तर मंगवा लेंगे । परन्तु मद्रास सरकार के विवेक को यहां पर चुनौती देना क्या वास्तव में हमारे लिये उचित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि किन आधारों पर उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराया था ?

†**श्री मु० क० छागला** : श्रीमन्, सरकारी तौर पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या माननीय मन्त्री के पद के पूर्वाधिकारी, जो कि अब उनके दाईं ओर बैठे हैं....

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उनके दायें, बायें अथवा सामने कहीं भी बैठ सकते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार ठीक है कि कन्या कुमारी को ऐतिहासिक शिला पर स्वामी विवेका नन्द की मूर्ति स्थापित करने में उन्होंने अपना कुछ विरोध प्रगट किया था; यदि हां, तो उनका यह विरोध किन आधारों पर आधारित था ?

†**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : श्रीमन्, क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं एक प्रकार से माननीय सदस्य का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया है क्योंकि मैं यह जानता हूं कि इस मामले पर बे सिर पैर की कुछ बातें की जाती रही हैं। भारत सरकार का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है और उसे इसमें कुछ नहीं करना है। सरकारी तौर पर हमसे कभी कोई सलाह नहीं मांगी गई थी और न ही हमने सरकारी तौर पर कभी कोई सुलाह दी। जहां तक उस स्थान की सुन्दरता के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह एक पूर्णतः भिन्न मामला है जो कि मद्रास सरकार के क्षेत्राधिकार में है कि किसी भी आधार पर जिसे कि वे पसन्द करें वे इसका निर्णय करें। हम उस मामले में कुछ नहीं कह सकते।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमन्, मैं एक औचित्य के प्रश्न के लिये उठता हूं। मेरा प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने जैसा कि समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है, कन्या कुमारी की एतिहासिक सीमा पर प्रतिमा की स्थापना के सम्बन्ध में अपना कुछ विरोध व्यक्त किया था, यदि हां, तो वह विरोध किन बातों पर आधारित था ?

†**श्र मु० क० छागला :** एक मन्त्री को भी अपने व्यक्तिगत विचार रखने का अधिकार है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं भी अपने विचार रख सकता हूं जैसे कि आप रख सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका विरोध किन बातों पर आधारित था ?

†**श्री हुमायन् कबिर :** मैंने बताया है कि मेरी ओर से किसी भी प्रकार के विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतएव, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्र हेम बरुआ :** ये बातें कुछ परस्पर विरोधी हैं ?

!**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति—डा० अणे।

†**डा० मा० श्री० अणे:** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह शिला विशेष उन स्थानों में से नहीं है जिनका कि पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षण किया जाता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुझे ज्ञात नहीं है।

†**डा० मा० श्री० अणे :** क्या अब वे ऐसा करेंगे ?

†**श्र मु० क० छागला :** हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

†**श्री कृ० चं० पंत :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह विवेकानन्द शताब्दी समारोह समिति एक सरकारी समिति है अथवा गैर-सरकारी समिति ?

†**श्री मु० क० छागला :** यह एक गैर-सरकारी समिति है।

ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था

+

*२२१. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : }

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत सितम्बर में दिल्ली में ग्रामीण उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थानों की बैठक हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विचार के मुख्य विषय क्या थे तथा उन पर क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) बैठक में की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं । ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की ग्यारहवीं बैठक २० सितम्बर, १९६३ को नई दिल्ली में हुई थी ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १९३८/६३]

(ग) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : विवरण में बताया गया है कि जिन राज्यों में ग्रामीण संस्थान नहीं हैं, वहां पर खोलने का विचार किया जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किन राज्यों में ऐसे संस्थान हैं और किन राज्यों में नहीं हैं ।

श्री भक्त दर्शन : इस समय हमारे देश में ग्यारह प्रदेशों में कुल चौदह इस तरह की संस्थायें स्थापित हो चुकी हैं । दो और राज्यों में—उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में—इनके सम्बन्ध में सुझाव विचाराधीन हैं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : विवरण में बताया गया है कि इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजा गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों का इस सम्बन्ध में कोई सुझाव आया है या नहीं और यदि आया है, तो वह क्या है ।

श्री भक्त दर्शन : इस समय तक किसी भी राज्य से कोई सुझाव नहीं आया है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या कोई ऐसी लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है जिस तक कि सभी राज्यों में यह संस्थान हो जायेगा ?

†**श्री भक्त दर्शन** : कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है परन्तु मेरा विचार है कि वे बहुत शीघ्र ही खोल दिये जायेंगे ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या यह निर्णय किया गया है कि जहां तक ग्रामीण उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है इसके लिये शिक्षा की एक समान पद्धति रखी जाय और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**श्री भक्त दर्शन** : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित है । ग्रामीण उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में २० सितम्बर को बैठक हुई थी जबकि इस सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया था । इस समय मेरे पास समस्त ब्यौरे नहीं हैं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या समस्त देश में समान उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को चाल करने के लिये सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है ?

†**श्री भक्त दर्शन** : जहां तक हमें जानकारी है, ये संस्थान बहुत ही लोकप्रिय हैं ।

श्री त्यागी : श्री भक्त दर्शन से मुझे यह प्रश्न याद आ गया कि जिन सिफारिशों पर गवर्नमेंट विचार कर रही है, कब तक उन पर निर्णय हो सकेगा और इस बारे में कितना विलम्ब हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : इन सुझावों को आए हुए अभी दो महीने हुए हैं और इन पर शीघ्रता के साथ निर्णय किया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : जो सवाल डिपुटी मिनिस्टर साहब किया करते थे, वही अब त्यागी जी ने करना शुरू कर दिया ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि तृतीय-पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष राशि नियत की गई है, यदि हां, तो वह कितनी है ?

श्री भक्त दर्शन : राशि के बारे में मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य में इनको खोलने का निश्चय किया गया है ।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी उपमन्त्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विद्यालय खोलने का विचार है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के विद्यालयों की संख्या कितनी होगी, जिससे उत्तर प्रदेश के ग्रामों की पूरी जनता को फायदा हो सके ।

श्री भक्त दर्शन : उत्तर प्रदेश में एक विद्यालय आगरा में बलवन्त विद्यापीठ के नाम से पहले से ही स्थापित है । एक दूसरा विद्यालय इलाहाबाद में स्थापित करने का विचार किया जा रहा है ।

†**श्री जसवन्त मेहता :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ऐसे कोई निदेश जारी किये हैं कि जो विद्यार्थी ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्थानों से परीक्षा में उत्तीर्ण करेंगे वे सरकारी नौकरियों में भरती के पात्र होंगे ?

†**श्री भक्त दर्शन :** देखा जाय तो यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता परन्तु, जहां तक मैं जानता हूं, वे मान्यता प्राप्त हैं ।

श्री यशपाल सिंह : इसमें एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग के लिए कितना प्रावीजन है और क्या इसमें टैक्निकल ट्रेनिंग के लिये कोई स्कीम है ?

श्री भक्त दर्शन : यह विस्तार का प्रश्न है । इस समय मेरे पास इसके बारे में आंकड़े नहीं हैं ।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

+

†*२२२. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री गोला वेंकैया :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाने के संबंध में जिन राज्य सरकारों ने अपनी असहमति प्रकट की थी उन्हें अब इसके लिये राजी कर लिया गया है ; और

(ख) क्या स असहमति के बने रहने की अवस्था में स्थिति का सामना करने के लिये कोई वैकल्पिक स्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : (क) इस विषय पर चर्चायें अभी तक जारी हैं ।

(ख) एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के बनाने के संबंध में राज्य सरकारों से असहमति बने रहने की स्थिति में, वैकल्पिक प्रस्तावों के संबंध में विचार किया जायेगा ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों की इस प्रस्ताव के संबंध में जो असहमति है, वह किन मूल बातों को लेकर है और उस असहमति को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से क्या सुझाव दिये गये हैं ?

†**श्री मु० क० छागला** : हम विभिन्न राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाता हूं कि हमें आशा है कि एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के इस प्रस्ताव पर सहमत होने के लिये हम राज्य सरकारों को मना लेंगे । परन्तु अभी तक चर्चा जारी है और मेरा यथासंभव शीघ्र इस मामले में कार्यवाही करने का विचार है । कुछ राज्य सहमत हैं, अन्य कुछों ने कुछ सन्देह प्रगट किये हैं, और कुछों को कुछ अधिक सन्देह है, परन्तु इस परियोजना के संबंध में सभी राज्यों को सहमत कर लेने की हमें आशा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह संभव है तो माननीय सदस्य को असहमति की विशिष्ट बातें बता दी जायें । कदाचित वह यह जानना चाहते थे कि असहमति की मुख्य अथवा विशिष्ट बातें क्या हैं ।

†**श्री मु० क० छागला** : मैं यह नहीं बता सकता कि विशिष्ट बातें क्या हैं परन्तु, जैसा कि आपको ज्ञात हो, सामान्यतया इन सेवाओं पर नियुक्तियों के अधिकार को राज्य स्वयं अपने पास ही रखना चाहते हैं । कदाचित वे एक अखिल भारतीय सेवा के स्थान पर एक राज्य सेवा बनायेंगे हमारा प्रयत्न यह है कि अखिल भारतीय सेवा को स्वीकार करने के लिये हम उन्हें सहमत करें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय प्रयोगशाला जांच समिति

†*२१३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री १ मई, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किए गए शोध-कार्य का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त की गई समिति अपनी रिपोर्ट कब तक देगी ;

(ख) क्या समिति ने कोई अन्तरिम सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : (क) समिति की पहली बैठक ४ नवम्बर, १९६३ को हुई थी । अब वे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का व्योरा कर रहे हैं । विदेशी सदस्यों के भारत में जनवरी–फरवरी, १९६४ में आ जाने की आशा है । इतने समय पूर्व यह नहीं कदाचित बताया जा सकता कि कब तक वे प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे देंगे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जाली पासपोर्ट

*२२३. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "जाली ब्रिटिश पासपोर्ट" गिरोह से संबंधित कितने सरकारी अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति अब तक पंजाब और दिल्ली में गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ख) क्या इस सिलसिले में किसी नये सुराग का पता लगा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) पंजाब में जालंधर जिले के २४ व्यक्ति तथा कोचीन का एक पोर्ट रजिस्ट्रेशन आफिसर गिरफ्तार किये गये हैं।

(ख) जी नहीं। परन्तु यू० के० उच्च आयोग द्वारा जा ी किये गये ऐम्प्लायमेंट वाऊचर तथा भारतीय उच्च आयोग द्वारा जा ी किये गये परिनियत बयानों के जाली होने के २४ मामले दर्ज हुए हैं, तथा उनके संबंध में जांच की जा रही है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिये कर्मचारी

†*२२४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं को अच्छे कर्मचारी भर्ती करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि राज्य सरकार ारा अन्य संस्थाओं के अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतनमानों की अपेक्षा इन संस्थाओं के लेक्चरारों तथा सहायक प्राध्यापकों (असिस्टेंट प्रोफेसर्स) के वेतनमान कम हैं ;

(ख) क्या समस्त तकनीकी संस्थाओं ने वेतनमानों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव किया था ; और

(ग) यदि हां, तो स पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : (क) जी, नहीं।

(ख) खड़गपुर की संस्था के निदेशक से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था परिषद के विचारार्थ एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) परिषद ने यह निर्णय किया था कि वेतन मानों अथवा ढांचों में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं ह ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुलिस दलों में समन्वय

*२२५. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में समाज विरोधी गतिविधियों तथा डकैतियों को रोकने की दृष्टि से, विभिन्न राज्यों के पुलिस दलों में समन्वय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) हाल ही में राज्यों के गृह मंत्रियों का कोई सम्मेलन नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गैस का मूल्य

†*२२७. श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री दे० जी० नायक :
श्री छोटू भाई पटेल :
श्री पु० र० पटेल :
श्री याज्ञिक :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आसाम और गुजरात से प्राप्त गैस का मूल्य निर्धारित कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग आसाम में विक्रय करने के लिये इस समय किसी गैस का उत्पादन नहीं कर रहा है । गुजरात में, गैस के अन्तिम मूल्य तथा विक्रय की अन्य शर्तों के संबंध में अभी तक बातचीत चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शारीरिक शिक्षा

†*२२८. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री विभूति मिश्र :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शारीरिक शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने शारीरिक शिक्षा तथा सहायक सेना छात्र दल का स्कूलों की राष्ट्रीय अनुशासन योजना के साथ एकीकरण करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब लागू किया जाएगा ?

†शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) जी, हां ।

(ख) सिफारिश की जांच की जा रही है ।

प्रशासी पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति

†*२२९. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीशों की सरकार के अधीन प्रशासी पदों पर नियुक्ति के संबंध में स्थिति का पुनर्विलोकन कर लिया है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में न्यायिक रूप के कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिये जिन सेवा निवृत न्यायाधीशों की सेवायें सरकार द्वारा प्राप्त की गई हैं उनकी संख्या कितनी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अपेक्षित जानकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल की खोज सम्बन्धी नीति

†*२३१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री केसर लाल :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अपनी तेल की खोज संबंधी नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है, विशेषकर उन उपक्रमों के स्वामित्व संबन्धी प्रश्न के बारे में जिन्हें तेल की खोज एवं उत्पादन का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह परिवर्तन किस प्रकार के होंगे ;

(ग) क्या विपणन के क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र के विस्तार की कोई संभावना है ; और

(घ) कोचीन तेल शोधक कारखानों में विदेशी सहयोग का ठीक ढांचा क्या है और सहयोग के अन्य मामलों में इस ढांचे को किस सीमा तक अपनाया जायेगा ?

†**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पेट्रोलियम के वितरण के क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र की नई कम्पनियों को प्रवेश करने की अनुमति देने का विचार नहीं है ।

(घ) कोचीन का तेल शोधक कारखाना एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जिसके अधिकांश शेयर भारत सरकार ने लिये हुए हैं और केवल २५ प्रतिशत शेयर विदेशी सहयोगकर्ता द्वारा लिये हुए हैं । विदेशी सहयोगकर्ता बाकी अपेक्षित विदेशी मुद्रा की ऋण-स्वरूप व्यवस्था करने के लिये सहमत हो गया है । यह व्यवस्था भारत सरकार को स्वीकार्य शर्तों पर होगी । जब कभी भी अन्य ऐसी योजनायें आरम्भ की जायेंगी जिनमें विदेशी सहयोग की आवश्यकता होगी, उस समय इस प्रकार के सहयोग का ध्यान रखा जायेगा ।

प्राथमिक शिक्षा

†*२३२. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये योजना का प्रारूप तैयार करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)**: (क) और (ख). योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

व्यापार तथा उद्योग प्रबन्ध

†*२३३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना अवधि के दौरान देश में व्यापार तथा उद्योग प्रबन्ध के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) प्रबन्ध सम्बन्धी प्रविधिक अध्ययन के अखिल भारतीय बोर्ड द्वारा डा० ए० रामस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में स्थापित की गई एक समिति इस मामले की जांच कर रही है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १९३९ / ६३**]

मद्रास में तेल शोधक कारखाना

†*२३४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० व० पुरी :
डा० श्रीनिवासन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री थेनगौंडर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री २१ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में तेल शोधक कारखाने की स्थापना के स्थान के बारे में इस बीच निर्णय किया जा चुका है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). अब तक जिस दत्त-सामग्री (डेटा) की जांच की गई है उससे यह पता चलता है कि दक्षिण में एक दूसरे तेल शोधक कारखाने की आवश्यकता है। तथापि, अग्रेतर ब्यौरों की जांच की जा रही है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

†*२३५. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री गोपाल दास मेंगी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री १८ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन में प्रशासनिक सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए एक उच्च शक्ति आयोग स्थापित करने के हेतु प्रस्ताव तैयार करने में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो कितनी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : प्रशासनिक सुधारों की समस्या पर मैं अत्यन्त शीघ्र ही विचार कर रहा हूं, और इस विषय पर शीघ्र ही मैं एक वक्तव्य दूंगा।

न्यायाधीश को हटाने के लिये विधान

†*२३६. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या **गृह-कार्य** मन्त्री न्यायाधीशों को हटाने के लिए विधान के सम्बन्ध में १८ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५३-क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामले पर विचार हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). इस मामले पर विचार अभी पूरा नहीं हुआ है।

पाकिस्तान से गैस

†*२३७. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री पवन :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने पाकिस्तान सरकार से गैस का सम्भरण करने का अनुरोध किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस गैस का उपयोग किस प्रकार होगा ;

(घ) क्या पाकिस्तान सरकार ने कोई शर्तें पेश की हैं ; और

(ङ) ये शर्तें भारत को कहां तक स्वीकार हैं ?

†**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ङ). १९६० में भारत को गैस का सम्भरण करने के पाकिस्तान सरकार ने अपनी रुचि प्रदर्शित की थी। गैस की उपलब्ध मात्रा, सम्भरण सम्बन्धी बातों, गैस की उपलब्धि की अवधि, मूल्य तथा अन्य सम्बन्धित प्रश्नों पर १९६१ में विशेषज्ञों की बीच चर्चा हुई थी। क्योंकि पाकिस्तान के प्राधिकारियों द्वारा बताये गये मूल्य पर गैस खरीदना लाभदायक नहीं समझा गया था और क्योंकि पाउन्ड्स स्टर्लिंग में मूल्य का भुगतान मांगा गया था अतः प्रस्ताव फलदायक सिद्ध नहीं हो सका।

अफगानिस्तान को भारतीय पुरातत्ववेत्ता

†*२३८ श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री षवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं का एक दल अफगानिस्तान में बमियान नामक स्थान पर भेजने का विचार है जहां पर वह बुद्ध के अवशेषों की खोज तथा परिरक्षण करेगा ; और

(ख) क्या अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण करने के लिए इसी प्रकार के दलों के ईराक तथा संयुक्त अरब गणराज्य भेजे जाने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) बमियान में खुदाई सम्बन्धी तथा अवशेषों के परीक्षण सम्बन्धी कार्यक्षेत्र में कार्य करने के लिये अफगानिस्तान को पुरातत्ववेत्ताओं का एक दल भेजने का एक प्रस्ताव सरकार के सामने है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) ईराक को एक दल भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संयुक्त अरब गणराज्य के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का रक्षण

†*२३९. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मन्त्री २८ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है कि चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के अभ्यंश (कोटा) में १२$^{1}/_{2}$ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित रखे जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) यह निर्णय किया गया है कि तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी की उन सेवाओं तथा पदक्रमों में जिनमें कि बाहर से कोई भी भरती नहीं की जाती चयन करके अथवा केवल विभागीय विद्यार्थियों के लिये प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर दी जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों के लिये १२$^{1}/_{2}$ प्रतिशत स्थान तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे ।

(ख) इस विषय पर भारत सरकार के संकल्प की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १९४०/६३]**

राष्ट्रीय प्रयोगशाला

†*२४०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामचन्द्र उलाका :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हेडा :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में ही राष्ट्रीय विज्ञान संस्था की वार्षिक सामान्य बैठक में अणुशक्ति आयोग के प्रधान डा० एच० जे० भाभा द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने पर्याप्त वैज्ञानिकों की उपलब्धता के बिना राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के त रीके की आलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो नई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का आयोजन करने से पूर्व पर्याप्त संख्या के वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के कारण विश्वविद्यालयों को अपेक्षित वैज्ञानिक नहीं मिलेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) ६ अक्तूबर, १९६३ को राष्ट्रीय विज्ञान संस्था की वार्षिक सामान्य बैठक में डा० एच० जे० भाभा ने राष्ट्रीय विज्ञान संस्था के सभापति को अपनी हैसियत से कुछ टीका-टिप्पणी की थी ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

देश की विकास योजनाओं के संदर्भ में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के न्यूनाधिक विशिष्ठ क्षेत्रों में विशिष्ठ प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं की स्थापना की जाती है और प्रस्तावों की विशषज्ञों द्वारा जांच की जाती है तथा कर्मचारियों के पहलू को मिलाकर, सभी पहलुओं में, इन पर प्रस्तावों पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शासी निकाय द्वारा विचार किया जाता है । प्रस्तावों पर योजना आयोग की तालिका के वैज्ञानिकों द्वारा भी विचार किया जाता है । एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना में कई वर्ष का समय लगता है और वैज्ञानिक तथा प्रविधिक सेविवर्ग धीरे-धीरे भरती किए जाते हैं ।

कुछ उच्च विशेषीकृत क्षेत्रों में जहां कि ऐसा कार्य भारत में न किया जा सका हो, उदीयमान युवा वैज्ञानिकों को एसे क्षेत्रों में अध्ययन करने तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों को भेजने के संबंध में कार्यवाही की जाती है, और परिषद में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को भी विशेषता के कुछ विशेष क्षेत्रों में अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए विदेशों को भेजा जाता है । अधिकाधिक अर्हता प्राप्त कर्मचारी वैज्ञानिकों के पूल में से लिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियों (फैलोशिप्स) तथा स्नातक शिशिक्षुता की योजनाओं से प्रत्येक वर्ष भारी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति निकलते हैं जोकि परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में निम्न स्तरों पर कार्य करने के लिये अच्छे निपुण होते हैं और कुछ समय में उच्च स्थानों पर नियुक्त किये जाने के पात्र हो जाते हैं । १९६२ में परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में की गई भरती के विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि वैज्ञानिक तथा प्रविधिक श्रेणियों की कुल भरती में चुने गए उम्मीदवारों में ६० प्रतिशत विभागीय उम्मीदवार थे ।

नई सार्वजनिक संस्थाओं के नाम

६१९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने ऐसा आदेश निकाला था कि सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली नई सार्वजनिक संस्थाओं के नाम अंग्रेजी में न होकर हिन्दी में होंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को किसी ऐसे मामले का पता है जिसमें स आदेश का पालन नहीं किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या १२/१३/६१-ओ० एल० दिनांक २७-३-१९६२ में यह कहा गया था कि भारत सरकार की जो नई संस्थायें आदि स्थापित की जाएं उनके नाम हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं

†मूल अंग्रेजी में

में शुरू से ही रखे जायें और जब कभी भी कोई नई संस्था आदि स्थापित की जाए तो इस बात को ध्यान में रखा जाए। कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १९४१/६३**]

(ख) इस मंत्रालय को पता चला है कि कुछ नए कार्यालयों/संस्थाओं के नाम शुरू से हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं रखे गये। इस बात को संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है।

आवास योजनाओं में गैर-सरकारी बस्ती बसाने वालों का सहयोग

†६२०. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन राजधानी में मकानों की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी बस्ती बसाने वालों से सहायता लेने की एक योजना आरम्भ करने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में हिस्सा लेने वालों को किन शर्तों का प्रस्ताव किया गया है और से कार्यरूप कब तक दिया जाने वाला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

†६२१. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस समय लम्बित निर्वाचन याचिकाओं की संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: १ नवम्बर, १९६३ को लाहाबाद उच्च न्यायालय में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत तेरह प्रथम अपीलें तथा निर्वाचन याचिकाओं में दिये गये आदेशों के विरूद्ध छः याचिका लेख लम्बित थे।

मत्यु दण्ड

६२२. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति ने १९६०, १९६१, १९६२ और १९६३ में अभी तक कितने व्यक्तियों का प्राण दण्ड माफ किया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : सन् १९६० में ४७ बन्दियों का, सन् १९६१ में ८८ बन्दियों का, सन् १९६२ में ६१ बन्दियों का और चालू वर्ष की अवधि में (अर्थात् २२ नवम्बर, १९६३ तक) ४० बन्दियों का मृत्यु दण्ड आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। सन् १९६२ में एक बन्दी का मृत्यु दण्ड दस वर्ष के कठोर कारावास में बदला गया।

†मूल अंग्रेजी में

बस्तर नरेश

†*६२३. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेडा :
श्री द० वि० पुरी
श्री पू० चं० भंजदेव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बस्तर के वर्तमान नरेश ने सरकार को हाल ही में एक ज्ञापन-पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसपर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) बस्तर नरेश ने निम्नलिखित बातें उठाई हैं :—

(१) उनमें तथा उनके भाई, भतपूर्व बस्तर नरेश श्री प्रवीर चन्द्र भंजदेव के बीच सम्पत्ति का बटवारा ।

(२) श्री प्रवीर चन्द्र भंजदेव द्वारा निजी सम्पत्ति के निबटान का प्रश्न ।

(३) अवांछनीय लोगों द्वारा महल के परिसर का उपयोग ।

(ग) मामला मध्य प्रदेश सरकार के पास भेज दिया गया है ।

आंध्र के कालेजों को अनुदान

†६२५. **श्री पू० चं० भंजदेव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में विभिन्न कालेजों के नाम क्या हैं तथा तीसरी योजनावधि में अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उन्हें कितने अनुदान प्राप्त हुए हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : जानकारी संकलित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पट्टू कोट्टई में छिद्रण कार्य

†६२६. **श्री थेनगौंडर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पट्टू कोट्टई जिला थनजावूर, मद्रास राज्य, में तेल की खोज के लिये छिद्रण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये तीसरी योजना में कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) स्तरण जानकारी प्राप्त करने के लिय पट्टूकोट्टई में एक सरंचनात्मक कुएं की खुदाई २८ अक्तूबर, १९६३ को आरम्भ हुई थी। खुदाई हो रही है।

(ख) १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में अनुमानित व्यय लगभग १८ लाख रुपए है।

बडागरा (केरल) में जूनियर टेक्निकल स्कूल

†६२७. **श्री अ० व० राघवन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडागरा, केरल में एक जूनियर टेक्निकल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई स्थान चुन लिया गया है ; और

(ग) स्कूल कब चालू होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : (क) जी, हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) स्थान चुन लिये जाने तथा आवश्यक शिक्षण सुविधायें जुटा लिये जाने के शीघ्र बाद स्कूल चालू हो जायेगा।

उड़ीसा में पुस्तकालय स्कूल

†६२८. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ारा उड़ीसा सरकार को पिछले पांच वर्षों में उस राज्य में पुस्तकालय स्कूल खोलने के लिये ऋण या अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ह ; और

(ख) स्कूलों के पुस्तकालय अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा उपाय कि गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी उड़ीसा सरकार से एकत्रित की जा रही है।

उड़ीसा में सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी साहित्य

†६२९. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के क्षेत्र में उड़ीसा के प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक-विक्रेताओं को १९६१–६२, १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में अब तक कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में कुल कितनी राशि दी गई तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : (क) जी हां, १९६२–६३ में।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नव-शिक्षितों के लिये पुस्तकों/पाण्डुलिपियों की पुरस्कार प्रतियोगिताओं की योजना के अन्तर्गत उड़ीया भाषा में पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक "प्रगति पथे भारता" की १५०० प्रतियां खरीदी गई थीं और १९६२–६३ में लेखक-प्रकाशक को १२०० रुपये की राशि दी गई थी।

"पेकिंग रिव्यू" की प्रतियों का जब्त किया जाना

†६३०. श्री कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चुंगी अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश साम्यवादी दल के नाम चीन से भेजा गया एक बण्डल जब्त कर लिया है, जिसमें चीन के "पेकिंग रिव्यू" अखबार की प्रतियां थीं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं। परन्तु हाल ही में मन्त्री, भारत चीन मैत्री संगठन, शिफ्ट्न विल्ला, शिमला—के नाम भेजे गये आठ हवाई डाक के पैकेट, जिनमें "पेकिंग रिव्यू" नामक पत्रिका की आठ प्रतियां थीं, जब्त किये गये थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रियों का यात्रा भत्ता

†६३१. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री शिव मूर्ति स्वामी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्यों, राज्य मन्त्रियों तथा उपमन्त्रियों के यात्रा भत्ते १९६३ में १ अक्तूबर, १९६३ तक १९६२ के सारे वर्ष से बहुत अधिक थे ;

(ख) यदि हां, तो १९६२ में उन्हें यात्रा भत्तों के रूप में कुल कितनी राशि दी गई थी ; और

(ग) १९६३ में १ अक्तूबर, १९६३ तक यात्रा भत्तों के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस):** (क) से (ग). १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष के लिये मन्त्रिमण्डल के सदस्यों, राज्य मन्त्रियों तथा उपमन्त्रियों के दौरों का खर्चा ८,१८,८३७ रुपये था तथा १ अप्रैल, १९६३ से ३० सितम्बर, १९६३ तक ३,४२,०२५ रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में कैदी

†६३३. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रमश: १९५९ और १९६२ में दिल्ली में कितने कैदी थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : १९५९ और १९६२ में कैदियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

१९५९	६,३१३
१९६२	४,६२०

दिल्ली में नये कालेज

६३४. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आठ नये कालेज खोलने की व्यवस्था की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो वे कब तक खुल जायेंगे और उन पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) प्रस्तावित कालेज किस जगह खोले जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मू० क० छागला)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कुवैत से अशोधित तेल का आयात

†६३५. श्री प्र० चं० दरुआ :
श्री वारियर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल शोधक कारखाना निगम के प्रबन्ध निदेशक कुवैत से अशोधित तेल के आयात के प्रश्न पर बातचीत करने के लिये हाल ही में वहां गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) तेल के आयात की शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जो बातचीत हुई थी वह अन्वेषी ढंग की थी और किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचने से पहले अग्रेतर बातचीत आवश्यक होगी।

अमरीका में एक भारतीय द्वारा इलेक्ट्रानिक आविष्कार

६३७. श्री विश्राम प्रसाद : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में भौतिक विज्ञान के एक भारतीय वैज्ञानिक ने एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया है, जिसके फलस्वरूप नये किस्म के इलेट्रानिक यन्त्रों का निर्माण किया जा सकेगा, और

(ख) यदि हां, तो उस आविष्कार की खास बातें क्या हैं तथा सामाजिक जीवन में उसका क्या महत्व है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) और (ख). जी हां, 'डीहास वान् अल्केन इफैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध 'प्रभाव' की तरह का ही एक 'प्रभाव' देखा गया है जो कम तापमानों पर मैगनेटो स्ट्रिक्शन और ओसिलेशन का एक अन्य तरीका उपलब्ध करता है। यह बताया गया है कि इस नये 'प्रभाव' में, आकार परिवर्तन, बढ़ते हुए चुम्बकीय क्षेत्र के साथ पीरियोडिक ओसिलेशन को दिखलाता है।

यह खोज इलेक्ट्रानिकीय साधनों के लिए नयी स्रोत सामग्रियां उपलब्ध कर सकती हैं लेकिन अभी इलेक्ट्रानिक उद्योग और सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के बारे में कुछ भी कहना सामयिक नहीं होगा।

खेलकूद जांच समिति की रिपोर्ट

†६३८. श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या शिक्षा मन्त्री २८ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५० के उत्तर के सम्बन्ध में में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोम ओलम्पिक में भारतीय टीम के खेलों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जाने पर इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) आगामी ओलम्पिक खेलों में भारतीय टीम की विजय सुनिश्चित करने के लिये क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

†शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) और (ख). समिति द्वारा एकत्रित साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और उस पर अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् विचार करेगी। इस बीच भारत तथा विदेशों में खेल प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण के लिये भारतीय ओलम्पिक संघ तथा अन्य सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल कूद संघों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी में प्रयोग सम्बन्धी समिति

६३९. { श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालगोविन्द वर्मा : }

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री १८ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग का पुनरीक्षण करने के लिये बनाई गई समिति की अब तक कुल कितनी बैठकें हुई हैं ; और

(ख) उन्होंने अपने कार्य की गति बढ़ाने के लिये अभी तक कौन से ठोस कदम उठाये हैं ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). कमेटी का काम है उन उपायों में समन्वय लाना जो कि विभिन्न मन्त्रालयों ने गृह मन्त्रालय में कार्यालय ज्ञापन संख्या १६/७/६१ ओ० एल० दिनांक २७ मार्च, १९६१ (परिशिष्ट १) में दिये गये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए हाथ में लिये हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १९४२/६३**] कमेटी की अब तक दो बैठकें हुई हैं । इन बैठकों में कमेटी ने इस कार्यक्रम की प्रगति का पुनरावलोकन किया और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने तथा अधिक समन्वय लाने के लिए कुछ सुझाव दिये ।

ग्राम्य शिक्षा

†६४०. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह २८ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिये महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : (क) योजना अभी विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली के न्यायालयों में लम्बित मामले

†६४१. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९६३ तक दिल्ली के न्यायालयों में लम्बित मामलों की कुल संख्या क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन्हें शीघ्रता से निबटाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) ६६,२९३ ।

(ख) लम्बित मामलों का निबटारा करने के लिये एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा १२ मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं ।

दिल्ली में अंग्रेजों की प्रतिमायें

६४२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री कछवाय :
श्री ऊटिया :
श्री भू० ना० मण्डल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में जो अंग्रेजों की प्रस्तर प्रतिमायें लगी हुई हैं; उन्हें हटाने के काय में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) कब तक ये सब प्रस्तर प्रतिमायें पूरी तरह हटा दी जायेंगी ;

(ग) इन के स्थान पर क्या किन्हीं भारतीय नेताओं की प्रस्तर प्रतिमायें लगाने का भी निश्चय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) किंग जार्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की दो और प्रतिमायें राष्ट्रपति भवन में थीं उन्हें हटा दिया गया है ।

(ख) जैसे ही कि उन के रखने के लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो जायगा ।

(ख) और (घ). जिन स्थानों से विदेशियों की प्रतिमायें हटायी गयी हैं, उन पर भारतीय नेताओं की प्रतिमायें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

खनन साथों की तलाशी

†६४३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर और अक्तूबर, १९६३ में भीलवारा, उदयपुर और जोधपुर क्षेत्रों में कतिपय खनन साथों की तलाशी ली गई थी और पुस्तकें तथा दस्तावेज बरामद किये गये थे; और

(ख) क्या ऐसी शिकायतें आई हैं कि इन तलाशियों के दौरान तथा बाद में अनावश्यक रूप से परेशान किया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनबीस)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निकोबार में सुपारी का मूल्य

४/~ †६/४. { श्रीमती सावित्री निगम
श्री महेश्वर नायक

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार निकोबार व्यापार समवाय तथा नानकौरी व्यापार समवाय, जो निकोबार द्वीप-समूह में लाइसेंस प्राप्त व्यापारी हैं, निकोबार द्वीप समूह में किन मूल्य पर सुपारी ख ीदते हैं; और

(ख) ये लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी अन्दमान द्वीपसमह में जनता को बेचे जाने के लिय मैसर्स जाडवेत व्यापार समवाय, केन्द्रीय सहकारी कल्याण संस्था लिमिटेड तथा पोर्ट ब्लेयर के अन्य अनुमोदित व्यापारियों को किन मूल्यों पर सुपारी बचते हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) कार निकोबार व्यापार समवाय तथा नानकौरी व्यापार समवाय २.२० रुपये प्रति किलो की दर पर सुपारी ख ीदते हैं।

(ख) वे पोर्ट ब्लेयर में केवल मैसर्स जाडवेत व्यापार समवाय को ३.७५ रुपये प्रति किलोग एफ० ओ० बी० कार निकोबार / नानकौरी की दर पर सुपारी बेचते हैं।

पोर्ट ब्लेयर में सिविल जज

†६४५. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में पोर्ट ब्लेयर में सिविल जजों के नाम क्या हैं और उन में से प्रत्येक का आर्थिक क्षेत्राधिकार कितना है; और

(ख) १९६२ में उन में से प्रत्येक ने कितने दीवानी मुकदमों का फैसला किया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री) : हजरनवीस** (क) और (ख) :

पोर्ट ब्लेयर में सिविल जजों के नाम	अवधि	आर्थिक क्षेत्राधिकार	फैसला किये गये दीवानी मुकदमे
१. श्री बी० के० हालवे (जिला न्यायाधीश)	जनवरी, १९६२ से दिसम्बर, १९६२	असीमित	३२
२. श्री जे० एस० पांडे (अधीनस्थ न्यायाधीश)	जनवरी, १९६२ से २८ दिसम्बर, १९६२	१००० रु०	१९
३. श्री के० अरविन्दक्षण (अधीनस्थ न्यायाधीश)	जनवरी, १९६२ से सितम्बर, १९६२	५०० रु०	३३
४. श्री लच्छमन सिंह (अधीनस्थ न्यायाधीश)	अक्तूबर, १९६२ से दिसम्बर, १९६२	५०० ०	१३
५. श्री वीरेन्द्र प्रकाश (अधीनस्थ न्यायाधीश)	२९ दिसम्बर, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२	१००० रु०	कोई नहीं

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी

†६४६. श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ के पढ़ाई वर्ष में ब्रिटिशविश्व विद्यालयों में शिक्षा पा रहे पूर्णकालिक भारतीय विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) उन में से कितने विद्यार्थी उसी अवधि में आक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार १९६१–६२ में ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की कुल संख्या १८६३ थी।

(ख) इन में से आक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में पढ़ने वालों की संख्या क्रमशः ६३ और ६८ थी।

अन्दमान में उपभोक्ता सहकारी स्टोर

†६४७. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिये अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा उत्तरी तथा मध्य अन्दमान में कोई उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोले गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) जी हां। ११ स्टोर खोले गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टीपू संग्रहालय, श्रीरंगापटम्

†६४८. श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में श्रीरंगापटम् में बनाई जाने वाली एक इमारत में "टीपू संग्रहालय" नामक संग्रहालय खोलने का विचार है;

(ख) उस संग्रहालय में किस प्रकार की **वस्तुयें** रखने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उन वस्तुओं में समकालीन इतिहास की अन्य चीजें भी सम्मिलित की जायेंगी; और

(घ) संग्रहालय की इमारत के निर्माण की अनुमानित लागत क्या होगी ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) संग्रहालय पहले से ही है। वस्तुओं के रखे जाने के लिये एक नई इमारत बनाने का विचार है।

(ख) टीपू सुल्तान से सम्बन्धित वस्तुयें जैसे कि उस के कुटुम्बियों के चित्र, लिबास, व्यक्तिगत वस्तुयें, सिक्के, छोटे आकार के चित्र, उस से सम्बन्धित दस्तावेजों की फिल्मी प्रतियां और उस के जीवन पर प्रकाश डालने वाले अन्य अवशेष।

(ग) जी हां।

(घ) लगभग ३ लाख रुपये।

जापान से तेल की इस्पात की नलियों की खरीद

†६४९. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी }

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल कम्पनी के लिए तेल की इस्पात की नलियां जापान से खरीदी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के लिए करार पर हस्ताक्षर किया गया है; और

(ग) क्या ये नलियां नकद या उधार खरीदी जायेंगी ?

†**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी हां। ४" और ६" व्यास की पाइपलाइन्स भारतीय तेल कम्पनी के लिए जापान से खरीदी जा रही हैं।

(ग) भारतीय तेल कम्पनी नकद भुगतान करेगी।

दिल्ली के न्यायालय

६५०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के न्यायालयों ारा समन या नोटिस अंग्रेज़ी या हिंदी में जारी नहीं किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन के अंग्रेजी या हिन्दी में कब से जा ी किये जाने की आशा है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) दिल्ली की फौजदारी और रेवेन्यु अदालतें सम्मन हिन्दी और उर्दू में तथा नोटिस केवल उर्दू में जारी कर रही हैं। इन न्यायालयों ने

---

†मूल अंग्रेजी में

अंग्रेजी में सम्मन जारी करना बन्द कर दिया है। सिविल और सेशन कोर्ट जो पंजाब हाई कोर्ट के अधीन हैं, सम्मन और नोटिसों को साधारणतया अंग्रेजी और उर्दू में जारी कर रही हैं।

(ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन द्वारा हिन्दी में भी नोटिस छपवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। दिल्ली की सिविल और सैशन कोर्टों में प्रयोग किये जाने वाले सम्मन और नोटिसों के हिन्दी अनुवाद को पंजाब हाई कोर्ट के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। हाई कोर्ट से अनुमोदित होने के बाद हिन्दी परिपत्रों का भी प्रयोग किया जायेगा।

औद्योगिक प्रबन्धक संग्रह

†६५१. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में औद्योगिक प्रबन्ध संग्रह में कितने व्यक्तियों को भरती किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : पांच।

दिल्ली में अश्लील साहित्य की बिक्री

†६५२. **श्री कछवैया** :
श्री बूटा सिंह :
श्री बड़े :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कनाट सर्कस की दुकानों में खुले आम और अक्सर अश्लील साहित्य की बिक्री रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन ने कोई कदम उठाया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : यह बात गलत है कि कनाट सर्कस की दुकानों में अश्लील साहित्य खुले आम बिक रहा है। फिर भी पटरी के दुकानदारों द्वारा ऐसा साहित्य बेचे जाने के कुछ मामलों का पता लगा है। ऐसे साहित्य की बिक्री का पता लगाने और उसे रोकने के लिये पुलिस समय समय पर छापा मारती है।

विदेशी छात्रवृत्तियां

†६५३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में भतपूर्व वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में विदेशों से (प्रत्येक देश से) कितनी कितनी छात्रवृत्तियां भारतीय छात्रों को मिली गयीं;

(ख) उसी अवधि में हमारे राष्ट्रजनों ने (राज्यवार) उन में कितनी छात्रवृत्तियों का वास्तव में उपयोग किया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विदेशों में भेजे गये कितने व्यक्ति अपनी पढ़ाई के बाद भारत लौट आये हैं और १९६०-६१ से १९६२-६३ तक उनमें से कितने व्यक्तियों ने विदेशों में नौकरियां मंजूर कर ली हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : (क) १०५२ । प्रत्येक देश और वर्ष के अनुसार आंकड़े अनुबन्ध 'क' में दिए हुए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-१९४३/६३]**

(ख) ७७९ । प्रत्येक राज्य और वर्ष के अनुसार आंकड़े अनुबन्ध 'ख' में दिए हुए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-१९४४/६३]**

(ग) १९६०-६१ से १९६२-६३ तक २६६ व्यक्ति अपनी पढ़ाई के बाद वापस लौट आये हैं और किसी ने भी विदेशों में नौकरी मंजूर नहीं की है ।

चीनी बन्दी

†६५४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री १४ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन चीनी बन्दियों ने भारत में रहने की इच्छा व्यक्त की थी उन में से कितनों को यहां बसने की इस बीच अनुमति दी गयी है ; और

(ख) कितनों को सुरक्षा के कारण ऐसी अनुमति नहीं दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख) अभी इस विषय पर विचार हो रहा है ।

दिल्ली पुलिस

६५५. **श्री तरजू पाण्डेय** : क्या गह-कार्य मंत्री ४ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली पुलिस को अधिक सशक्त बनाने के लिये जो प्रस्ताव विचाराधीन था, उस पर इस बीच क्या निर्णय हुआ है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : यह मामला अभी विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश में उर्दू विश्वविद्यालय

६५६. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में एक उर्दू विश्वविद्यालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय आयोग का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षा

†६५७. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली में ७ अक्तूबर, १९६३ से आरम्भ हुई छः दिन की प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के विकास के लिए एक अखिल भारतीय योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस योजना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यदि कोई निश्चय किये हों तो वे क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) जी हां ।

(ख) गोष्ठी ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने की योजना प्रस्तुत की थी ताकि उन की निकासी नये शिक्षकों की वार्षिक मांग के बराबर हो जाय । अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या शीघ्र ही कम करने और प्रशिक्षण संस्थाओं की किस्म सुधारने के कार्यक्रम भी उस ने प्रस्तुत किये हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों में ही इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में भी गोष्ठी ने कुछ योजनायें प्रस्तुत की हैं ।

(ग) गोष्ठी की सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

नयी अखिल भारतीय सेवाएं

†६५८. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नयी बनायी गयी अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनक्रम, संख्या और भरती के तरीके के सम्बन्ध में क्या निश्चय किये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : नयी अखिल भारतीय सेवाओं के ब्यौरों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

फास्फेट और कार्बनेट के निक्षेप

†६५९. श्री अ० ब० राघवन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कदीव द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र में फास्फेट और कार्बनेट के भारी निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां ।

(ख) विस्तृत अध्ययन करने के लिए भारतीय खान कार्यालय के एक सर्वेक्षण दल को उस द्वीपसमूह में भेजा गया है । जब वह दल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उस के बाद ही इन खनिजों को निकालने के लिए कोई कार्रवाई की जायेगी ।

दिल्ली में मकानों का गिरना

†६६०. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री उमानाथ :
श्री हेडा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष आज तक राजधानी में मकान गिरने की कितनी दुर्घटनायें हुई और उन के कारण क्या थे ;

(ख) उन से कितनी जान माल की हानि हुई ; और

(ग) बार बार ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या किन्हीं सुरक्षा उपायों पर सरकार विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) ५० (१-१-१९६३ से १०-११-१९६३ तक) । मकान गिरने के मुख्य संभावित कारण इस प्रकार हैं :—

(१) भारी वर्षा

(२) अचानक

(३) पुरानी इमारतें ।

(ख) १५ आदमी मर गये और ७७ व्यक्तियों को चोट पहुंची । अन्य किसी हानि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) खतरनाक मकानों को हटाना दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ३४८ के अनुसार दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है । यह निगम जिस के क्षेत्र में ये मकान गिरे हैं, हर साल बरसात शुरू होने से पहले खतरनाक मकानों का सर्वेक्षण करता है । यदि मकान खतरनाक स्थिति में पाये जाते हैं, तो खतरनाक हिस्सों को गिरा दिया जाता है और जिन की मरम्मत हो सकती है ऐसे मकानों के मालिकों या उन में रहने वालों को उन की मरम्मत करने के लिए कहा जाता है ।

आई० ए० एस० पदाधिकारी

†६६१. **श्री महेश्वर नायक : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीकृत संख्या के मुकाबले में कुल कितने आई० ए० स० पदाधिकारी सम्पूर्ण भारत में नियुक्त हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नियमित भरती और पदोन्नति से सालाना कितने पदाधिकारी इस पदालि में आते हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) सेवा में नियुक्त आई० ए० एस० अफसरों की कुल संख्या १९८२ है और उनकी स्वीकृत संख्या २२७८ है ।

(ख) नियमित भरती के द्वारा सालाना ९० अफसरों को लिया जाता है । पदोन्नति द्वारा भरती प्रत्येक राज्य की पदालि में पदोन्नति कोटा में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर निर्भर होती है । १-१-६३ से ११-११-६३ तक पदोन्नति द्वारा सेवा में लिये गये पदाधिकारियों की संख्या २७ है ।

रेडियो सक्रियता द्वारा तेल और अयस्क निक्षेपों का पता लगाना

†६६२. { श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सोवियत संघ में एक ऐसा औजार तैयार किया गया है जिस से रेडियो सक्रियता द्वारा तीन किलोमीटर की गहराई तक तेल और अयस्क का पता लगाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां तो क्या देश में तेल और खनिज निकालने में इस औजार का उपयोग करने का सरकार का विचार है ?

†पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) (क) और (ख). ज्ञात हुआ है कि सोवियत संघ तथा अन्य देशों में गामा-किरणों की तीव्रता की पैमाइश से तेल क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयोग किये गये हैं । प्राकृतिक गैस आयोग ने भी गुजरात के कुछ प्रसिद्ध तेल क्षेत्रों के ऊपर रेडियो सक्रियता की कुछ पैमाइश की है । इस तरीके का अभी प्रयोग किया जा रहा है और भारत में तेल की खोज के लिए इस का प्रयोग करने का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता ।

सांस्कृतिक शिष्टमंडल

†६६३. श्री महेश्वर नायक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में कितने सांस्कृतिक शिष्टमंडल विदेश भेजे गये या भेजे जाने वाले हैं ; और

(ख) इन शिष्टमंडलों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी और की जाने वाली है ?

†शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) क्रमशः १५ और ९ ।

(ख) क्रमशः ३,२०० रुपये और २५,९६० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विकास खंड

†६६४. **श्री कपूर सिंह :**
श्री नरसिंह रेड्डी :
श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की उन्नति के लिए कितने विकास खंड चालू किये जाने वाले थे ; और

(ख) सितम्बर, १९६३ तक कितने ऐसे खंड चालू किये जा चुके हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग ४५० आदिम जाति विकास खंड चालू करने का विचार है ।

(ख) सितम्बर, १९६३ तक वास्तव में चालू किये गये आदिम जाति विकास-खंडों की ठीक ठीक संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है । यह मालूम की जा रही है । फिर भी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर यह मालूम हुआ है कि ३१-३-६३ तक ६९ आदिम जाति विकास खंड चालू किये गये थे ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†६६५. **श्री कपूर सिंह :**
श्री नरसिंह रेड्डी :
श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की उन्नति के प्रश्न पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदान

†६६६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए राज्यों को अतिरिक्त अनुदान देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान दिया जाने वाला है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि इस अतिरिक्त अनुदान के लिए केरल राज्य को सूची से निकाल दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—१९४५/६३]

(ग) और (घ). राज्यवार सहायता ६ से ११ वर्ष तक के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर दी गयी है । इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य केरल पहले ही पूरा कर चुका है ।

पिछड़ेपन की कसौटियां

†६६८. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री पिछड़ापन निर्धारित करने की कसौटियों के बारे में २१ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाकी राज्यों के उत्तर इस बीच प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) विपरीत विचारधारा वाले राज्य कौन कौन से हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) और (ख). मद्रास सरकार ने इस बीच सूचित किया है कि ग्यारहवें दर्जे तक फीस माफ करने के लिए उसने आर्थिक कसौटी को स्वीकार किया है । दूसरे राज्यों में इस मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

मुख्य न्यायाधिपतियों का सम्मेलन

†६६९. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुख्य न्यायाधिपतियों के सम्मेलन की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गयी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गयी थी, वे इस प्रकार हैं :—

उच्च न्यायालयों में बकाया काम, उच्च न्यायालयों की संख्या, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें, उच्च न्यायालयों की वित्तीय शक्तियां, उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, अधीनस्थ न्यायालयों में बकाया काम, अधीनस्थ न्यायालयों की प्रशासनिक कार्य-प्रणाली में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों का नियंत्रण, कार्यपालिका को न्याय-पालिका से अलग करना और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का निर्माण ।

†मूल अंग्रेजी में

बच्चों के गांव

६७०. श्री मोहन स्वरूप : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित सलाहकार समिति ने १९६६ तक भारत में बच्चों के तीन गांव स्थापित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ; और

(ग) ये गांव कहां कहां बनाये जायेंगे और उन पर कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बाल कल्याण के लिए नियुक्त सलाहकार समिति ने देश में तीन बाल-ग्राम स्थापित करने का सुझाव दिया है । यह सिफारिश इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सेनेटों और सिंडीकेटों के लिए अध्यापकों का निर्वाचन

६७१. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय आयोग ने सेनेट, सिण्डीकेट आदि में शिक्षकों को स्थान देने के लिए निर्वाचन पद्धति का वि ोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बावजूद कुछ विश्वविद्यालयों में निर्वाचन पद्धति विद्यमान है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई दीवान आनन्दकुमार समिति ने भी इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिया है और यदि हां, तो क्या ; और

(घ) क्या किसी विश्वविद्यालय में उपकुलपति की नियुक्ति भी निर्वाचन से होती है और यदि हां, तो कहां और किस रूप में ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश यह थी कि सभी विभागाध्यक्ष और सभी कालेजों के प्रिंसिपल सीनेटों के सदस्य होने चाहिए । यदि यह संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाए, तो निर्धारित संख्या तक ही सदस्यों को सीमित रखने के लिए, चुनाव से नहीं, बल्कि बारी-बारी से सदस्य बनाने चाहिएं ।

संकायाध्यक्ष सिंडीकेट के पदेन सदस्य होंगे, किन्तु निर्धारित संकायों से अधिक संकाय होने पर छोटे संकायों के अध्यक्ष बारी-बारी से चुने जाने चाहिएं और यदि निर्धारित संकायों से कम संकाय हों, तो निर्धारित संख्या को पूरा करने के लिए विद्या-परिषद् द्वारा उन प्रोफेसरों को जो विभागाध्यक्ष हों, चुना जाना चाहिए ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी हां । समिति का यह सुझाव था कि विश्वविद्यालय और कालेज समितियों और सोसाइटियों मे चुनाव यथासम्भव कम से कम होने चाहिएं और अध्यापकों की अशैक्षिक जिम्मे-दारियां जहां भी व्यावहारिक हों, किसी क्रमिक पद्धति और नामजदगी, के अनुसार सौंपी जानी चाहिए ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-[illegible] रख दी जाएगी ।

पंजाब के स्कूलों तथा कालिजों के लिए ऑडिटोरियम

†६७२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में अब तक पंजाब में विभिन्न स्कूलों तथा कालिजों में आडिटोरियमों के निर्माण के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : (क)

			रु०
		१९६२–६३	६३,९९८
		१९६३–६४	१४,०००

(ख)

संस्था का नाम	वर्ष जिसमें परियोजना मंजूर की गई थी	कुल स्वीकृत अनुदान	१९६२–६३ तथा १९६३–६४ में स्वीकृत धनराशि
		रु०	रु०
एस० डी० कालिज, बरनाला	१९६०–६१	३५,०००	१९,००० (१०,००० रु० दूसरी किस्त के रूप में तथा ९,००० रु० तीसरी किस्त के रूप में)
एम० एल० नेशनल कालिज, यमुनानगर	१९५९–६०	३४,९९८	१९६२–६३ ४,९९८ रु० चौथी तथा अन्तिम किस्त
आत्मा राम कुमार सभा हायर सेकेन्डरी स्कूल पटियाला	१९६०–६१	३५,०००	१९६२–६३ १२,००० दूसरी किस्त
देव समाज हाई स्कूल, रामपुरफूल	१९६०–६१	३५,०००	१९६२–६३ ९,००० तीसरी किस्त
बी० एच० आर० (रावलपिंडी) एस० डी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, शंकर (जालंधर)	१९६०–६१	२३,२०८	१९६२–६३ ८,००० दूसरी किस्त
एम० डी० ए० एस० हायर सेकेन्डरी स्कूल, मोगा	१९६०–६१	३५,०००	१९६२–६३ ११,००० तीसरी किस्त
एस० डी० कुमार सभा गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, पटियाला	१९६०–६१	३५,०००	१९६३–६४ ९,००० दूसरी किस्त
गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, मंसा (भटिण्डा)	१९६०–६१	३५,०००	१९६३–६४ ५,००० चौथी तथा अन्तिम किस्त

†मूल अंग्रेजी में

अस्पृश्यता

†६७३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सब राज्यों के सरकारी कार्यालयों को अस्पृश्यता निवारण के बारे में कोई परिपत्र भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी गलती करने वाले सरकारी कर्मचारी को इस बारे में दण्ड दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां । ८ दिसम्बर, १९६१ को भारत सरकार के कार्यालयों को एक परिपत्र भेजा गया था । ९ दिसम्बर, १९६१ को राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा गया था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि वे भी ऐसी हिदायतें जारी कर दें ।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के बच्चों को रियायतें

†६७५. **श्री बसुमतारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के बच्चों को, उनके माता-पिता की आय की अन्तिम सीमा को ध्यान में न रखते हुए, सरकार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा सम्बन्धी तथा अनेक अन्य रियायतें मिल सकती हैं, ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) और (ख). मैट्रिकोत्तर छात्र-वृत्तियां देने के बारे में, जो कि एक मात्र ऐसी शिक्षा योजना है , जिसका वित्तपोषण पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा किया जाता है, अनुसूचित जातियों के लोगों के बच्चों के मामले में उनके माता-पिता की आय को ध्यान में रखा जाता है। अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि इस समय ऐसा करना उपयुक्त नहीं समझा जाता ।

पुस्तकालय विज्ञान संस्था, दिल्ली

†६७६. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुस्तकालय विज्ञान संस्था, दिल्ली के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश मिला ;

(ख) भारत में इस प्रकार की संस्थाओं की कुल संख्या क्या है

(ग) राज्य सरकारों की ओर से पुस्तकालय विज्ञान संस्था, दिल्ली को गत तीन वर्षों में कितने पुस्तकाध्यक्ष भेजे गये ; और

(घ) उक्त पुस्तकाध्यक्षों को इस संस्था में क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) २१५ ।

(ख) एक ।

(ग) २५ ।

(घ) राज्यों द्वारा भेजे गये व्यक्तियों को शिक्षण फीस की छूट दी गई थी । इसके अतिरिक्त, होस्टल के खर्चे के रुप में उनमें से प्रत्येक को २३५ रु० दिये गये थे ।

अदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी स्कूल

†६७७. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा, त्रिपुरा तथा मनीपुर के आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी स्कूलों की संख्या क्या है ;

(ख) आदिवासी भाषाओं में आदिवासी क्षेत्रों के लिये विशेष रूप से तैयार की गई पाठ्य-पुस्तकें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार की नीति आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को कम से कम प्राथमिक स्तर तक आदिवासी भाषाओं में शिक्षा देने की है ; और

(घ) क्या यह सच है कि वहां पर अधिकांश स्कूलों में तीसरी कक्षा से अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है जब कि प्राथमिक स्कूलों में हिन्दी सीखना अनिवार्य नहीं है ?

†शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला): (क) से (घ). संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आदिवासी बोलियों में अनुसन्धान

†६७८. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाने वाली अनेक बोलियों में, उनके वास्तविक जातिगत तथा भाषात्मक सम्बन्धों का पता लगाने की दृष्टि से, उच्च अनुसन्धान करने के बारे में कोई पग उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे बोलियां अथवा भाषायें क्या हैं जिनके सम्बन्ध में ऐसे अध्ययन किये जा रहे हैं ?

†शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित आदिम जातियां

†६७९. श्री ब० बं० सोय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसिस्टेंट ग्रेड के रिक्त स्थानों में १९५९ में अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितने पद रिजर्व थे ;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कितने अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की तथा कितनों ने पद स्वीकार कर लिये तथा कितने पद अभी भी रिक्त हैं ; और

(ग) क्या शेष रिक्त पदों को भरने के लिए कोई और परीक्षा हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) और (ख) स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० १९४६/६३**]

(ग) जी हां। दिसम्बर, १९६३ में।

भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा

†६८१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा का गठन अन्तिम रूप से हो चुका है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी चिकित्सा कालिज के प्रोफैसरों को सेवा में शामिल नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा किन राज्यों में प्रोफैसरों को सेवा में शामिल नहीं किया जा रहा है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के ब्योरों पर विचार किया जा रहा है।

पटना उच्च न्यायालय

†६८५. **श्री द्वा० ना० तिवारी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शैल्पिक मामलों तथा संस्थाओं के संबंध में बहुत से मामले पटना उच्च न्यायालय के सामने बहुत दिनों से लम्बित हैं?

(ख) यदि हां, तो कितने;

(ग) इनको निबटाने में कितना समय लगने की आशा है; और

(घ) क्या लम्बित मामलों को निबटाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने का विचार है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) से (घ) जानकारी मंगाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तेल समवाय

†६८६. **श्रीमती रेणुचक्रवर्ती**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी तेल समवायों के अपनी शोधन क्षमता बढ़ाने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

†**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वभारती विश्वविद्यालय की ग्रामीण संस्था

†६८७. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वभारती विश्वविद्यालय में ग्रामीण संस्था बन्द होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त संस्था के कार्यवहन पर विद्यार्थियों का असंतोष अभी भी बना हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : (क) श्रीनिकेतन में ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्था बन्द कर दी गई थी और बाद में ३१ अगस्त, १९६३ से खत्म कर दी गई ।

(ख) बन्द करने का कारण ग्रामीण संस्था में कुछ विद्यार्थियों द्वारा अनुशासनहीनता थी ।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में प्राकृतिक संसाधन

†६८८. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री २८ अगस्त १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने में कितनी प्रगति हुई ; और

(ख) अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

†**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) खम्भात की खाड़ी के रेतीले तट जो नीची लहरों की अवधि के अतिरिक्त पानी में डूबा रहता है में खोज कार्य हो रहा है ।

(ख) नर्बदा नदी के मुंहाने पर अलियोबर द्वीब के निकट कुछ चिह्न मिले हैं । अग्रेतर अध्ययन हो रहा है ।

महाराष्ट्र राज्य में आदिम जाति के व्यक्ति

†६८९. **श्रीमती ऐणु चक्रवर्ती** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से बाहर रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति गृह मंत्री से मिले थे और महाराष्ट्र राज्य में आदिम जातियों की शिकायतों का एक ज्ञापन उनको दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित क्षेत्र से बाहर रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 'अन्य पिछड़े वर्ग' माना जाता है ; और

(ग) उनके ज्ञापन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) से (ग) विदर्भ के आदिम जातियों की ओर से एक ज्ञापन मिला था कि उनको अनुसूचित जाति का घोषित किया जाये । इन आदिम जातियों को राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग समझा जा रहा है । उनको अनुसूचित आदिम जाति घोषित करने के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्यनिषेध प्रचार केन्द्र, दिल्ली

†६९०. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री दे० जी० नायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मद्य निषेध प्रचार केन्द्रों के बन्द हो जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(१) पूंछ के निकट हुई भारतीय वायु सेना के हेलीकोप्टर की दुर्घटना

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हुं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "२२ नवम्बर, १९६३ को पुंछ के निकट हुई भारतीय वायु सेना के हेलीकाप्टर की दुर्घटना जिसके फलस्वरूप सशस्त्र सेनाओं के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों की मृत्यु हो गयी ।"

† **प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : २२ नवम्बर, १९६३ को जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ़, पश्चिमी कमान, लैफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह तथा एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीज़, पश्चिमी हवाई कमान, एयर वाईस-मार्शल ई० डब्ल्यू० पिन्टो पुंछ क्षेत्र में निरीक्षण संबंधी यात्रा करने जा रहे थे। यह दोनों पदाधिकारी एक डकोटा जहाज में विमान द्वारा १० बजकर २५ मिनट पर दिल्ली से पुंछ पहुंचे थे। एयर कमाडोर सूरत सिंह, एयर आफिसर कमांडिंग, जम्म तथा काश्मीर और लैफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, कोर कमांडर भी, उसी दिन एक डकोटा विमान द्वारा ९ बजकर ४० मिनट पर अधमपुर से पुंछ पहुंचे थे। डिवीजनल कमांडर, मेजर जनरल नानावती, फ्लाइट-लेफ्टिनेंट सोडी के साथ, उसी दिन सुबह हेलीकोप्टर द्वारा पुंछ पहुंचे । ब्रिगेडियर ओबराय पहले ही वहां उपस्थित थे । फ्लाईट-लैफ्टिनेंट ललवानी भी उसी दिन एक अन्य हेलीकोप्टर द्वारा १० बजकर ५५ मिनट पर पुंछ पहुंचे ।

जनरल आफिसर पुंछ की निकटवर्ती कुछ चौकियों का निरीक्षण करना चाहते थे । फ्लाईट लैफ्टिनेंट सोडी १९ नवम्बर, १९६३ को उन चौकियों की टीह लगा चुके थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह दल जब निरीक्षण के लिये रवाना हुआ तो एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ को फ्लाईट लैफ्टिनेंट सोडी से पूछने पर मालूम हुआ कि, झालास में, जहां उन्हें जाना था, दोनों हेलीकोप्टर एक साथ नहीं उतर सकते थे। इस के पश्चात दोनों पदाधिकारियों ने निश्चय किया कि अपनी यात्रा के प्रथम भाग में वह सब केवल एक ही हेलीकोप्टर का प्रयोग करेंगे, और दूसरे स्टेशन, सूरनकोट, पहुंच कर वह दो हेलीकोप्टरों में विभक्त हो जायेंगे। तदनुसार, दूसरे हेलीकोप्टर को, जिस के कैप्टन फ्लाईट लैफ्टिनेंट ललवानी थे, आदेश दिया गया कि वह एयर कमोडोर सूरत सिंह को ले कर दूसरे स्टेशन पर पहुंचे और वहां पहुंच कर अन्य अधिकारियों की प्रतीक्षा करें। अन्य पदाधिकारी हेलीकोप्टर द्वारा प्रथम स्टेशन पर गए और वहां काम समाप्त कर दूसरे स्टेशन की ओर बढ़े जो वहां से लगभग १५ मील की दूरी पर था। उन के हेलीकोप्टर की पुंछ नदी के साथ साथ उड़ान करनी थी। लगभग ३ मिनट तक उड़ान करने के पश्चात हेलीकोप्टर नदी की दाहिनी ओर घूम गया, जब, ऐसा प्रतीत होता है, कि वह दो साथ साथ जाने वाली तार की लाईनों में चला गया, जो नदी के आर पार लगी हुई हैं। यह तारें दो स्तम्भों के साथ लगी हुई हैं जिन में से एक स्तम्भ नदी की एक ओर नदी तल से ३०० फीट ऊंचा है और दूसरा स्तम्भ नदी की दूसरी ओर १०० फीट ऊंचा है। ऐसा प्रतीत होता है, कि हेलीकोप्टर इन तारों के साथ २००-२५० फीट की ऊंचाई पर टकरा गया, और जहां यह उन तारों से टकराया वहां से लगभग ४०० गज़ की दूरी पर नदी तल में जा गिरा।

फ्लाईट लैफ्टिनेंट सोडी, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकोप्टर के कैप्टन थे, बहुत अनुभवी चालक थे और जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र की जानकारी रखते थे। यह स्पष्ट है कि १६ नवम्बर को जब वह इस क्षेत्र में टोह लगाने गए तो उन्होंने इन तारों को नहीं देखा था।

मार्च, १९५३ में सेना मुख्य कार्यालय में स्थायी आदेश जारी किये गये थे कि एक निश्चित संख्या से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारी एक विशेष विमान में यात्रा न करें। इन आदेशों के अनुसार डकोटा विमान में मेजर-जनरल और इससे उच्च पद के अधिकारी केवल तीन और डैवन विमान में मेजर जनरल और इस से उच्च पद के अधिकारी केवल दो ही यात्रा कर सकेंगे, और इन दोनों में से किसी विमान में भी सी-इन-सी तथा सी०जी०एस० इकट्ठे यात्रा नहीं करेंगे। इस प्रकार का प्रतिबन्ध उस समय के राष्ट्रपति के सुझाव पर तब लगाया गया था जब कि चार वरिष्ठ सेना अधिकारियों के साथ एक डेवन विमान की, दुर्घटना हो जाने के परिणामस्वरूप, मजबूरी में, कहीं उतरना पड़ा था। साथ ही साथ बड़े बड़े असैनिक तथा सेना अधिकारियों की विमान द्वारा यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में, वर्ष १९५४ में, विस्तृत रूप से निरीक्षण किया गया और यह निश्चय किया गया कि इस मामले में कोई निश्चित नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। विमान द्वारा यात्रा को तुलनात्मक दृष्टि से सुरक्षित समझा गया। इस के बावजूद भी सेना मुख्य कार्यालय द्वारा जारी की गयी वह हिदायतें बराबर अस्तित्व में रहीं।

यद्यपि यह हिदायतें हेलीकोप्टर द्वारा यात्रा पर लागू नहीं होतीं, तथापि जब यह अधिकारी पुंछ में थे तो इन हिदायतों के पीछे जो उद्देश्य है वह इन के मन में अवश्य था। पुंछ में दो हेलीकोप्टर भी उपलब्ध थे परन्तु स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि दोनों हेलीकोप्टर एक साथ निरीक्षण करने वाले स्थान पर नहीं उतर सकते थे। अगले स्टेशन से उन का विचार दो हेलीकोप्टरों द्वारा अलग अलग यात्रा करने का था। सम्बद्ध क्षेत्र की टोह लगाने सम्बन्धी सावधानी भी बरती गयी थी, परन्तु दुर्भाग्यवश इन तारों की तरफ ध्यान नहीं गया जिस के घातक परिणाम हुए।

जिन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई, उन की जांच करने के लिये चीफ आफ आर्मी स्टाफ ने निम्नलिखित अधिकारियों की एक जांच समिति गठित की है :

१. एयर वाईस मार्शल आर० राजाराम, डिप्टी चीफ आफ एयर स्टाफ--सभापति
२. कर्नल गुरदास सिंह
३. ग्रुप कैप्टिन आर० डी० मेहरा
४. विंग कमांडर जसपाल सिंह
५. विंग कमांडर एस० के० मजुमदार
६. विंग कमांडर सी० बी० जे० एलैक्सांडर
७. स्क्वेड्रन लीडर इलामा ।

गुप्तचर विभाग का एक अभिकारी भी इस जांच में सहयोग दे रहा है । यह न्यायालय २३ नवम्बर को दुर्घटना के स्थान पर पहुंचा । इस ने स्थानीय जांच पड़ताल पूरी कर ली है, २५ तारीख को मध्याह्न पश्चात् दिल्ली लौट आया है । शीघ्र ही इस के प्रतिवेदन के प्राप्त होने की सम्भावना है ।

†**श्री रंगा** : मैं जानना चाहता हूं कि इस हेलीकोप्टर के उड़ान करने से पूर्व किस प्रकार के सुरक्षा सम्बन्धी उपाय और वांछनीय तकनीकी जांचें की गयी थीं ? क्या यह देखा जाना भी वांछनीय था कि हेलीकोप्टर में समय-बम जैसे विस्फोटक पदार्थ नहीं छिपा रखे थे, और यदि हां, तो क्या किसी प्रकार का यह देखने के लिये निरीक्षण किया गया था ?

जब जांच के लिये आदेश दिया गया है और सरकार के पास सारी जानकारी अभी नहीं है तो प्रधान मंत्री ने किस आधार पर कहा है कि हेलीकोप्टर का ध्वंस नहीं किया गया ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रश्न के आखिरी भाग के बारे में यह कहना चाहता हुं कि मैंने केवल यह कहा था कि इस मामले की जांच हो रही है । और, कि अभी तक हमें कोई ऐसा सबूत प्राप्त नहीं हुआ जिस से यह परिणाम निकाला जा सके कि यह ध्वंसात्मक कार्यवाही का परिणाम है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या इस प्रकार के कथन का जांच पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : वाक्य "अभी तक" से ऐसा नहीं होता ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : विमान की सुरक्षा आदि के बारे में सावधानी सदैव बरती जाती है । मेरे पास जो प्रारम्भिक जानकारी है उस के अनुसार इस हेलीकोप्टर के बारे में विशेषकर हर प्रकार की सावधानी बरती गयी थी । परन्तु विस्तृत जानकारी के लिये हमें समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** (जालेसर) : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने यह बात किस आधार पर कही कि दुर्घटना हेलीकोप्टर के टेलीग्राफ की तारों में उलझ जाने से हुई जब कि उस हेलीकाप्टर से कोई भी व्यक्ति नहीं बचा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह बात प्रारम्भिक सूचना के आधार पर ही कही गयी है । फिर भी मैं समझता हूं कि अन्तिम फैसले के लिये हमें प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सोंधी उसी रास्ते से तीन चार दिन पहले गये थे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक दफे वे उसी रास्ते से जा चुके थे और उन को उस रास्ते का अनुभव हो गया था तो फिर किस तरह से इस हेलीकोप्टर का ऐक्सिडेंट हो गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप को यही दर्याफ्त करना है। अगर आप को कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिये।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : जो हेलीकोप्टर गिरा है वह किस देश का बना हुआ था।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : वह फ्रांस का बना हुआ था।

†**श्री स्वैल** (आसाम-स्वायत्त जिले) : क्या वह टेलीग्राफ की तारें शुरू से वहां पर थीं अथवा इस दुर्घटना के कुछ दिन पूर्व वहां लगाई गई थीं ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : ऐसा प्रतीत होता है कि यह तारें वहां पर पहले से ही थीं और फ्लाईट लैफ्टीनेंट द्वारा उस क्षेत्र की टोह दुर्घटना से केवल दो दिन पूर्व ही लगाई गई।

†**श्री वारियर** : इस क्षेत्र में फिर इस प्रकार की दुर्घटना होने से रोकने के लिये क्या सरकार द्वारा कोई ताजा हिदायतें जारी की गयी हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : निश्चय ही जांच के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हमें ऐसे सभी मामलों पर विचार करना होगा।

†**श्री जोकीम अल्वा** (कनारा) : क्या इस प्रकार की दुर्घटनाओं में जिन सेना के लोगों की मृत्यु होती है उन की सहायता के लिए एक विशेष सहायता निधि जैसी कोई योजना प्रतिरक्षा मंत्रालय की है ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : प्रत्येक सैनिक सेवा में कुछ सहायता निधियां हैं। सम्भव है उस से सहायता दी जाय इस मामले में। परन्तु कोई अन्य विशेष योजना इस समय हमारे सामने नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या यह सच है कि इसी प्रकार के हेलीकाप्टर को लद्दाख में पिछली कार्रवाइयों के दौरान जबर्दस्ती एक स्थान पर उतरना पड़ा था ? यदि हां, तो फिर ऐसे काम के लिए उसी प्रकार के हेलीकाप्टर का प्रयोग क्यों किया गया ? और श्री सोंडी को क्या यह मालूम था कि इस विशेष क्षेत्र में स्तम्भ हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : कई विमानों को कभी कभी जबर्दस्ती किसी स्थान पर उतरना पड़ता है। इस से हम अन्तिम निश्चय पर नहीं पहुंच सकते कि उस प्रकार के हेलीकाप्टर का प्रयोग ही न किया जाय। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि अलौटी हेलीकाप्टर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सब से अधिक सुरक्षित हेलीकाप्टर है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले प्रतिवेदन प्राप्त होने दीजिये। यह कैसे बताया जा सकता है कि १९ तारीख को उन को स्तम्भों के बारे में मालूम था कि नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब अगले विषय को लिया जायगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फरुखाबाद) : अगर एक एक दल को एक एक सवाल आप पूछ लेने देते तो अच्छा होता ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब, मेरी दरख्वास्त है कि जो सारा प्रोसीजर बना हुआ है उस को उसी तरह से चलने दें ।

(२) बनिहाल दर्रे के निकट हुई भारतीय वायु सेना के डकोटा विमान की दुर्घटना

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"२२ नवम्बर, १९६३ को बनिहाल दर्रे के निकट भारतीय वायु सेना के डकोटा विमान की दुर्घटना ।"

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, इस का हिन्दी में तरजुमा करवा दीजिए ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मुझे खुशी होती कि मैं इसे हिन्दी में भी पढ़ देता, लेकिन मेरे पास इस समय इस का तरजुमा नहीं है । इस के लिए माफी चाहता हूं । मैं वह बाद में दे सकता हूं ।

श्री कछवाय : अध्यक्ष महोदय . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जांय मैं बतलाता हूं ।

कल मैं ने विरोधी दल के सब लीडरों को बुलाया था और उन में श्री बागड़ी के लीडर भी शामिल थे । अभी इस काम को जैसे पहले चलता था वैसे ही चलने दीजिए । हम ने कुछ फैसले लिए हैं, लेकिन चूंकि उन को कल ही लिया है इसलिए उन पर आज अमल नहीं हो सकता ।

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मुझे अभी अनुवाद की एक प्रति मिली है । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इसे पढ़ने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : पढ़ दीजिए ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए दुःख हो रहा है कि २२ नवम्बर १९६३ को बनिहाल दर्रे पर १०–२२ बजे एक वायु दुर्घटना हुई जिस में भारतीय वायुसेना का एक डकोटा वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया । यह वायुयान श्री नगर से उड़ रहा था और इस की उड़ान इस के स्क्वाड्रन को जाड़े का आधार बनाने के सिलसिले में थी । इस वायुयान के कर्मी दल में निम्नलिखित अफसर थे :—

फ्लाइंग अफसर एस० एस० सिद्धू [जी० डी० (पी०)]

पायलट अफसर डी० गुप्ता [जी० डी० (पी०)]

पायलट अफसर व्ही० के० सरारबुद्धे [जी० डी० (एन०)]

पायलट अफसर एम० व्ही० सिंग [जी० डी० (पी०)]

---

†मूल अंग्रेजी में

निम्नलिखित सिविल कर्मचारी भी इस वायुयान पर थे :—

श्री एन० सी० चाटी (लश्कर)

श्री मजुमदार (लश्कर)

श्री अगनालीक

श्री अलरिस राजे

वायुयान २२ नवम्बर १९६३ को १०.०४ बजे श्रीनगर से उड़ा और उस ने १०.२२ बजे बनिहाल दर्रे पर स्थान ले लिया । इसे जम्मू १०.५९ बजे पहुंचना था । जब इसे जम्मू पहुंचने में देर हुई तो खोए हुए वायुयान का पता लगाने का प्रयत्न किया गया । ४ वायुयान और हेलिकाप्टर इस काम में लगाए गए । किन्तु स का कोई परिणाम नहीं निकला । अगले दिन की तलाश जारी रही और २४ नवम्बर १९६३ को एक ढालू पहाड़ी पर वायुयान के टूटे फूटे भाग दिखलायी पड़े । यह स्थान बनिहाल दर्रे से १८ मील की दूरी पर था ।

दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए भारतीय वायुसेना के एक हैलिकाप्टर ने दो बार उतरने का प्रयत्न किया किन्तु पहाड़ी बहुत ालू होने के कारण उतरने में वह कामयाब न हो सका । २५ नवम्बर १९६३ को सेना के अनुभवी पर्वतारोही के नेतृत्व में पैदल टोह लगाने वाला एक दल भेजा गया । २५ नवम्बर १९६३ को इस दल ने बर्फ रेखा के ठीक नीचे अपना कैंप लगाया और यह दल २६ नवम्बर १९६३ को ४.३० बजे सायंकाल दुर्घटना स्थल पर पहुंचा । बर्फ बहुत ही मुलायम थी इसलिए यह दल बर्फ पर बहुत धीमी गति से चढ़ सका ।

टोह दल से जो सूचना मिली है उस के अनुसार वायुयान के आ ें यात्री मर गए । टोह दल ने निम्नलिखित व्यक्तियों की लाशों को हटाया है :—

१. फ्लाइंग अफसर एस० एस० सिद्धू

२. पायलट अफसर डी० गुप्ता

३. पायलट अफसर एम० व्हीं० सिंग

४. श्री अग्नालिक (सिविलियन)

उपर्युक्त व्यक्तियों की लाशें कल ११ बजे रात को खानावाल लायी गयी हैं । आज ये श्रीनगर लायी जायेंगी ।

बाकी चार लाशें वायुयान के अन्दर दबी हुई हैं और वायुयान का ढांचा हटाने के बाद ही उन्हें प्राप्त किया जा सकेगा । ोह दल जो कि कल वापिस आया है आज फिर खोजने का सामान ले जा कर बाकी लाशों को निकालेगा ।

वायुसेना नियमों के अन्तर्गत एक कोर्ट आफ एन्क्वायरी बिठायी गयी है । घटना का कारण तथा दूसरे विस्तृत विवरण कोर्ट आफ एन्क्वायरी के बाद ज्ञात होंगे । इस दुर्घटना में होने वाली हानि का पता भी एन्क्वायरी के बाद लगेगा । वायुयान की लागत लगभग ४ लाख रुपये थी । मरे हुए व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन देने के प्रश्न पर नियमों के अन्तर्गत विचार किया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : : क्या यह सच है कि २४ नवम्बर को इस दुर्घटना की खबर पहले तो समाचार पत्रों को दी गयी परन्तु उस के तुरन्त पश्चात् वापिस ले ली गयी ? यदि हां, तो सरकार के इस विचित्र व्यवहार का क्या कारण था ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मेरे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कृपया इस बारे में जानकारी प्राप्त करें ।

श्री यशपाल सिंह : जबकि डकोटा डिफेंस परपज के लिए है तो उस में एकदम चार सिविलियन अफसर कैसे भर दिये गये ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : जब वह अपने शरद शिविर को जाते हैं तो उन्हें वायुसेना के अन्य लोगों को भी साथ ले जाना पड़ता है । यह नागरिक वायु सेना के कर्मचारी ही थे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : क्या माननीय मंत्री को यह जानकारी है कि इस से पहले भी बनिहाल के पास इस तरह की विमान दुर्घटनायें हो चुकी हैं और काश्मीर राज्य की ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए और वर्तमान संकट काल को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ इस प्रकार की विशेष व्यवस्थायें की जा रही हैं जिस से भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं इस स्थान पर न हों ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मैं सामान्य तौर पर इस का उत्तर "हां" में दे सकता हूं परन्तु इस विशेष मामले में मुझे प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी ।

†**श्री वारियर** : मंत्रालय को आरम्भ में सूचना स्थानीय समाचारपत्रों से मिली अथवा संबद्ध क्षेत्र से ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मुझे इस बारे में सूचना २२ तारीख की शाम को प्रतिरक्षा मंत्रालय से मिली थी । और वह सूचना इस प्रकार थी कि विमान लापता है ।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : सभा को इस बारे में जानकारी उपलब्ध की जाय कि यह जो दुर्घटनायें बार बार होती हैं उन का वास्तविक कारण क्या है ।

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : इस मामले में किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री बागड़ी : एक ही दिन में एक ही इलाके में दो विमान दुर्घटनाओं का होना इस तरह के हालात के अन्दर कि एक दुर्घटना तो हैलीकोप्टर के १५०–२०० फुट की ऊंचाई पर टेलीफोन के तार से उलझ कर हुई जिस में कि सवार पांचों फौजी अफसर समेत चालक के मारे जायें और उन के सिर भी कटें और दूसरी दुर्घटना डकोटा के वहां पर गिर जाने और उस में सवार यात्रियों के मारे जाने की हुई । उस के ऊपर प्रधान मंत्री जी ने यह कह भी दिया कि इस के अन्दर कोई साजिश या तोड़फोड़ का हाथ नहीं है, तो मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हों ने भी इस बारे में कुछ अपना इस प्रकार का अनुमान लगा लिया है कि उन के पीछे कोई साजिश या विस्फोट नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो पहले किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मैं किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगाना चाहता चुंकि ऐसा करना उचित नहीं होगा ।

श्री बागड़ी : ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं, हुजूर, कि १५० फुट की बुलन्दी से हैलीकोप्टर तार में उलझ कर गिरे और उस में सवार लोगों का एक का भी सिर बाकी न रहे . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बहस करने लग गये ।

श्री बागड़ी : जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने बतलाया कि उन्हें किसी साजिश या तोड़फोड़ की कार्यवाही की आशंका नहीं है, डिफैंस मिनिस्टर साहब का इस बारे में क्या अनुमान है ? अब अनुमान और प्रमाण से तो ही यह चलता है . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जांय ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं जानना चाहता हूं कि जितनी ऊंचाई पर और प्रदेशों में डकोटा विमान का प्रयोग हो रहा है क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुसार इस प्रकार इस का प्रयोग किया जाना उचित है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जी हां ।

†**श्री नाथ पाई** : यह विमान जब उड़ान कर रहा था उस समय ऋतु कैसी थी ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत आदेश

†**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला)** : मैं (१) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १९ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७३१ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (पांचवां संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(दो) दिनांक २५ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०५६ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (छठा संशोधन), आदेश, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १९३४/६३]

प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत पत्र

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं प्रशुल्क आयोग आधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) डीजल इंजन अन्तःक्षेपण उपकरण उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६३) ।

(दो) दिनाक २५ नवम्बर, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या ८ (२)–टार/६३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(तीन) उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेज उक्त उपधारा में निर्धारित अवधि के भीतर टेबल पर क्यों नहीं रखे जा सके इस के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १९३५/६३] ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : गत सोमवार से यह चौथा अवसर है जब कि श्री मनुभाई शाह की ओर से पत्र सभा पटल पर रखे गये हैं, और यह पत्र उन कारणों की दर्शाने वाला है जिन की वजह से यह समय पर सभा पटल पर नहीं रखे जा सके । यदि ऐसा है, तो उस अधिनियम का संशोधन किया जाय और कोई समय सीमा न रखी जाय । पहले भी आप ने कहा था कि आप इस बारे में जांच करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले पर विचार करूंगा ।

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं (३) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६१८ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (दसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(दो) दिनांक ८ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७५९ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (ग्यारहवां संशोधन), आदेश, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १९३६/६३]

रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : मैं (४) रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, १९५२ की धारा ३४ की उप धारा (४) के अन्तर्गत, दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २८४ में प्रकाशित रक्षित तथा सहायक वायु सेना एक्ट अधिनियम (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १९३७/६३] ।

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अतिरिक्त अनुदानों की माँगे (रेलवे), १९६१-६२

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा वर्ष १९६१–६२ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी और मतदान होगा ।

वर्ष १९६१–६२ के लिए रेलवें आय-व्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३	चालू तथा अन्य लाइनों को भुगतान	१३,९२६
२०	विकास निधि में विनियोग	७,१८,३५,०४१

†**रेलवें मंत्री (श्री दासप्पा) :** छः अतिरिक्त अनुदानों की मांगों में से केवल दो मांगें, यानी मांग संख्या ३ और २० ऐसी हैं जो मतदेय मांगें हैं, शेष मांगें, प्रभृत विनियोजन संबंधी हैं । चार प्रभृत विनियोजन संबंधी अतिरिक्त मांगों की राशि तुलनात्मक दृष्टि से कम हैं । राजस्व मतदत्त अनुदानों सम्बन्धी अतिरेकों से प्राप्तियां सम्मिलित करने के जो वास्तविक परिणाम हैं, उन का पता चलता है । प्रत्याशित प्राप्तियों में जो वास्तविक वृद्धि हुई उन को सम्मिलित करने पर, चालू लाइनों को अदायगी अधिक हुई और विकास निधि को हस्तान्तरण भी अधिक हुआ । इसलिये, वास्तव में इन अनुदानों के अन्तर्गत अधिक विनियोजन नहीं हुआ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मांग संख्या ३ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे में ठेका पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिये । इस पद्धति के परिणामस्वरूप बहुत मुकद्दमेबाजी चलती है और विभाग में अकुशलता भी फैलती है । भारतीय श्रमिक सम्मेलन में भी इस पद्धति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था । मेरा अनुरोध है कि यदि सारे देश में नहीं तो कम से कम रेलवे और प्रतिरक्षा विभागों में इस पद्धति को अवश्य समाप्त किया जाय ।

यदि यह काम विभागीय श्रमिकों के एक पूल द्वारा किया जाय तो यह भ्रष्टाचार और अकुशलता जो अब ठेकेदार पद्धति के परिणामस्वरूप पायी जाती है वह समाप्त हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक मास के अन्दर ही बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर २,३ दुर्घटनायें हो गयीं हैं। यह दुर्घटनायें शायद अन्यकारणों के अलावा इस कारण से भी हुई कि उन स्थानों पर दरवाजे नहीं लगाये गये थे। आप ने स्वयं कहा था कि ऐसे स्थानों पर कम से कम बोर्ड अवश्य लगाये जाने चाहिये। परन्तु अब भी कई जगहों पर बोर्ड नहीं लगाये गये। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

संचारण तथा मरप्म्मत के कार्यों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने कहा था कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिये ढले हुए लोहे के स्लीपरों और लकड़ी के स्लीपरों की बजाय आर० एस० स्लीपरों का प्रयोग किया जायगा। आर० एस० स्लीपर तैयार करने के लिये क्या टैंडर मांगे गये हैं? ऐसे स्लीपर तैयार करने के लिये किस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है? यदि यह काम किन्हीं साथों के सुपुर्द किया गया है तो उन के नाम क्या हैं?

रेलवे इंजन चित्तरंजन के कारखाने में टैलकोस की तुलना में कम लागत से तैयार किये जाते हैं। यह बहुत खुशी की बात है परन्तु जो लोग वहां यह इंजन तैयार करते हैं उन के प्रतिनिधि संघ को मान्यता नहीं दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संघ को किस कारण मान्यता नहीं दी जा रही है?

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे विभाग के कर्मचारियों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्हों ने इतना काम किया है। मैं उन कर्मचारियों की ओर से जिन का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि वह रेलवे विभाग को कुशलता से चलाने में पूर्ण सहयोग देंगे।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर २० एप्रोप्रियेशन टू डिवलेपमेंट फन्ड पर बोल रहा हूं। जो रुपया इस मदद में जमा होना है, उस रुपये का जैसा उपयोग होना चाहिऐ नहीं किया जाता है। मैं सहरसा जिले से आता हूं जो बिहार का एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। उस इलाके में रेलवे की तरफ से जिस डिवलेपमेंट कार्य को करने की जरूरत है, उस प्रकार का डिवलेपमेंट कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही उस ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है। मैं तथा उस इलाके के जो दूसरे प्रतिनिधि हैं, उन सभी ने कई बार इस बात की शिकायत की है और गवर्नमेंट से आग्रह किया है लेकिन सरकार का इधर आज तक कोई ध्याद नहीं गया है। हमने कई रेलवे लाइनों बा बात की कही है लेकिन हमारी जो माग है उसको आज तक पूरा नहीं किया गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सु ोल से राधोपुर हो कर प्रतापगंज तक एक लाइन की जो कोसी आक्रमण के ज़माने में आज से बीस पच्चीस बरस पहले उठ चुकी थी, बन्द कर दी गई थी। इस लाइन की ओर कई बार सरकार का ध्यान खींचा जाता रहा है लेकिन कोई ध्यान सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। मैं चाहता हू कि यह जो ओल्ड लाइन थी, इसको रेस्टोर किया जाए। यह ज्यूट ग्रोइंग इलाका है और ज्यूट से हमें डालर प्राप्त होते हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे। मैं चाहता हूं कि सुपोल से ले कर भपटदिया ही, राधोपुर, प्रतापगंज होते हुए फारबिसगंज में इस लाइन को मिला दिया जाए।

सहरसा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। वहां पर रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन पर ओवर-ब्रिज की आवश्यकता है। इसके न होने के कारण कई एक्सीडेंट हो जाते हैं और हो भी चुके हैं। इस ओर भी कई बार सरकार का ध्यान खींचा गया है लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि इस ओर सरकार का शीघ्र ध्यान जाए।

[श्री भू० ना० मंडल]

जो नई लाइनों की जरूरत है, उस ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन की बात चली थी। इसमें मधीपुरा से बीहपुर और फिर बिरपुर तक नई लाइन खोलने की बात थी। इसको प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं लिया गया और कहा गया कि बाद में लिया जाएगा, द्वितीय योजना में लिया जाएगा। उस में भी इसको नहीं लिया गया और अब तृतीय योजना बीत रही है। अब तक इस लाइन को इस में भी नहीं लिया गया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उस लाइन की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाए। एक नया लाइन सिमरी बखतियारपुर से शुरू करके सोनबरसा होते हुए बिहारीगंज में मिला दिया जाए। अगर ये सब लाइनें बन जाएं तो जो ज्यूट ग्रोइंग इलाका है, उस इलाके का बहुत सा काम रेलों के ज़रिये चल सकता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलों में जो ओवर-क्राउडिंग की समस्या थी, उस समस्या को हल करने की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि जो मेन लाइन की ट्रेनें हैं, उन में से कुछ ट्रेनें सहरसा हो कर, पूर्णिया होकर, कटिहार और जोगबनी तक ला जायें। कुछ ट्रेनें मेन लाइन से हो कर जाती हैं और वे ट्रेनें इस लाइन पर हो कर भी जा सकती हैं। ऐसा अगर किया गया तो उस इलाके की तरक्की भी होगी और उस एरिया में जो कारोबार हो रहा है, उसको भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मि ेगा। इससे पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है, कि जो अनडिवेलेप्ड एरियाज़ हैं, उनका डिवेलेपमेंट किया जाए, वह भी पूरा होगा क्योंकि रेलवे का होना, प्रोत्साहित करेगा, दूसरे-दूसरे मींज़ आफ़ ट्रांस्पोर्ट का होना, उस पिछड़े इलाके के विकास के लिये मींज़ आफ कम्यूनिकेशन और ट्रांस्पोर्ट साधन का होना बहुत जरूरी है। इसका असर दूसरी जो सब बातें हैं, जैसे व्यापार उद्योग उन पर भी पड़ेगा और उस एरिया के डिवेलेपमेंट में मदद मिलेगी।

चूंकि वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, और पिछड़े समाज के ही अधिकांश रहते हैं, इस वास्ते शायद सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। मुझे तो इसका कारण यह मालूम पड़ता है कि कोई इनफ्लुएंश वाला आदमी उस इलाके का नहीं है जो कि अपना असर सरकार पर डाल सके।

अध्यक्ष महोदय : आपका इलाका वह नहीं है ?

श्री भू० ना० मंडल : मेरा ही एरिया है और हम लोग निगलैक्टिड हैं। हम लोगों को जानबझ कर सरकार की ओर से निगलैक्ट किया जाता रहा है। कोई इन लोगों का अगर ऐसा आदमी होता जो वायरपुलिंग कर सकता तो शायद बहुत जल्दी काम हो सकता था। लेकिन वायरपुलिंग करने वाला कोई आदमी नहीं है।

मैं सरकार का खास तौर से ध्यान इस ओर खींचता हूं और चाहता हूं कि वह उस इलाके के लिए कुछ करे। अगर उसने ध्यान दिया तो सरकार को भी नफा हो सकता है और वहां की जनता का भी हित हो सकता है। वहां के जो डिवेलेपमेंट के काम हैं, खास कर रेलों के, उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाए, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संस्था है, भारतीय रेलें जो हैं इन्होंने बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है । जिस किसी भी स्टेशन पर हम लोग उतरते हैं, हम पाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हम लोगों ने, हमारी सरकार ने काफी कार्य किए हैं ।

तीसरी लोक सभा की पब्लिक एकाउंस् कमेटी की हिदायत के अनुसार ही ये सप्लीमेंटरी ग्रांटस पेश की गई हैं । उस कमेटी के आदेशानुसार ही इन खर्च की मांगों पर हम यहां विचार कर रहे हैं । मुझे थोड़ी सी बात डिमांड नम्बर ६ के सम्बन्ध में कहनी है । इस डिमांड का मैं हृदय से स्वागत करता हूं । उसके साथ साथ डिमांड नम्बर १७ जो मशीनरी तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित है का भी समर्थन करता हूं । इस डिमांड में उन्होंने कहा है कि पटरियों आदि के बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई । मैं भी बतलाना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार के थोड़े से इलाके में कुछ ऐसी लाइनें हैं जिन का बदला जाना बहुत जरूरी है । चूंकि इनको अभी तक बदला नहीं गया है इस कारण से वहां पर ट्रेनों की रफ्तार बहुत धीमी रहती है । दो तीन लाइनें ऐसी हैं जो बड़ी ही घनी आबादी वाले इलाके से हो कर गुज़रती हैं । इस कारण से वहां की जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है । दरभंगा जिले से जयनगर की ओर और दरभंगा से निर्मली की ओर जाने वाली लाइन बहुत पुरानी पड़ चुकी है । दरभंगा से आगे जितनी भी पटरियां हैं वे सब बहुत पुरानी हो चुकी हैं और पुरानी होने की वजह से अच्छे इंजिन वहां नहं चल सकते हैं और अच्छे इंजनों के न चलने का नतीजा यह होता है कि लोगों को घंटों वहां ठहरना पड़ता है । मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका ध्यान जाए ।

मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि वह बराबर हम सभी सदस्यों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत शीघ्र हमारे सुझावों पर कार्रवाई करने की बात सोचते हैं । अभी हमारे पूर्व वक्ता ने एक बात कही है, जिस को मैं नहीं मानता हूं । मैंने कल भी अपने रेल मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन सब बातों को वे बहुत जल्दी देखेंगे और विशेषकर उस इलाके की बात को जहां पर कि पाट की खेती होती है और जिस से लोगों को, किसानों को काफी पैसा मिल सकता है, वह बहुत जल्दी देखेंगे । मैं आशा करता हूं कि वह शीघ्र इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लेंगे ।

दूसरी बात यह है कि उस सुपौल पटियाही इलाके में रेल पहले से ही थी । सरकार की अपनी रेल की ज़मीनें भी हैं । बहुत सी जगह तो पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशनों वगैरह पर मकानात इत्यादि भी हैं । वहां पर केवल सरकार को रेल दौड़ाने की जरूरत है । कोई ज्यादा अलग से देने की जरूरत सरकार को नहीं पड़ेगी और न ही अलग से रोलिंग स्टाक की ही जरूरत होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इन सभी डिमांडज़ का हृदय से समर्थन करता हूं । मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जिस संस्था का उन्होंने नायकत्व सम्भाला है, नेतृत्व सम्भाला है, उस में वह उनको पूरी सफलता दे ।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई शहर–मध्य–दक्षिण) : श्रीमान्, मैं मांग संख्या २० के विषय में बोलूंगा जो १९६१–६२ के अतिरिक्त लाभ, का जो ७.१८ करोड़ रुपये हैं, विकास निधि में प्रयुक्त किये जाने के लिये विनियोग करने के संबंध में है । मेरा विचार है कि १९६१–६२ में किराये भाड़े में बिना परिवर्तन किये ही रेलवे ने अतिरिक्त लाभ कमाया था । इसलिये इनमें इस समय परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । इनमें परिवर्तन करने से हमारी अर्थ व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं । १९६२–६३ और १९६३–६४ में उन्होंने किराये और भाड़े में वृद्धि की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** बजट पर चर्चा के दौरान आप यह बातें कह सकते हैं। इस समय वे केवल अतिरिक्त धन का विनियोग करना चाहती हैं।

†**श्री व० बा० गांधी :** मेरा केवल यही सुझाव है कि माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखेंगे कि रेलवे भाड़ा बढ़ाने के कितने गंभीर परिणाम होते हैं क्योंकि किराया और भाड़ा भी उन उत्पादनों के परिव्यय के एक भाग होते हैं जो हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण हैं। इस लिये वह अपनी नीति बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखें।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० ३, ५, ६, ७ और १७ पर बोलना चाहता हूं। इस में मैंने देखा है कि जहां भी कारण लिखे हुए हैं वहां यह लिखा हुआ है कि इस में हम से गलती हो गई या हमारी भूल हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि यह भूल किस तरह से हुई और यह रुपया खर्च करने का उन को अधिकार भी था या नहीं। उन्होंने बिना अधिकार के रुपया खर्च कर दिया और अब उस के लिये एक्स्ट्रा डिमांड यहां पर पेश कर दी गई कि यहां से तो हमें वह मिल ही जायेगी। इन लोगों को ख्याल करना चाहिये कि अगर कोई खर्च किया जाता है तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिये। हम पहले ही काफी रुपये दे चुके थे लेकिन फिर भी कई जगह २०, २० और ३०, ३० हजार रु० के बेकार के खर्च किये गये। पहली भूल की बात यह है कि :

> "खर्च में २० हजार की बढ़ती मुख्यतः प्रभृत मद में हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि अदालती डिगरियों के सम्बन्ध में किये गये कुछ भुगतानों को पहले स्वीकृत मद में शामिल कर लिया गया था।"

यह ठीक है कि २० हजार रु० इस में शामिल कर दिये गये और उस को लिखना भूल गए। तो यह जो ९००, ९०० रु० और १०००, १००० रु० तन्खवाह पाने वाले लोग हैं वे लोग इस तरह से गलती करें और उसे भूल जाएं तो किस तरह से काम चलेगा।

दूसरी जो भूल की है वह यहां पर दी हुई है कि :

> "खर्च के ४ हजार की बढ़ती केवल प्रभृत मद में हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि अदालती डिगरियां के सम्बन्ध में किये गये कुछ भुगतानों को पहले स्वीकृत मद में शामिल कर लिया गया था लेकिन लेखा बन्द करते समय जब इस गलत वर्गीकरण का पता लगा तो उस समय इस के लिये व्यवस्था करना सम्भव नहीं था और इसे ठीक करके इस रकम को प्रभृत मद में शामिल कर लिया गया।"

पता लगाते वक्त भी यह बात मालूम नहीं हुई कि यह रुपया बहुत लिख रहे हैं। अब खाता बन्द हो गया, क्या किया जाय। इन बातों के लिये आडिट पार्टी बैठती हैं, सब कुछ होता है फिर भी गलत इन्दराज हो जाता है और लिखने से रह जाता है। इस का मतलब यह है कि सरकारी लोग गैरजिम्मेदारी से काम करते हैं और पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है और यहां से भी उन को मंजूरी मिल ही जाती है। इस की आडिट पार्टी के सिवा और कौन जांच करेगा। इस लिये ऐसे अधिकारियों को तो सर्विस से ही निकाल दिया जाना चाहिये जो २०, २० हजार रुपयों की गलतियां करते हैं।

हमारे श्री बनर्जी ने कहा कि सभी ठेकेदारियों को खत्म कर दिया जाना चाहिये। यह उन्होंने डिमांड नं० ५ के सम्बन्ध में कहा। अगर ठेकेदारियों को खत्म कर दिया जायेगा तो मेरी समझ में नहीं आता कि उस का क्या नतीजा निकलेगा। मैं ने एक ही चीज़ के सम्बन्ध में देखा है। होटलों की

---

†मूल अंग्रेजी में

ठेकेदारी खत्म कर दी गई। वह डिपार्टमेंटली चलने लगी। मैं यहां से मद्रास, कोचीन और केरल गया था। हमको जो खाना मिला वह स्पेशल खाना था, लेकिन वह इतना खराब था कि हमें उसके सम्बन्ध में शिकायत करनी पड़ी। इस पर हम से कहा गया कि हम दिल्ली चल रहे हैं वहां आप रिपोर्ट कर दीजियेगा। अगर ठेकेदार का काम रहता है तो ठेकेदार को डर रहता है कि कोई चैक करेगा तो क्या होगा। लेकिन डिपार्टमेंटल में तो लोगों को यह डर नहीं रहता। वह समझते हैं कि जब शिकायत आवेगी तो जवाब दे लेंगे। इसलिये वे बेधड़क हो कर जो चाहे करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कोटा में रेलवे के लक्ष्मी वर्कशाप में कैंची चढ़ाने के काम के लिये दोहद से एक सरदार को बुलाया गया उनकी पेंशन हो चुकी थी। फिर उन्हें एक साल के लिये काम पर काम करने के लिये बुलाया। लेकिन १ साल में काम नहीं हो पाया। इस लिये उनको ६ महीने का समय और दिया गया लेकिन फिर भी दो कैंची भी वह नहीं चढ़ा सके। इस काम को वहीं का एक मिस्त्री दो महीने में करने को तैयार है। तो यह होता है डिपार्टमेंटल में। मेरा तो ख्याल है कि जब तक भाई भतीजावाद रहगा तो चाहे वह ठेके का काम हो या डिपार्टमेंटल वह ठीक से नहीं चल सकता। इसको दूर करना चाहिये।

इसके अलावा मैं आपको और उदाहरण दूं। एक गुजरात रेलवे के ठेकेदार को घाटा हो गया, तो सरकार ने उस प्राइवेट कम्पनी को सबसिडी दे दी। इसका क्या कारण है। अगर ठेकेदार को घाटा हो गया तो हो गया। उसको आंख खोल कर काम करना चाहिये था। फिर क्या किसी ने इसकी जांच की कि कितना घाटा हुआ है। उसने कह दिया उसी को मान लिया कि इतने लाख का घाटा हो गया और उसको सबसिडी दे दी। तो इस तरह से नुकसान होता है। यह कैसे चलेगा।

और मैं कुछ आप को तौल के बारे में उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार सरकार को नुकसान होता है। लखीमपुर, अर्नी खाना, सीतापुर, पथरोना, खैराबाद, सिंघोली, अठारिया, इरोंटा, बख्शी ताल, देवकला, कुकरा, इन स्टेशनों से गन्ना लादा जाता है। इसको अंट शंट तरीके से लादा जाता है, माल कितना ही होता है तोल कुछ लिखी जाती है। इस कारण १,२९,१८३ का खालिस घाटा तोल के कारण रेलवे को हो गया। अगर इसकी जांच की जाती तो यह घाटा पूरा हो सकता था। होता यह है कि कम्पनी का माल बीस मन होता है और रेलवे वाले पांच दस रुपया लेकर उसे दस मन ही लिख देते हैं। वैसे रेलवे में तोलने का प्रबन्ध है, लेकिन अगर जांच हो तब तो तोल ठीक हो सकती है नहीं तो अन्धाधुन्ध चलता है इसकी रिपोर्ट मैंने ता० २४ जनवरी को रेलवे बोर्ड को भी दी थी लेकिन इसमें बड़े बड़े कांग्रेसियों का हाथ है। इसलिये जांच नहीं की गई। इसलिये इसकी जांच होना चाहिये। इस माल को तोलने का इंतिजाम होना चाहिये पब्लिक इस घाटे को बरदाश्त नहीं कर सकती।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि यह जो रुपया मांगा गया है इसको एडजस्ट किया जायेगा। यह सही है। लेकिन इसके बारे में मैं आपके सामने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

अनावश्यक अनुपूरक मांगें व विनियोग

तीन मामलों में धन अप्रयुक्त धन उसी माह, (मार्च १९६२) में वापिस कर दिया गया जिसमें अनुपूरक मांगे व विनियोग की राशि प्राप्त की गई थी। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि सन् १९६१–६२ में रेवेन्यू मिसलेनियस एक्सपेंडीचर की मद में २६.१८ लाख रुपया सरेंडर किया गया और ओपिन लाइन वर्क्स-रेवेन्यू-लेबर वेलफेयर की मद में

[श्री विश्राम प्रसाद]

१२.८३ लाख सरेंडर किया गया। इस सिलसिले में मैं आपको पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट से फिर सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

"यह स्पष्ट है कि अनुदानों के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय की ओर दायित्व की प्रगति का उचित प्रकार निरीक्षण नहीं किया जाता। परिणामस्वरूप अनुपूरक मांगें आवश्यकता से अधिक रखी जाती है और वर्ष के अंत में एक बड़ी राशि अप्रयुक्त बची रहती है।"

तो मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह बजट न बनाया जाय कि पार्लियामेंट से रुपया मंजूर करा लिया जाय लेकिन साल के आखिर में उसको सरेंडर कर दिया जाय। आप देखें कि सन् १९५८-१९५९ में ५२.३० करोड़ सेविंग हुई, १९५९-६० में ५७.१० करोड़ हुई, सन् १९६०-६१ में ७६.३४ करोड़ हुई और सन् १९६१-६२ में ६२.०४ करोड़ हुई।

इतना ही नहीं सन् १९६१-६२ में टोटल ग्रांट का ३१.२ परसेंट सेविंग हुआ जब कि १९६०-६१ में यह १८•७ ही था। उस पर पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने कहा है :

"समिति यह अनुभव करती है कि आयव्ययक प्राक्कलन बनाते समय उन कारणों से उत्पन्न होने वाली सम्भावित बचत को भी ध्यान में रखे जो यद्यपि अप्रत्याशित हैं तथापि पिछले अनुभव को देखते हुए अनिवार्य भी हैं।"

इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की सिफारिशें होती हैं उन पर रेलवे विभाग कई कई सालों तक ध्यान नहीं देता। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी पार्लियामेंट की प्रतिनिधि है। अगर उसकी सिफारिशों को न माना जाय तो इससे अधिक दुःख की बात पार्लियामेंट के लिये और क्या हो सकती है।

इसमें लिखा है कि बहुत सा रुपया एडवास के मामले में व कोर्ट द्वारा आरबिट्रेशन के मामलों में दिया जाता है। होता यह है कि किसी अफसर की गलती से ठेकेदार को नुकसान हो जाता है, वह उसके लिये मुकदमा दायर कर देता है और डिग्री करा लेता है और रेलवे सोती रहती है। और वह रुपया देना पड़ता है। लेकिन जो रुपया इस तरह आरबिट्रेशन में या एवार्ड में दिया जाता है वह पार्लियामेंट के सामने नहीं आता। इस प्रकार पब्लिक के रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। इसका मुझे दुःख है। ये चीजें भी पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिये। एक तरफ तो आप जनता से इतना टैक्स लेते हैं और दूसरी ओर ये मामले पार्लियामेंट के सामने नहीं आते जिनमें जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है।

तीसरी बात में उस सबसिडी के बारे में कहना चाहता हूं जो कि रेलवे ब्रांच लाइन कम्पनीज को देती है। सन् १९६१ में अहमदपुर कटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड को २,२७,३६९ रुपये दिये गये बर्दवान कटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड को ३,१५,३५३ रुपये दिये गये और बांकुड़ा दामोदर रिवर रेलवे कम्पनी लिमिटेड को ५,५५,२६३ रुपये दिये गये। यह रुपया सबसिडी के रूप में दिया गया क्यों कि इनको घाटा होता है। घाटे का कारण यह है कि जो पैसा टिकट आदि से आता है वह अफसरों की जेब में चला जाता है और वह कह देते हैं कि यह लाइन अन इकानमिक है और गवर्नमेंट उनको पैसा दे देती है। इससे पब्लिक को बड़ा नुक्सान होता है। मेरा सुझाव है कि इन लाइन्स को नेशनलाइज़ कर दिया जाय तो यह घाटा रुक सकता है।

आपको एडजस्टमेंट करना है तो ठीक है करिए लेकिन पब्लिक के पैसे के बारे में रेलवे को स्ट्रिक्ट होना चाहिये और जितना सेविंग हो सकता है उतना करना चाहिये ताकि पब्लिक को नुक्सान न हो।

श्री रतनलाल (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर—हिम्मतनगर नई रेलवे लाइन जो पिछले ५–६ साल से निर्माण की जा रही है उस के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं साथ ही इन एक्सैस ग्रांट्स का भी समर्थन करता हूं। इस उदयपुर-हिम्मतनगर रेलवे लाइन के बनाने में काफी देरी हो रही है। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है .....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपको मना तो नहीं करता क्यों कि आप इस पार्लियामेंट में पहली दफे आये हैं। वैसे मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक्सस ग्रांट्स से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है जो कि आप कह रहे हैं। लेकिन आप बोलने के लिये खड़े हुए हैं इस लिये आप अपनी बात कह लीजिये। मैं आप को रोकना नहीं चाहता।

श्री रतनलाल : उस लाइन को पूरा करने की बहुत जरूरत है। उस पर जो काम हो रहा है वह जल्दी नहीं हो रहा है। क्योंकि वहां का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, आदिवासी इलाका है और वहां उस रेलवे लाइन के निर्माण करने में जो सोसाइटियां काम करती हैं और जिनको कि इस काम का ठेका दिया गया है, उन में बहुत सारे मजदूरों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। उदयपुर श्रमिकों का एक संघ अर्थात एक फेडरेशन बनायो गयी है वह इन मजदूरों या ऐसी सोसाइटियों को पैसा नहीं दे रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां यह लाइन बहुत जल्द पूरी की जावे वहां उन मजदूरों को जो सोसाइटियों में काम करते हैं उनको उनका पैसा जल्द ही दिया जाय।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : मैं मांगों का समर्थन करता हुआ कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मांग संख्या ३ के अधीन कुछ रेलवे समवायों और ब्रांच लाइनों के मालिकों को अर्थ सहायता दी जायेगी। जब यह समवाय अथवा ठेकेदार मजदूरों को अदायगी नहीं करते तब यह कहा जाता है कि इस संबंध में रेलवे प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। किन्तु जब रेलव उन्हें अर्थ-सहायता देता है, उसका यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि मजदूरों को अदायगी आदि के संबंध में भी अपना कर्त्तव्य निभाये।

मांग संख्या ५, ६ और ७ के अधीन २५ ००० रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी गई है। उसके संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि न्यायालय की डिग्री अथवा मध्यस्थों के पंचाट के कारण यह भुगतान देने पड़ेंगे। रेलवे को चाहिये कि इस बात का पता लगाये कि इस प्रकार अधिक भुगतान करने के लिये कौन उत्तरदायी है।

रेलवे मंत्रालय का एक विशेष विभाग कानून विभाग है। फिर भी न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत अधिकतर मामलों में रेलवे विभाग की ही हार होती है। ऐसा क्यों होता है इस बात की जांच की जानी चाहिये।

रेलवे के लेखा विभाग में ऊंचे पद वाले व्यक्ति हैं। फिर भी इस प्रकार की अनियमितातयें हो जाती हैं।

यदि मजदूरों से परामर्श किया जाये तो इस प्रकार अधिक भुगतान करने के मामले उत्पन्न नहीं होंगे। गलती करने वाले उच्च अधिकारियों को प्रशासन के हित की आड़ ले कर बचा लिया जाता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० शर्मा]

रेलवे मंत्रालय में कर्मचारियों ने इस बात को अनुभव कर लिया है कि वे जन-सेवक हैं जब कि अधिकारी वर्ग अभी तक अपने को मालिक समझे बैठा है। उन लोगों में भी जन-सेवा की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिये।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : अंतिम वक्ता ने कहा था कि गलती करने वाले उच्च अधिकारियों को बचा लिया जाता है और अधिकारी वर्ग अपने को मालिक समझता है। मैं इस आरोप का पूरी तरह खण्डन करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि एक मजदूर नेता ने इस प्रकार का आरोप लगाया। मेरा निवेदन है कि वे अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा स्थिति को अच्छी प्रकार जानते हैं। मैं यहां घोषणा करने का साहस करता हूं कि रेलवे मंत्रालय का कोई भी व्यक्ति गैंगमैन से लेकर सभापति तक, यह नहीं समझता कि वह जन-सेवक नहीं बल्कि मालिक है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये।]

रेलवे का प्रत्येक व्यक्ति अपने को जन-सेवक समझता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले इस प्रकार की भावना थी। कम्पनी की रेलवे वाले दिनों में, मुझे याद है, व्यापारी लोग मुख्य वाणिज्य अधीक्षक के पास डिब्बे प्राप्त करने के लिये खुशामद करने जाया करते थे। किन्तु मैं नहीं समझता कि अब भी ऐसी ही स्थिति है।

हम सब लोगों का यह दायित्व है कि योजना को लागू करें और राष्ट्र की प्रगति करने के लिये सहायक हों। इस उद्देश्य से हम प्रेरित हैं। इसलिये हम अपने को मालिक नहीं समझ सकते। हमें अवश्य ही अपने को जन-सेवक समझना पड़ेगा और हम जन-सेवक ही हैं।

आपातकाल के दौरान रेलवे पर काफ़ी भार पड़ा था। कुछ क्षेत्रों में जहां क्षमता कम थी रेलवे के कर्मचारियों ने इतनी मेहनत से रात-दिन काम किया कि क्षमता इतनी बढ़ गई कि आपात काल की आवश्यकता को पूरा किया जा सका। आपात काल में रेलवे ने जिस प्रकार का कार्य संपादन किया उस की प्रशंसा सारे देश ने की है।

गैर-सरकारी व्यवस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली रेलवे से संबंधित ठेके के विषय में एक-दो सदस्यों ने उल्लेख किया था। अर्थ-सहायता देने का हम ने उन से करार किया हुआ है और हमारा दायित्व है कि उसे पूरा करें। बजट पर चर्चा के समय भी और प्रश्नोत्तर के बीच भी यह बार-बार यह बात उठाई गई थी कि रेलवे व्यवस्थाओं को सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती। इस संबंध में कई बार निवेदन किया जा चुका है कि ७ या १० वर्ष की अवधि के बाद इन समझौतों को फिर से नया किया जाता है। उस अवसर पर हम इस सबंध में भली प्रकार विचार करेंगे।

इस संबंध में यह भी कहा गया है कि मजदूरों को पूरा भुगतान नहीं किया जाता। यह प्रश्न सरकारी रेलवे के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता। यदि गैर-सरकारी मजदूरों को पूरा भुगतान नहीं करते तो यह तर्क संगत नहीं है कि आप उन्हें अर्थ-सहायता देते हैं फिर आप पूरा भुगतान करने के लिये उन पर दबाव क्यों नहीं डालते। मजदूरों की मजूरी का प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्रालय का विषय है। मजूरी के भुगतान के संबंध में श्रम विधान है। उन को लागू किया जाना चाहिये। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम करार की शर्तों से बंधे हुये हैं।

संधारण, मरम्मत, नई लाइनों आदि के संबंध में कई प्रश्न पूछे गये हैं। देखा जाये, तो नई लाइनों के प्रश्न पर इस समय आग्रह नहीं किया जा सकता। सलाहकार समिति, राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति आदि में माननीय सदस्यों को काफ़ी अवसर मिलेगा। चौथी योजना पर चर्चा होते समय नई लाइनों के संबंध में प्रस्ताव मांगे जायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी ने संधारण और मरम्मत का प्रश्न उठाया था। संभवत: यह प्रश्न भी प्रस्तुत चर्चा के क्षेत्र में नहीं आता। भीड़भाड़, अधिक गाड़ियों, रेल मार्ग के सुधार आदि के संबंध में प्रश्न उठाये गये हैं। इंजिनों, अच्छे रेल मार्ग आदि के संबंध में मंत्री को लिखा जा सकता है। हम उस पर विचार करेंगे।

श्री व० बा० गांधी ने यह प्रश्न उठाया था कि यदि १९६१-६२ में किराये-भाड़े में वृद्धि किये बिना ही यदि हमें अतिरिक्त लाभ हुआ है तो अगले वर्षों में हम ने किराया-भाड़ा क्यों बढ़ाया। किन्तु वे इस बात को भूल गये कि अगले वर्षों में व्यय भी बहुत बढ़ गया था। १९६२-६३ में केन्द्रीय वेतन आयोग की सफारिश को लागू करने में ही १३ करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस अल्प अवधि में कोयले की कीमत भी तिगुनी हो गई थी। डीजल पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया था। इस बढ़े हुए व्यय के कारण हमें किराया-भाड़ा बढ़ाना पड़ा था।

उन्हों ने जो ब्योरा मांगा था उस के संबंध में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता। वे कृपया २ माह की और प्रतीक्षा करें जबकि फरवरी में बजट पर चर्चा होगी।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** उपयुक्त राशि बच रहने और कारगर बजट पद्धति के बारे मैं क्या कहना है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मेरे माननीय मित्र ने लिखने आदि की भूल की ओर इशारा किया है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि रेलवे बजट कितना लंबा-चौड़ा है। संभवत: उन्हों ने दो-तीन वर्ष पहले के आंकड़े पढ़ कर सुनाये थे।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** १९६१-६२ के।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस के बाद बहुत कम भूलें हुई हैं। वर्गीकरण में भी हम ने भूलें नहीं की हैं। अधिकतर वर्गीकरण और प्रविष्टि की गल्तियों से ही लेखे में भी गलतियां होनी थीं। अब भारित लेखे में चार छोटे मद और दत्तमत अनुदानों में केवल दो मद हैं। इतनी बड़ी राशि में से भारित व्यय की राशि १ लाख ५० हजार से भी कम है। दत्तमत अनुदानों के संबंध में यह आधिक्य अधिकतर रेलवे के अधिक कुशल और लाभप्रद कार्य के कारण है। वस्तुत: यह प्रविधिक विनियोग है। आप के पास अधिक राजस्व है और आप विकास निधि में इस का विनियोग कर लें। इस में क्या दोष है। आप पहले से ही कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि कार्य का क्या परिणाम होगा। कई कारण हैं जिन के कारण हम अनुमान से अधिक राजस्व प्राप्त कर सके हैं; कार्य कुशलता और परिश्रम। इसलिए हम ने सभा के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा है कि अतिरिक्त राजस्व को विनियोग विकास निधि में कर दिया जाये। यह कुल बजट को देखते हुए बहुत छोटी राशि है।

भारित विनियोग के संबंध में अधिकतर व्यय न्यायालय की डिक्रियों के कारण है। इन का भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। कभी आंकड़े कम होंगे कभी अधिक जब डिक्रियां होंगी। हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि न्यायालय डिक्री जारी करेंगे या नहीं।

इस कथन के साथ मेरा निवेदन है कि मांगों पर विचार किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३	चालू तथा अन्य लाइनों का भुगतान . . .	१३,९२६
२०	विकास निधि में विनियोग	७,१८,३५,०४१

अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

इस विचार से कि माननीय सदस्य इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों को समझ सकें या मूल अधिनियम को समझ सकें और संशोधक विधेयक की जांच कर सक मैं इसे सभा के समक्ष लाया हूं और मैं अनुभव करता हूं कि मुझे मूल अधिनियम के कुछ उपबन्धों का उल्लेख करना चाहिये ।

मूल अधिनियम की धारा ३ में अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण का उपबन्ध है । उपबन्ध इस प्रकार है :

"जब सक्षम अधिकारी की यह राय हो कि किसी सम्पत्ति की ऐसे सरकारी प्रयोजना के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता हो सकती है, जो संघ सरकार का योजन हो और कि उस सम्पत्ति का अधिग्रहण करना चाहिये, तो सक्षम अधिकारी . . "

फिर उपधारा (२) के अनुसार और उपरोक्त धारा के (क) और (ख) खण्डों के अनुसार कुछ कार्य किये जाने हैं । किन्तु धारा ३ के परन्तुक में उपबन्ध है कि कोई सम्पत्ति या उस का भाग . . . .

"(क) जो वास्तव में उस के स्वामी द्वारा अपने या परिवार के निवास के लिए प्रयोग किया जाता हो, या

(ख) जो केवल लोगों द्वारा धार्मिक पूजा के लिए या स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक पुस्तकालय या उन लोगों के निवास के लिए प्रयोग किया जाता हो जिन का सम्बन्ध पूजा स्थान, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय या अनाथालय के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखते हों . . . .

अधिग्रहण नहीं जिया जायेगा । मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था ।

इससे आगे जिन आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाती है और क्षतिपूर्ति का निश्चय करने के लिए सिद्धांतों और उपायों का उल्लेख मूल अधिनियम की धारा ८ में किया गया है । किन्तु क्षतिपूर्ति आदि पंचाटों के विरुद्ध अपील करने के लिये उपबन्ध है ।

†मूल अंग्रेजी में

अतः मैं सभा को बताना चाहता हूं कि सरकार ने यह अधिकार १९५२ में लिया था और जैसा अधिनियम के नाम से पता लगता है यह सम्पत्ति के अधिग्रहण और अर्जन के सम्बंध में था। मूल अधिनियम प्रयोजन भी पूरी तरह बताया गया है कि यह सरकारी प्रयोजन होना चाहिये जो संघ सरकार से सम्बंधित हो।

यह अधिनियम १९५२ में बनाया गया था। सरकार फिर १९५८ में इसे सभा के समक्ष लाई क्योंकि उस समय अधिनियम के लागू हुए छ वर्ष हो गये थे और अब मैं इसे सभा के समक्ष इस लिए लाया हूं कि इसे और छः वर्ष के लिए लागू किया जाये। यह प्रश्न किया जा सकता है कि मूल अधिनियम छः वर्ष के लिए था और पहले इसकी अवधि बढ़ाई गई और अब दूसरी बार इसकी अवधि छः वर्ष के लिए बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ऐसा बताया गया है और मुझे आशा है कि अभिलेख भी इस बात को सिद्ध करेंगे कि यह अधिनियम स्थायी प्रकार का होना चाहिये किन्तु प्रवर समिति ने इस की अवधि छै वर्ष निर्धारित की थी।

मैं इसके अधिग्रहीत कुल सम्पत्तियों के आंकड़े बता सकता हूं और यह बता सकता हूं कि १ जनवरी, १९५८ के आंकड़े क्या थे। उस समय सारे भारत में १,१०० सम्पत्तियों का अधिग्रहण हो चुका था। १ अक्तूबर, १९६३ को आंकड़े ९९४ थे, लगभग १७० सम्पत्तियों को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया था।

गत अक्टूबर में राष्ट्रीय संकटकाल में और प्रतिरक्षा मंत्रालय की आवश्यकताएं बढ़ जाने पर, इस सम्बन्ध में मैं साहसपूर्वक कह सकता हूं कि हमने इन सब मामलों के प्रति सहानुभूति और औचित्यपूर्ण व्यवहार किया था। मेरे मंत्रिपद के काल में बहुत संख्या में सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने की बजाए गत एक वर्ष या १५ मास के दौरान १०० सम्पत्तियों को अधिग्रहण से मुक्त किया गया है। मैं अनुभव करता हूं कि जिस व्यक्ति की सम्पत्ति १५, २० वर्ष पहले अधिग्रहीत की गई थी उसे अब भी रखे रखना उसके लिए कठिन परिस्थिति है। जैसा मैं कह रहा था, गत १५ मास में राष्ट्रीय आपातकाल के कारण और प्रतिरक्षा मंत्रालय की आवश्यकताएं बढ़ते रहने पर भी हमने दर्जन या दो दर्जन सम्पत्तियों से अधिक का अधिग्रहण नहीं किया। जैसा आप जानते हैं कुछ अमरीकी बाहर से आए हुए हैं और वे कई प्रकार से हमारी सहायता कर रहे हैं। मैं ने प्रदर्शनी के लिए रखे गये मैदान में ५ लाख वर्ग फुट का प्रयोग किया है और वहां उनके निवास का प्रबंध किया है और कुछ अस्थायी प्रबंध किये हैं। इतना ही नहीं, हमने विभिन्न मंत्रालयों को दी जाने वाली जगह में भी कमी की है यद्यपि इससे बहुत अधिक कठिनाई और असुविधा हो रही हैं।

यह इस मामले का न्यूनाधिक इतिहास है। यह तो नकारात्मक दृष्टिकोण है। अब तक हम लोगों की सम्पत्ति का अधिग्रहण करते रहे हैं या कुछ सम्पत्तियों को अधिग्रहण से मुक्त करते रहे हैं। अब हम सकारात्मक दृष्टि से यह कहना चाहते हैं कि जैसे उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है हमें सारे भारत में ५०–६० लाख वर्ग फुट जगह दफ्तरों के लिए और ७०–७५००० मकान चाहियें। भारत सरकार के दफ्तरों का तेजी से विस्तार होता रहा है। हमने पहली, दूसरी और तीसरी योजना का कार्य किया है और हम सब योजनाओं के फलस्वरूप भारत सरकार के दफ्तरों का न केवल दिल्ली में बल्कि सारे भारत में विस्तार हुआ है। अतः मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया है। मैं ने इस सभा में, बाहर और दूसरी सभा में जैसा कहा है यदि हम किराये पर जगह लें तो हमें एक रुपय वर्ग फुट या उससे भी अधिक देना पड़ता है। वर्ष में १२ रुपये वर्ग फुट के हिसाब से देना पड़ता है और लगभग तीन वर्ष में हम भवन की लागत के

बराबर पैसा दे चुके हैं। निर्माण पर लगभग २५–३० रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से लागत आती है जो कि तीन वर्ष का किराया है।

†**श्री हरि विष्णू कामत** (होशंगाबाद) : क्या २५–३० रुपय प्रतिवर्ग फुट ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : हमें फर्शी क्षेत्र लेना होता है जिसका प्रयोग किया जाना है। इसका किराया लगभग १४ या १५ रुपये तक हो सकता है। यदि आप सफाई की वस्तुओं बिजली आदि को लें तो यह और भी अधिक ३० रुपये वर्ग फुट तक हो सकता है। इसका हिसाब हम जो किराया देते हैं उसमें लगाया जाएगा। संसद मार्ग में, मैं समझता हूं कि किराया १.५० रुपये प्रति वर्ग फुट है जिसका अभिप्राय है कि २–३ वर्ष में भवन की पूंजीगत लागत पूरी हो जाती है। मैं विस्तृत भवन निर्माण कार्यक्रम को आरम्भ कर रहा हूं और साल भर में हमने दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में २५ लाख वर्ग फुट की दफ्तरों के लिए मंजूरी दी थी। संसद के आस पास हम दफ्तरों के बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, ४ रफी मार्ग, १ संसद मार्ग और केन्द्रीय क्षेत्र में।

मुझे इस बात पर दुख होता है कि निम्न सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों की बहुत कमी है। इस कमी के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। जैसा मैं ने पहले कहा है यदि हम मंत्रियों उप-मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति, संसद और संघ लोक सेवा आयोग तथा योजना आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ सचिवों, संयुक्त सचिवों के लिए शत प्रतिशत नहीं तो कम से कम ७० या ८० प्रतिशत मकानों की व्यवस्था कर सकें किन्तु गरीब लोगों के लिए २५–३० प्रतिशत से अधिक मकानों की व्यवस्था नहीं कर सकें। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के लिए विकास की व्यवस्था नहीं की गई यद्यपि अभिग्रहीत सम्पत्तियों में से हम उन्हें दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में मकान दे सकें हैं।

किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हम निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। दो तीन मास पूर्व मैं ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को एक कार्यक्रम दिया था जिसमें बताया था कि यदि मुझे निधि दी जाए तो हम अगले चार वर्ष में इन योजनाओं को स्वीकृति दे सकते हैं जिससे चतुर्थ योजना के आखिर में हम घाटे को पूरा कर सकेंगे। इस योजना के दो वर्ष और चतुर्थ योजना के पांच वर्ष शेष हैं। भूमि अर्जित कर के उसका विकास करना है। और भवन निर्माण सामग्री प्राप्त करनी है। भवन निर्माण करने से पूर्व योजना और प्राक्कलन तैयार करने में लगभग एक वर्ष लग जाता है। इस योजना के दो वर्ष और अगली योजना के तीन वर्षों में मैं इस काम को करना चाहता हूं। मैं ने सात वर्ष में १०० करोड़ रुपये के खर्च का कार्यक्रम बनाया था। मुझे हर्ष है कि वित्त मंत्री और योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में बहुत सहायता की है। जब मैं ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला तीसरी योजना के पांच वर्ष के लिए २५ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की। मैं ने गत वर्ष इसे ३५ करोड़ रुपय तक बढ़ाया है। फिर मैं ने योजना आयोग से प्रार्थना की क्योंकि सारी योजना के लिए २५ करोड़ रुपया निर्धारित था। वह समाप्त हो गया था और उन्होंने मुझ १० करोड़ रुपय की मंजरी दे दी। पांच वर्ष में १५ करोड़ रुपय का वास्तविक भुगतान करना पड़ा। मुझे आशा है कि वास्तविक भुगतान ३० करोड़ रुपय से भी बढ़ गये हैं।

अभी मैं ने कहा कि हमें दफ्तर के लिए मकान बहुत अधिक किराये पर लेने पड़ते हैं। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों में निराशा और कटुता फैल रही है जिन्हें हम मकान नहीं दिला सकें।

†मूल अंग्रेजी में

जिन लोगों की सम्पत्ति २० वर्ष पूर्व गत महायुद्ध में ली गई थी उसे रखे रखना भी मंत्री होने के नाते मेरे लिए कठिन है ।

†**श्री बड़े** : क्या उसी किराये पर ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : आप ठीक कहते हैं । अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गई सम्पत्ति का किराया बढ़ने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । मेरे माननीय सहयोगी ने बताया था कि कुछ मामलों के बारे में बताया जाता है कि मालिक को किराये से अधिक कर देना पड़ता है । मुझे इस बारे में पता नहीं किन्तु यदि ऐसा है तो यह बात सख्ती है । मैं ऐसे मामलों की जांच के लिए तैयार हूं । अभिप्राय यह था कि मालिक को उचित् किराया मिलना चाहिये । किन्तु मैं आश्वासन या वचन नहीं दे सकता कि हम मामल की जांच के बाद किराया बढ़ा दिया जाएगा । किन्तु मैं दिल्ली और अन्य स्थानों पर अधिग्रहण के मामलों की जांच कर रहा हूं, और उन्हें यथा संभव अधिग्रहण से मुक्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं । वास्तव में मैं ने कोई मामलों में ऐसा किया है । मैं तो चाहूंगा कि अपनी भमि पर भवन बनाए जाए जिनकी सरकार मालिक हो और किसी की सम्पत्ति का अधिग्रहण करने की बजाये आस्तियां बनाई जाएं । यह मेरा दृष्टिकोण है । मुझे आशा है कि सभा इस प्रयोजन के लिए एकमत हो कर समर्थन करेगी । सरकार को इस विधेयक के अधिकार मिलने चाहियें क्योंकि कोई नहीं जानता कि कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं । यह सराहनीय उपबंध हैं । अतः मैं चाहता हूं कि दो आश्वासनों पर मुझे इस विधेयक की अवधि छै वर्ष और बढ़ा दी जाए । आश्वासन यह है कि मैं हर मामले की जांच करूंगा और यथासंभव सम्पत्तियों को अधिग्रहण से मुक्त करूंगा और यथासंभव नये मकानों का अधिग्रहण नहीं करूंगा और सरकार की ओर से बड़ा निर्माण कार्य आरम्भ करूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ;

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो छोटा सा बिल सदन के सामने लाया गया है इस में लिखा है कि यह १४ मार्च, १९७० को लागू नहीं रहेगा सिवाय उन मामलों के जो आधनियम की कार्यान्विति बन्द होने से पहले किये गये हों या किये न जा सके हों । यानी जो १९५२ का प्रापर्टी के .र.क्व.जशन और ए.क्व.जशन का कानून था उसको सन् १९७० तक बढ़ाने के लिए यह कानून लाया गया है । वह पूरा कानून पार्लियामेंट के सामने नहीं लाया गया है, अगर वह पूरा कानून पार्लियामेंट के लामने लाया गया होता तो उसकी बहुत सी धाराओं पर यहां चर्चा हो सकती थी जैसी कि सन् १९५२ में हुई थी । सन् १९५२ में पहले कहा गया कि इस कानून को अनलिमिटेड पीरियड के लिए बढ़ा दिया जाये, लेकिन पार्लियामेंट में बहुत हल्ल हुआ तो जो उस समय के मिनिस्टर थे उन्होंने उस में यह अमेंडमेंट कर दिया कि उस को ६ साल के लिए बढ़ाया जाये ।

इस कानून का इतिहास बहुत पुराना है । सन् १९४७ में यह कानून लाया गया । उससे पहले ब्रिटिश के जमाने में भी ऐसा कानून था । सन् १९४७ का कानून १९५२ तक रहा । उसके बाद दिल्ली एक्ट को रिपील करके सन् १९५२ का कानून लाया गया । यह ६ साल के लिए लाया गया था । उस वक्त यह मुगालता दिया गया कि यह काम ६ साल में पूरा हो जायेगा । लेकिन सन् १९५८ में सरकार फिर पार्लियामेंट के सामने आयी और कहा कि इस को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

६ साल के लिए और बढ़ाया जाये और कहा कि ६ साल में यह काम हो जायेगा। अब ६ साल का समय और मांगा जा रहा है। इस प्रकार से कानून लाने को पार्लियामेंटरी भाषा में बैकडोर पालिसी कहते हैं और ऐसे कानूनों को समरी लाज कहते हैं। इस प्रकार के कानून लाने का परिणाम यह होता है कि उस की पूरी धाराओं पर पार्लियामेंट को चर्चा करने का मौका नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि यह पार्लियामेंट के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है।

आपने कहा है कि इस बिल को इसलिए लाया जा रहा है कि आप को आफिस एकोमोडेशन के लिए और रेजीडेंशियल एकोमोडेशन के लिए इन्तिजाम करना है। इस में लिखा है कि इस समय लगभग ५९ लाख वर्ग फुट जगह दफ्तरों के लिए और ७४,००० मकान बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चाहियें। मैं मिनिस्टर साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब सरकार ने इमरजंसी डिक्लेयर की थी तो अखबारों में आया था कि दिल्ली से बहुत से दफ्तर हटा कर ग्वालियर, जबलपुर, इन्दौर आदि जगहों को भेजे जाने की आवश्यकता है और दिल्ली से दफ्तरों को हटाया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया। इस का क्या कारण है। मैं तो कहता हूं कि जबलपुर आदि को दिल्ली वाले सुदामापुरी समझते हैं और दिल्ली को द्वारिकापुरी। जैसे भगवान द्वारिकापुरी में रहना चाहते हैं वैसे ही सरकारी अफसर भी दिल्ली में रहना चाहते हैं। अगर किसी को सुदामापुरी को जाने को कहा जाता है तो उस को ऐसा लगता है जैसे कि डंडा पड़ा और वह कोशिश करता है कि उसे बाहर न जाना पड़े और वह बच जाये। इस कारण ही दिल्ली में एकोमोडेशन का झगड़ा पड़ता है। अगर सरकार के कुछ बड़े बड़े दफ्तर दिल्ली के बाहर ले जाये जायें तो इस समय जो दफ्तरों के लिए और कर्मचारियों के लिए जो एकोमोडेशन का सवाल सामने है वह न रहे। सरकार पहले यह देखे कि दिल्ली में कितने क्वार्टर कम पड़ते हैं और फिर यह पता करे कि जबलपुर में, ग्वालियर में, इन्दौर में और आस पास के राज्यों में कितने क्वार्टर मिल सकते हैं। अगर सरकार यह पता करे तो उस को दफ्तरों के लिए ५९ लाख स्क्वायर फीट और रहने के लिए ७४ हजार यूनिट्स की आवश्यकता नहीं रहेगी।

दिल्ली में एकोमोडशन की दिक्कत का एक कारण यह भी है कि मंत्रियों को और कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़े बड़े स्थान रहने को दे दिये गये हैं। ऐसे एक एक स्थान में अगर किरानियों को रखा जाये तो उन की चार चार फैमिली उन में रह सकते हैं।

राज्य सभा में सवाल उठा था कि बख्शी गुलाम महम्मद को दो क्वार्टर क्यों दिये गये हैं। मैं कहता हूं कि मिनिस्टर साहब किसी के दबाव में नहीं हैं, उन के पीछे पार्लियामेंट है। उन को बख्शी गुलाम महम्मद को दो क्वार्टर नहीं देने चाहिए थे।

इसी प्रकार अन्य कांग्रसियों को और संस्थाओं को, जैसे भारत सेवक समाज को और एक अन्य संस्था को जो कि मेरे घर के सामने ही है जिस का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े स्थान दे रखे हैं। मेरा विचार है कि अगर इस तरफ मिनिस्टर साहब ध्यान दें तो उन को रिक्वीजीशन और एक्विजीशन की ज़रूरत न पड़े।

इसके अलावा जहां तक रिक्वीजीशन का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि आप रिक्वीजीशन छोड़िये और एक्वीजीशन कीजिये। इसके लिए आपके पास पूरा लैंड एक्वीजीशन एक्ट पड़ा है। जिन प्रापर्टीज़ को आप ने सन् १९४१ से रिक्वीजीशन किया हुआ है उन को एक्वायर क्यों नहीं करते। मैं ने मिनिस्टर साहब से सवाल पूछा कि इन में से कुछ प्रापर्टीज़ का रेंट बहुत

कम है और उन के मालिकों को उस से ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। उन्होंने इस को स्वीकार किया।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मझे यह बतलाया गया है, यह मैं ने कहा था।

श्री बड़े : तो यह उन लोगों के साथ अन्याय है और इस को मिनिस्टर साहब को एक कलम से दूर करना चाहिए। मैं पूछता हूं कि उन्होंने इस तरफ अभी तक देखा क्यों नहीं।

लैंड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत जो जमीन ली जाती है उस में मेरा अनुभव है कि बहुत अन्याय होता है। मैं आप को इस का एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां इम्प्रूव्ड सीड फार्म के लिए सौ एकड़ जमीन ली गयी। लेकिन उस में कुछ कांग्रसियों की जमीन थी। उन्होंने ऊपर से जोर डलवाया। कहा गया कि अगर यह जमीन ली गयी तो उस प्रदेश की कांग्रेस खत्म हो जायेगी। इस पर दूसरे गांव में इस काम के लिए जमीन ली गयी। मैं ने कलक्टर से पूछा कि इस का क्या कारण है तो उन्होंने कहा कि ऊपर से प्रैशर है। मैं मिनिस्टर के पास गया तो उन्होंने कहा हमारे पास कलक्टर की रिपोर्ट आयी कि जो जमीन पहले एक्वायर की गयी वह ठीक नहीं है, इसलिए दूसरी जमीन ली गयी।

श्री मेहरचन्द खन्ना : क्या यह रिक्वीजीशन आर्डर सैंट्रल गवर्नमेंट का था ?

श्री बड़े : मैं उदाहरण दे रहा हूं कि लैंड एक्वीजीशन एक्ट के नीचे क्या होता है। ऐसे उदाहरण बहुत से हैं। सन् १९५८ का डिबेट आप पढ़े तो उस में आप को एसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। सन् १९५८ में मिनिस्टर ने कहा था कि हमें दफ्तर के लिए १० करोड़ रुपये की लागत पर ३३ लाख वर्ग गज़ जगह और विभिन्न श्रेणियों के ४३,००० मकान चाहियें। उस समय उन्होंने कहा था कि उन को ४३ हजार रेजीडेशियल यूनिट्स की जरूरत थी। मैं पूछता हूं कि इस के बाद आप ने कितनी इमारतें अब तक बना ली हैं। इस का खुलासा पार्लियामेंट को दिया जाये। १९५८ में आप को आफिसेज़ के लिए ३३ लाख स्क्वायर फीट एकोमोडशन की जरूरत थी और ४३ हजार रेजीडेंशियल यूनिट्स की जरूरत थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस में से आज तक आप ने कितनी एकोमोडशन बना ली है। और क्या वह एकोमोडशन भी ५९ लाख स्क्वायर फीट में शामिल है जो आप ने अब मांगी है, या यह उस के अतिरिक्त है। इसका खुलासा नहीं दिया गया है।

मेरे सामने एक रिक्वीजीशन का केस है जिस में उचित मुआवजा नहीं दिया गया। उस प्रापर्टी को खाली करने का १५ दिन का नोटिस दिया गया, और उस के बाद एक महीने का समय और दिया गया और प्रापर्टी खाली करा ली गयी। वह अच्छी जमीन थी और उस के लिए केवल १५ दिन का नोटिस दिया गया। उस के बारे में कोई अपील नहीं है। एक हाईकोर्ट में अपील है। और फिर कम्पेन्सेशन बहुत कम दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि आज तक जितना कम्पेन्सेशन दिया गया उसका फिगर हाउस के सामने होना चाहिए। इस तरह के अनेक उदाहरण आप को दिये जा सकते हैं।

मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से बिल लाना जिस में कि इस कानून को सन् १९७० तक बढ़ाया जाना है, बकडोर पालिसी है क्योंकि ऐसा होने सेपार्लियामेंट को उस कानून की पूरी धाराओं पर विचार करने का अवसर नहीं मिल पाता। हम असल कानून की धाराओं पर अमेंडमेंट नहीं दे सकते क्योंकि जो इस बिल का स्कोप है उस के बाहर हम नहीं जा सकते। इस प्रकार का बिल लाकर सारे प्रावीजन्स पर बोलने के बारे में हमारा मुंह

[श्री बड़े]

बन्द कर दिया जाता है । हम उस के सामने लिख नहीं सकते कि इस का अमेंडमेंट किया जाये वे धाराएं सभा के समक्ष नहीं हैं । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा बिल लाते हमारे मंत्री महोदय के लिए यह प्रसिद्ध है कि वह बड़े सहृदय हैं और गरीबों के लिए उन के दिल में बड़ी दयाभाव है । बहतर तो यह होता अगर मौजूदा शक्ल में यह संशोधन बिल न लाया जाता । मैं चाहता हूं कि पूरा बिल सामने आता क्योंकि उस में बहुत सारे प्राविजन्स हैं जिन को कि लेकर जनता चिल्लाती और हाहाकार करती है । इसलिए जैसा मैं ने कहा अगर पूरे का पूरा बिल आता तो अच्छा रहता ।

अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि हम काफ़ी इलाका रिक्वीजीशन करने वाले हैं तो उन से मेरा कहना है कि उस को रिक्वीज़ीशन ही क्यों करते हैं उस को एक्वायर क्यों नहीं करते ? एक्वायर न करने का कारण केवल यह है कि उन को उस हालत में उस ज़मीन की मार्केट वैल्यू देनी पड़ेगी और चूंकि मार्केट वैल्यू देना नहीं चाहते इसलिए रिक्वीज़ीशन करते रहते हैं । दस, दस और बीस, बीस साल तक रिक्वीज़ीशन करेंगे । सरकार की इस पालिसी का नतीजा यह हुआ है कि जो मकान व इमारते आदि बनाने वाले हैं वे नये मकान और इमारत आदि नहीं बनाते हैं क्योंकि उन को सदा यह आशंका रहती है कि सरकार न जाने कब उन की जायदाद को रिक्वीज़ीशन कर ले, कब सरकार की नाराज़गी का सामना उन को करना पड़ जाय । यही कारण है कि नये नये मकान और बिल्डिंग्स लोग बनाते डरते हैं ।

रैंट कट्रोल उन पर लागू नहीं होता है । साधारण जनता पर यह रैंट कट्रोल लागू होता है । मैं चाहता हूं कि रैंट कट्रोल जैसे प्राविजन्स उन पर भी लागू होने चाहिए ।

सरकार की डिस्ट्रिब्यूशन औफ क्वार्टर्स की कितनी जगह किस अफसर को मिलनी चाहिए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए । अब होता यह है कि किसी सरकारी अफ़सर को तो आप ५, ५ और ६, ६ कमरों का आलीशान बगला दे देते हैं और दूसरे सरकारी कर्मचारी को केवल २ या ३ छोटे कमरों का मकान एलौट करते हैं तो सोशालस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी में जिसका कि नारा सदा सरकार और उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाया जाता है, यह चीज़ कहां तक तर्कसंगत और न्यायसंगत है ? इसलिए उचित तो यह है कि अगर वाक़ई वह इस देश में सोशलिस्टिक पटर्न आफ़ सोसाइटी क़ायम करना चाहते हैं तो इस तरह का भारी अन्तर रहना उचित नहीं है और सब को एक समान मिले ।

श्री त्यागी (देहरादून) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन बिल का स्वागत करता हूं । अभी मिनिस्टर साहब ने जो भाषण दिया है उसके एक एक शब्द से मैं सहमत हूं और उनको बधाई देता हूं कि इतने उत्साह से वे इस काम को कर रहे हैं । मुझे इस मौके पर कोई नई बात नहीं कहनी है क्योंकि मैं समझता हूं कि जो मेरे दिल में है वह मिनिस्टर साहब के दिमाग़ में है । फिर भी हाउस को याद दिलाने के लिये कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने वर्षों से यह सोशलिस्टिक पैटर्न की मनादी की है । देश भर में बच्चा, बच्चा हम से वाकिफ है और वह वह जानता है कि सोशलिस्टिक पैटर्न की जो हम बात करते हैं तो उससे हमारा उद्देश्य क्या है ? ऐसी हालत में हमको अपने तौर तरीके में कुछ न कुछ सोशलिज्म का ढंग और रंग लाना पड़ेगा । यह नहीं हो सकता कि नारा तो उसका हम लगाते जायें और हमारे काम में उसकी झलक न हो ।

दिल्ली को एक शानदार और आदर्श नगर बनाने की आपकी स्कीमें चल रही हैं । चूंकि दिल्ली में बाहर के लोग अक्सर आते रहते हैं इसलिए दिल्ली को बहुत शानदार बनाने की आपकी कोशिश

रहती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अब सरकार इस बाहरी शान और तड़क भड़क के चक्कर में न पड़े। बाहरी दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए दिल्ली को शानदार बनाती न चली जाय बल्कि अपने यहां के लोगों को खुश करने के लिए हिन्दुस्तान की कार्यावाही गवर्नमेंट को चलानी चाहिए। पहले ही बहुत शानदार बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, काफ़ी आलीशान महल, ताजमहल बन गये हैं। अब वह सस्ती बिल्डिंग्स बनाने की तरफ़ आये। आज देश का बच्चा बच्चा अपने मकान के लिए ज़रा सी सीमेंट के लिए तरस रहा है इसलिए इस वक्त बिल्डिंग्स बनाने का जो प्रोग्राम होना चाहिए वह सस्ती बिल्डिंगें बनाने का होना चाहिए।

जिस ज़माने में मैं मिनिस्टर होता था और मुझे मिनिस्ट्रियल कागज़ों को देखने का मौका मिलता था तब मकान निर्माण के सवाल को लेकर अक्सर पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर से मेरी बातचीत और बहस होती थी। उनका कहना था कि सस्ते और इस तरह के आरज़ी मकान और स्ट्रक्चर्स बनाने से मकानों की ज़िन्दगी जल्दी ख़त्म हो जायगी और सरकार को फिर दुबारा उन पर पैसा इनवैस्ट करना पड़ेगा इसलिए बेहतर यह है कि आलीशान मकान ही तामीर किये जायें। मैं उनसे सहमत नहीं होता था। मेरी राय में आलीशान और शानदार इमारतें बनाने का ख़याल सरकार को छोड़ देना चाहिए। अब हमको टेम्पोरी और सस्ते मकान बनाने की तरफ़ ध्यान देना चाहिए। अगर सीमेंट नहीं मिलती है तो खपरैल वाले सस्ते मकान बनाइये। दिल्ली में खपरैल वाले मकानों का होना कोई गुनाह नहीं है। ऐसा क्यों समझ बैठे हैं कि दिल्ली में केवल आलीशान मकान ही बनेंगे? यहां पर भी खपरैल के मकान हो सकते हैं। यहां पर भी छप्पर के घर हो सकते हैं। आख़िर हजारों वर्षों से हमारे पुरखों ने इन झोंपड़ों और छप्परों में जन्म लिया है, उनमें पले हैं, इसलिए छप्पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हम इस तरह परहेज़ करें। अपनी ग़रीबी के वक्त को गुजारने के लिए छप्पर का मकान बना सकते हैं। आरजी तरह के सस्ते मकान तामीर कर सकते हैं।

श्री बड़े : यह तो झोंपड़ों और छप्परों को उखाड़ने वाले मिनिस्टर हैं।

श्री त्यागी : मैं चाहता हूं कि यह चीज़ आये और अपने देश की हालत को देख कर हम लोग अब शान दिखाना बन्द कर दें और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी का नारा जो आये दिन हम लोग लगाते हैं उसकी तरफ़ कदम ब कदम बढ़ना शुरू कर दें। अब सोशलिस्टिक पैटर्न के माने यह नहीं हैं कि चपरासी एक हरिजन की तरह से तंग कोठरी में अपनी जिन्दगी काटें। कोई है मिनिस्टर जो अपने चपड़ासी को गले लगा ले? होली के दिन भी उसे गले नहीं लगा सकता। कोई है जो उससे हाथ मिला ले? कोई है जो उसके साथ सिग्रेट पीले और बराबरी से उसके साथ हंसी मज़ाक कर ले? अगर आज यह चीज़ नहीं र जैसी कि हक़ीक़त है तो मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि सोशलिज्म पैटर्न आफ़ सोसाइटी की बात करना एक महज़ बहाना है और ढकोसला है। दरअसल हमारे तमाम तौर तरीक़ में हुकूमत की एक बू आ गई है और यही चीज़ मकानों के सिलसिले में भी चल रही है। आलीशान और बढ़िया मकान बनेंगे किस के लिए? पोलीटीशिमंस के लिए, आम तौर से जिनकी कि कोई आमदनी नहीं है और जो कि पबलिक के टैक्स पर गुजरा करते हैं। आलीशान मकान में रहने का उनको क्य हक़ है जब कि हमारे क्लर्क हमारे ही भाई भतीजे और हमारे ही परिवार के लोग एक, एक घर के लिए तरसते फिरते हैं? मैं मिनिस्टर साहब को बधाई दूंगा कि कम से कम उस काम को अगर कर नहीं सके तो उसके लिए उन्होंने और वक्त आगे को लिया क्योंकि आखिर ७४ हजार आदमी बे मकान के हैं। ऐसे ७४,००० लोग हैं, सरकारी मुलाज़िम हैं, अपना घर छोड़ कर आये हैं, यहां रहने की जगह नहीं है, चार, चार वर्ष बग़ैर मकान के हो गये हैं, अपने बच्चों को कहां लिये फिरें? इनमें छोटे सरकारी मुलाज़िम भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। ज़ाहिर

[श्री त्यागी]

है कि सरकार को उन्हें मकान देना है ताकि व अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकें ।इसलिए मेरी गुज़ारिश यह है कि मेहरबानी कर के मकान बनाने के सिलसिले में कुछ एक रैवोलूश्नरी दिमाग़ से चलिये । आज जैसी सरकार की रफ्तार है वह वाजिब और माकूल नहीं है । इस तरह से तो अंग्रजों के वाइसराय भी चल सकते थे । हमको अपने मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम को पूरा करना है । क्या आपने और आपकी गवर्नमेंट ने इस बात पर भी गौर किया कि हिन्दुस्तान के अन्दर कुल आबादी ऐसे आदमियों की कितनी है जिनके कि पास अपने घर नहीं हैं? आज एक बहुत बड़ी तादाद ज़मींदारों को ज़मीन पर घर बनाये बैठ हैं, न उनको उसे बेचने का हक़ है, न बाकी मकान बनाने का हक़ है और न ही वे उसे गिरवी रख सकते हैं । वह जिन मकानों में रह रहे हैं उनके वह मालिक नहीं हैं । क्या आपको यह पता है कि कम से कम ६० फी सदी आबादी और १०० फी सदी हरिजन आज जिन मकानों में रह रहे हैं व मकान उनके नहीं हैं । उन मकानों की मिल्कियत ज़मींदारों की है जो कि आलीशान बंगलों में रहते हैं । ज़मींदार जब भी चाहे उन लोगों को उन घरों से निकाल कर बाहर कर सकते हैं । वह अपने मकानों को बेच नहीं सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करनी है तो सरकार को एक रेवोलूश्नरी क़दम उठाना होगा कि हिन्दुस्तान में जितने भी परिवार बेघर के हैं उन सब को कम से कम एक मकान तो दे दें और किराये पर लेने के बजाय वे खुद अपना एक, एक मकान बना सकें । हर एक गांव में इसके लिए ज़मीन का एक हिस्सा अलहदा रख लिया जाय और उसमें सड़कें निकाल कर, छोटे छोटे टुकड़े बना दिये जायें और गांवों के ऐसे लोग जिनके कि पास कोई मकान अपने नहीं हैं उनको वह एक एक छोटे छोटे प्लाट्स दे दिये जायें ताकि वे अपने मकानात उन पर बना लें । जो लोग रुपया दे सकते हैं वह मुआवज़े का रुपया हाथ का हाथ दे दें और नहीं दे सकते हैं व उसको दस, बीस वर्ष में अदा कर सकें । सोशलिस्टिक पैटन आफ़ सोसाइटी में कम से कम हर एक आदमी को अपना एक मकान होने की खुशी तो होनी ही चाहिए। हर व्यक्ति इसका उचित तौर पर गर्व कर सके कि मेरा अपना एक छोटा सा मकान है जिसमें मैं और मेरे बच्चे सुख से अपनी ज़िन्दगी गुज़ार सकते हैं । आज हिन्दुस्तान में ८० फी सदी से ज्यादा लोग पस्ती की हालत में हैं । यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हम आज उनसे ज़रा दूर दूर रहने लगे हैं। उनका ग़म हमको लगता नहीं है । हमारा ग़म बाहर के बड़े बड़े आदमियों के साथ है । उनके साथ उठना बैठना होता है । मेरा अनुरोध है कि सरकार को गांवों में रहने वाली ८० फी सदी आबादी का भी ख़याल करना चाहिए ।

क्लास ४ कर्मचारियों के लिए मकान बन रहे हैं लेकिन वे उनके लिए ड्यूटी की जगह से दफ्तर से बहुत दूरी पर बनाये जा रहे हैं । अब ज़ाहिर है कि क्लास ४ का मुलाज़िम या तो बाइसिकल पर आयेगा या बेचारा पैदल चल कर दफ्तर आयेगा और उसके लिए ५, ५ और ७, ७ मील पर क्वाटर बनाया जाना कहां तक उचित होगा ? इसके बरअक्स बड़े बड़े सरकारी अफसरों के लिए जिनके कि पास मोटरे हैं, उन बड़े अफसरों और मिनिस्टरों वगैरह के लिए बंगले बनाये जाते हैं दफ्तर और पार्लियामेंट के बिलकुल बराबर में ताकि वे बड़े लोग एक फर्लांग का फासला अपनी मोटरों से तय करके दफ्तर में आ सकें लेकिन उस चपड़ासी बेचारे के लिये जिसको कि केवल पैदल या साइकिल पर आना होता है उसके लिए ७, ७ मील के फासले पर क्वार्टर बनाया जाता है और अगर कभी वह वक्त पर दफ्तर में हाज़िर न हो पाये तो उस पर जुर्माना कर दिया जाता है। अब आप ही इंसाफ़ करें कि क्या उस चपड़ासी के बच्चे नहीं हैं, उसके जान नहीं है और क्या वह हिन्दुस्तानी नहीं है ? मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म की तमीज़ की गई कि ग़रीब लोगों के

लिए मकान दूर बनाये जायेंगे और बड़े लोगों और अफसरान के लिए पार्लियामेंट और दफ्तर के नजदीक बनाये जायेंगे तो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी का आपका नारा महज एक मज़ाक बन कर रह जायेगा ।

इस ख़याल से कि अगर यहां नजदीक में छोटे छोटे मकान बनाये गये और चपड़ासियों वगैरह को उनमें बसाया गया तो दिल्ली की शान में बट्टा लग जायेगा, यह मुग़लिया ज़माने के रिवाज़ों को छोड़ना पड़ेगा और हम इसको छुड़ा करके रहेंगे । मैं दावा करता हूं कि पार्लियामेंट इसको छुड़ा देगी क्योंकि यह पार्लियामेंट इसमें यकीन नहीं रखती है कि एक ग़लत तरीक़े की शान के चक्कर में आकर और दुनिया को अपनी तड़क भड़क दिखाने के लिए इस तरह की तमीज़ क़ी जाये । हमें इस देश की ८० फ़ी सदी आबादी को आराम पहुंचाना है । इसलिए मेरा कहना यह है कि इस स्कीम के अन्दर चपड़ासियों के लिए मकान दूरी पर बनाया जाना ग़लत है .....

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरी यह स्कीम नहीं है ।

श्री त्यागी : अगर ऐसा है तो बड़ी खुशी की बात है । यह तरीका ग़लत है कि महज़ एक शान के चक्कर में उन बेचारे ग़रीब लोगों को मुसीबत में डाला जाये । मैं उम्मीद करता हूं कि इधर आप ज़रूर ध्यान देंगे, प्लानिंग कमीशन तो कुछ कर नहीं सकता है लेकिन यह खुश किस्मती की बात है कि आप जैसे मिनिस्टर मौजूद हैं और कोई फ़ैसला इस किस्म का सरकार से करायें और पार्लियामेंट के अन्दर यह एक तजवीज़ लायें कि सरकार ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि साल भर के अन्दर देश के हर एक बाशिंदे को जिसके कि पास अपना खुद का मकान व ज़मीन नहीं है, थोड़ी ज़मीन मिल सकेगी जिस पर कि वह अपना मकान बना सके और वह उस मकान का मालिक हो सके ।

शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की तरक्की के लिए सरकार उनको रिज़रवशन देती है लेकिन मेरा कहना है कि उस रिज़रवेशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि शैड्यल्ड कास्ट्स के बच्चे बच्चे को एक, एक मकान न मिल जाये । उनकी इस तरह से तरक्की करनी चाहिए, इस तरह से उनको बराबर लाना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि गांव, गांव में लोग यह समझें कि वह गवर्नमेंट जोकि गरीबों की और जनता की सरकार होने का दावा करती है वह वाकई उनकी सरकार है और उसने यह किया है । जहां तक उन मकानों या ज़मीन की कीमत का प्रश्न है, वह किश्तों में वसूल हो सकती है ।

मैं इस हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ख़याल है कि जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है, वह मिनिस्टर साहब के दिल में भी है । मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस स्कीम को पूरा करेंगे ।

श्री बृजराज सिंह (बरेली) : माननीय सदस्य के दिल में जो भावना है, वह मिनिस्टरों के दिलों में क्यों नहीं है ? माननीय सदस्य मिनिस्टर नहीं बन सकते और मिनिस्टर यह भावना नहीं रख सकते ।

एक माननीय सदस्य : लेकिन मिनिस्टर बनने पर यह भावना नहीं रहेगी ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ ही बातें कहनी हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री त्यागी]

है कि सरकार को उन्हें मकान देना है ताकि व अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकें ।इसलिए मेरी गुज़ारिश यह है कि मेहरबानी कर के मकान बनाने के सिलसिले में कुछ एक रैवोलूश्नरी दिमाग़ से चलिये । आज जैसी सरकार की रफ्तार है वह वाजिब और माकूल नहीं है । इस तरह से तो अंग्रजों के वाइसराय भी चल सकते थे । हमको अपने मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम को पूरा करना है । क्या आपने और आपकी गवर्नमेंट ने इस बात पर भी गौर किया कि हिन्दुस्तान के अन्दर कुल आबादी ऐसे आदमियों की कितनी है जिनके कि पास अपने घर नहीं हैं ? आज एक बहुत बड़ी तादाद ज़मींदारों को ज़मीन पर घर बनाये बैठ हैं, न उनको उसे बेचने का हक़ है, न बाकी मकान बनाने का हक़ है और न ही वे उसे गिरवी रख सकते हैं । वह जिन मकानों में रह रहे हैं उनके वह मालिक नहीं हैं । क्या आपको यह पता है कि कम से कम ६० फी सदी आबादी और १०० फी सदी हरिजन आज जिन मकानों में रह रहे हैं व मकान उनके नहीं हैं । उन मकानों की मिल्कियत ज़मींदारों की है जो कि आलीशान बंगलों में रहते हैं । ज़मींदार जब भी चाहे उन लोगों को उन घरों से निकाल कर बाहर कर सकते हैं । वह अपने मकानों को बेच नहीं सकते हैं । मैं कहता हूं कि अगर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करनी है तो सरकार को एक रेवोलूश्नरी क़दम उठाना होगा कि हिन्दुस्तान में जितने भी परिवार बेघर के हैं उन सब को कम से कम एक मकान तो दे दें और किराये पर लेने के बजाय वे खुद अपना एक, एक मकान बना सकें । हर एक गांव में इसके लिए ज़मीन का एक हिस्सा अलहदा रख लिया जाय और उसमें सड़कें निकाल कर, छोटे छोटे टुकड़े बना दिये जायें और गांवों के ऐसे लोग जिनके कि पास कोई मकान अपने नहीं हैं उनको वह एक एक छोटे छोटे प्लाट्स दे दिये जायें ताकि वे अपने मकानात उन पर बना लें । जो लोग रुपया दे सकते हैं वह मुआवज़े का रुपया हाथ का हाथ दे दें और नहीं दे सकते हैं व उसको दस, बीस वर्ष में अदा कर सकें । सोशलिस्टिक पैटन आफ़ सोसाइटी में कम से कम हर एक आदमी को अपना एक मकान होने की खुशी तो होनी ही चाहिए । हर व्यक्ति इसका उचित तौर पर गर्व कर सके कि मेरा अपना एक छोटा सा मकान है जिसमें मैं और मेरे बच्चे सुख से अपनी ज़िन्दगी गुज़ार सकते हैं । आज हिन्दुस्तान में ८० फी सदी से ज्यादा लोग पस्ती की हालत में हैं । यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हम आज उनसे ज़रा दूर दूर रहने लगे हैं । उनका ग़म हमको लगता नहीं है । हमारा ग़म बाहर के बड़े बड़े आदमियों के साथ है । उनके साथ उठना बैठना होता है । मेरा अनुरोध है कि सरकार को गांवों में रहने वाली ८० फी सदी आबादी का भी ख़याल करना चाहिए ।

क्लास ४ कर्मचारियों के लिए मकान बन रहे हैं लेकिन वे उनके लिए ड्यूटी की जगह से दफ्तर से बहुत दूरी पर बनाये जा रहे हैं । अब ज़ाहिर है कि क्लास ४ का मुलाज़िम या तो बाइसिकल पर आयेगा या बेचारा पैदल चल कर दफ्तर आयेगा और उसके लिए ५, ५ और ७, ७ मील पर क्वाटर बनाया जाना कहां तक उचित होगा ? इसके बरअक्स बड़े बड़े सरकारी अफसरों के लिए जिनके कि पास मोटरें हैं, उन बड़े अफसरों और मिनिस्टरों वगैरह के लिए बंगले बनाये जाते हैं दफ्तर और पार्लियामेंट के बिलकुल बराबर में ताकि वे बड़े लोग एक फर्लांग का फासला अपनी मोटरों से तय करके दफ्तर में आ सकें लेकिन उस चपड़ासी बेचारे के लिये जिसको कि केवल पैदल या साइकिल पर आना होता है उसके लिए ७, ७ मील के फासले पर क्वार्टर बनाया जाता है और अगर कभी वह वक्त पर दफ्तर में हाज़िर न हो पाये तो उस पर जुर्माना कर दिया जाता है । अब आप ही इंसाफ़ करें कि क्या उस चपड़ासी के बच्चे नहीं हैं, उसके जान नहीं है और क्या वह हिन्दुस्तानी नहीं है ? मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म की तमीज़ की गई कि ग़रीब लोगों के

लिए मकान दूर बनाये जायेंगे और बड़े लोगों और अफसरान के लिए पार्लियामेंट और दफ्तर के नजदीक बनाये जायेंगे तो सोशलिस्टिक पैटर्न आझ सोसाइटी का आपका नारा महज एक मजाक बन कर रह जायेगा ।

इस ख़याल से कि अगर यहां नजदीक में छोटे छोटे मकान बनाये गये और चपड़ासियों वगैरह को उनमें बसाया गया तो दिल्ली की शान में बट्टा लग जायेगा, यह मुग़लिया ज़माने के रिवाज़ों को छोड़ना पड़ेगा और हम इसको छुड़ा करके रहेंगे । मैं दावा करता हूं कि पार्लियामेंट इसको छुड़ा देगी क्योंकि यह पार्लियामेंट इसमें यकीन नहीं रखती है कि एक ग़लत तरीक़े की शान के चक्कर में आकर और दुनिया को अपनी तड़क भड़क दिखाने के लिए इस तरह की तमीज़ की जाये । हमें इस देश की ८० फ़ी सदी आबादी को आराम पहुंचाना है । इसलिए मेरा कहना यह है कि इस स्कीम के अन्दर चपड़ासियों के लिए मकान दूरी पर बनाया जाना ग़लत है .....

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरी यह स्कीम नहीं है ।

श्री त्यागी : अगर ऐसा है तो बड़ी खुशी की बात है । यह तरीका ग़लत है कि महज़ एक शान के चक्कर में उन बेचारे ग़रीब लोगों को मुसीबत में डाला जाये । मैं उम्मीद करता हूं कि इधर आप ज़रूर ध्यान देंगे, प्लानिंग कमीशन तो कुछ कर नहीं सकता है लेकिन यह खुश किस्मती की बात है कि आप जैसे मिनिस्टर मौजूद हैं और कोई फ़ैसला इस किस्म का सरकार से करायें और पार्लियामेंट के अन्दर यह एक तजवीज़ लायें कि सरकार ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि साल भर के अन्दर देश के हर एक बाशिंदे को जिसके कि पास अपना खुद का मकान व ज़मीन नहीं है, थोड़ी ज़मीन मिल सकेगी जिस पर कि वह अपना मकान बना सके और वह उस मकान का मालिक हो सके ।

शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की तरक्की के लिए सरकार उनको रिज़रवशन देती है लेकिन मेरा कहना है कि उस रिज़रवेशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि शैड्यल्ड कास्ट्स के बच्चे बच्चे को एक, एक मकान न मिल जाये । उनकी इस तरह से तरक्की करनी चाहिए, इस तरह से उनको बराबर लाना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि गांव, गांव में लोग यह समझें कि वह गवर्नमेंट जोकि गरीबों की और जनता की सरकार होने का दावा करती है वह वाकई उनकी सरकार है और उसने यह किया है । जहां तक उन मकानों या ज़मीन की कीमत का प्रश्न है, वह किश्तों में वसूल हो सकती है ।

मैं इस हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ख़याल है कि जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है, वह मिनिस्टर साहब के दिल में भी है । मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस स्कीम को पूरा करेंगे ।

श्री बृजराज सिंह (बरेली) : माननीय सदस्य के दिल में जो भावना है, वह मिनिस्टरों के दिलों में क्यों नहीं है ? माननीय सदस्य मिनिस्टर नहीं बन सकते और मिनिस्टर यह भावना नहीं रख सकते ।

एक माननीय सदस्य : लेकिन मिनिस्टर बनने पर यह भावना नहीं रहेगी ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ ही बातें कहनी हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री त्यागी :** मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं। हम पुराने अधिनियम की अवधि को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं अतः मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया जाये कि अधिनियम में अमुक संशोधन करके उसकी अवधि बढ़ाई जाए तो वह नियम विरुद्ध नहीं होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं तो यह नहीं कह सकता । आप स्वयं नियम जानते हैं ।

†**श्री वारियर :** श्रीमन्, मैं भी यही कहने वाला था कि सारे विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए थी । मैं समझता हूं कि संशोधन विधेयक में जो धाराएं प्रस्तुत की जाती हैं उनमें ही संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है । यदि सारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता तो इस अधिनियम के प्रवर्तन सम्बन्धी हमारे ज्ञान और अनुभव का उसमें समुचित संयम हो सकता था ।

जिस तेजी के साथ सरकारी संस्थाओं में वृद्धि हो रही है उसी तेजी से श्रेणी ३ और ४ के कर्मचारियों में भी वृद्धि हो रही है । दोनों के लिए निर्माण कार्य समान गति से होना चाहिये ।

फिर केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं अर्थात्, गैर-सरकारी कर्मचारियों अर्द्ध सरकारी संस्थान के कर्मचारियों, विदेशी दूतावासों आदि के लिए भी जगहें चाहियें । दिल्ली का महत्व बढ़ गया है और अन्य अनेक लोग भी यहां आते हैं । परिणाम यह है लोग अपने मकानों का थोड़ा सा भाग किराये पर दे कर बहुत अधिक किराया वसूल कर लेते हैं ।

कभी कभी हम देखते हैं कि जीर्ण शीर्ण भवनों का अधिग्रहण किया जाता है और उस के लिए बहुत अधिक मल्य दिया जाता है । हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी नगरों में बड़े बड़े जमींदारों महाराजाओं के बंगले इसी प्रकार लिए गए हैं जिस की बहुत आलोचना हुई है ।

सम्पत्ति का मूल्य गहुत अधिक बढ़ रहा है । लोग नगर से १०-२० मील दूर जगह खरीद रहे हैं और उनका विचार है कि कुछ वर्षों बाद सरकार को जब कोई भवन अधिग्रहण करना होगा तो राज्य की विधि के अनुसार उन्हें अधिक पैसा मिल सकेगा । इसलिए सरकार को शीघ्र भवन निर्माण की योजना बनानी चाहिए ।

जब राज्य सरकार की सम्पत्ति का अधिग्रह या अर्जन केन्द्रीय सरकार करती है तो उस के पैसों का निर्णय करने में ही बहुत विलम्ब हो जाता है और उससे सरकार की योजनायें निलम्बित पड़ी रहती हैं । इस सम्बन्ध में मेरे नगर का ही उदाहरण है जहां से दो वर्ष से उपरोक्त कारणवश टेलीफोन एक्सचेंज नहीं बन सका । इस सम्बन्ध में भी सरकार को शीघ्र कुछ करना चाहिये । या तो कानून को ऐसा बनाया जाये कि क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मामलों का शीघ्र निबटारा हो जाये या अधि-ग्रहीत किया जाने वाला भवन पहले दे दिया जाये और बाद में क्षतिपूर्ति का निर्णय कर लिया जाये ।

गंदी बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं । बागान उद्योग और औद्योगिक आवास निर्माण के लिए काफी धन रखा गया है किन्तु उसमें से बहुत खर्च किया गया है । गत ढाई पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभव से लाभ उठा कर इस अप्रयुक्त धन का प्रयोग करना चाहिये । हमें नगरों में उपयोगी काम करने वाले उन लोगों के लिए इस धन का प्रयोग करना चाहिये जो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं । एक ओर तो बड़े बड़े भवन बन रहे हैं और दूसरी ओर यदि ये गंदी बस्तियां रहने दी गईं तो देश के लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कुं० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदस्य के सम्मुख जो संशोधन लाया गया है, उस का मैं स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि स संकटकालीन स्थिति में हम को कुछ जायदा दें आवास के लिये हासिल करने की जरूरत पड़ सकती है, इस वास्ते इस एक्ट की जिन्दगी को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। यह सही बात है। इस में भी कोई शक नहीं है कि इस मिनिस्ट्री ने जो काम किया है, वह प्रशंसनीय है। जिस भावना से यह मिनिस्ट्री काम कर रही है उसकी सराहना करना मेरी समझ में एक जरूरी सी चीज़ है। जिस प्रगतिशील भावना से आज काम किया जा रहा है, उसमें दिन-ब-दिन तरक्की हो और उस में कोई कमी न आवे, हम यही आशा कर सकते हैं।

माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि जिस वक्त यह एक्ट पास हुआ था, १९५२ में, उस समय जो हालात थे वे बिल्कुल जुदागाना थे। इससे यह ज़ाहिर हो जाता है कि जिन हालात में वह एक्ट बनाया गया था वे हालात ही जब बिल्कुल बदल गए हैं और उन बदले हुए हालात में हम जब भी कोई कानून बनायें तो यह न भूलें कि वह बदले हुए हालात के मुताबिक हो। जिन हालात में हमने कोई जायदाद रिक्वीज़ीशन उस वक्त की थी, और ऐसा करते समय जो बात हमारे सामने थी, वह हो सकता है कि आज न हो और कोई दूसरी ही समस्यायें दरपेश हों। इस वास्ते मैं समझता हूं कि महज़ इस एक्ट की जिन्दगी को बढ़ा देना ही काफी नहीं है। कुछ ज्यादतियों की तरफ तो माननीय मंत्री जी ने खुद ही इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त कुछ कठिनाइयां बहुत से मालिक मकानों को, मालिक जायदाद को, मालिक ज़मीनों को हो रही हैं जिन की तरफ उन का ध्यान अभी हाल ही में दिलाया गया है। अगर हम कोई अधिकार लेते हैं या अपने किसी अधिकार का विस्तार करते हैं, तो उसके साथ ही साथ हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर भी हमें गौर करना होता है। मालूम होता है कि इस पर कोई गौर नहीं किया गया है। केवल इस एक्ट की जिन्दगी बढ़ाने के लिए एक संशोधन विधेयक ला कर हमारे सामने पेश कर दिया गया है। जब माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि बहुत से हालात में बड़ी ज्यादतियों की बातें हो रही हैं, लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं, नुक्सान पहुंच रहा है, तो मेरी समझ में सरकार के ऊपर लाजिमी तौर पर यह बात आती थी कि उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो संशोधन हम को स में लाने चाहियें, उन संशोधनों को भी इस में लायें, जिन्दगी बढ़ाने की जब तजवीज़ हो, उन को भी उसमें सम्मिलित कर लें। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो संशोधन जरूरी थे, उनको भी इसके साथ ही लाया जाना चाहिए था। यह बहुत जरूरी था। मैं समझता हूं कि यह बड़ी भारी कमी है जो रह गई है। जिन्दगी बढ़ाने के बारे में संशोधन लाया जायें और जो कठिनाइयां हो रही हैं, उन को दर-गुज़र कर दिया जाये महज़ यह कह कर कि हमारा उस ओर ध्यान है, मुझे तो यह चीज़ उचित नहीं मालूम होती है।

यह सही है कि इस तरह से जायदादें एक्वायर करने की बात नहीं की जा रही है और मैं उस के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन बहुत से हमारे टेनेंट्स हैं जो मकानों में रहते थे क्योंकि यह चीज़ जो है यह तो जो द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हुआ था, उसी वक्त से चली आ रही है। बहुत सी जायदादें तो ऐसी हैं जोकि उसी समय रिक्विज़िशन कर ली गई थीं और अभी तक भी रिक्विजिशन हैं। उस में एक सवाल तो यह पैदा होता था कि कुछ जो किरायेदार रहते थे, उन को निकाल दिया गया था और उन को यह आश्वासन दिया गया था कि उन के आवास के लिये दूसरा प्रबन्ध किया जायेगा। लेकिन अभी तक जहां तक मैं समझता हूं हमारी इस मिनिस्ट्री के द्वारा कोई संतोषजनक व्यवस्था इस सम्बन्ध में नहीं की गई है। पूरे फ़िगर्ज़ हम लोगों को नहीं बताये

[श्री कुं० कृ० वर्मा]

गये हैं कि जितने किरायेदार निकाले गये थे, उनमें से कितनों के लिये दूसरा प्रबन्ध किया गया और क्या सभी के लिये कर दिया गया है या नहीं किया गया है ।

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : यह अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक है इसकी गंदी बस्तियां दूर करने से कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री कुं० कृ० वर्मा : यह सही है कि एविकशन वाला इस वक्त नहीं है । लेकिन जब हम किसी जायदाद को या किसी मकान को रिक्विज़िशन करते हैं तो ऐसे हालात जरूर पैदा होते हैं कि जो दूसरा एविकशन का ऐक्ट है, उस के अन्तर्गत वह चीज़ आ जाती है और उस के अन्तर्गत उन को एविक्ट करना पड़ता है । इस के लिए हम को वह अख्त्यार लेना पड़ता है जिससे हम उस पर कब्ज़ा पा सकें । जब कब्ज़ा पाने के सिलसिले में वह बातें हमें करनी होती हैं तो इन सब बातों का भी खयाल हमें रखना चाहिये था ।

दूसरी चीज़ यह है कि हम जिस वक्त रिक्विज़िशन करते हैं उस वक्त कुछ मुआवज़े की बात भी करते हैं । यह चीज़ धारा ८ में दी गई है और उसके लिए नियम यह रक्खा गया है कि जो लगान उस वक्त रायज होती है हम उस के हिसाब से किराया देते हैं । लेकिन जसा मंत्री महोदय ने खुद कहा, इस वक्त हालत यह हो गई है कि जो किराया तय किया गया था उस से कहीं ज्यादा टैक्स मालिक मकान को देना पड़ता है ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं ने सुना है ।†

श्री कुं० कृ० वर्मा : आपने जो सुना है वह मेरी समझ में ठीक ही सुना है, गलत नहीं सुना है । मैं समझता हूं कि अगर इस एक्ट के अन्दर ही आप इस के लिए कोई बात कर सकें तो सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ऐसा करना मुश्किल होगा । इसलिए इस के बारे में भी कोई संशोधन ज़रूरी हो जाता है और इस हाउस के सामने उसे आना चाहिये था । यह बात सही है कि हमारी वर्तमान मिनिस्ट्री का उद्देश्य यह है कि ऐक्वायर न किया जाये, लेकिन अगर उस में कोई प्राविज़न मौजूद है कि हां, हम ऐक्वायर कर सकते हैं तो ज़माने में जो तब्दीली हुई है उस के हिसाब से सभी लोग जानते हैं कि जायदादों की कीमतें इस वक्त दुगुनी ही नहीं, बल्कि पांच गुनी, दसगुनी, और कहीं कहीं पर बारह और पन्द्रह गुनी तक हो गई हैं । बाज़ लोकैलिटीज़ ऐसी हैं जहां इस हिसाब से कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन हमारे ऐक्ट के सेक्शन ८ में क्लाज़ ३ में दिया हुआ है कि धारा ७ के अधीन अधिग्रहीत सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति उन मल्यों में से जो कम हो उससे बराबर होगी जो अधिग्रहण के समय की स्थिति में सम्पत्ति के अर्जन के समय बाजार में प्राप्य हो या उस मूल्य से दुगुनी जो **व्हिचएवर इज लेस** के माने साफ साफ़ यह होंगे कि अगर उसकी प्राइस दुगुनी या लेस होती है तो हम उसी के देनदार होंगे, उस से ज्यादा के देनदार नहीं होंगे, जबकि सभी को मालूम है, और मेरी समझ में मंत्री महोदय को भी मालूम होगा कि इस वक्त ट्वाइस का कोई सवाल नहीं है । इस समय दस गुनी और बारह गुनी कीमतें बढ़ गई हैं । अगर कहीं यह नौबत आती है कि हम किसी की जायदाद हासिल करें तो उस का नतीजा क्या होगा । जो कम्पेन्सेशन उस का उसे मिलेगा क्या उस से उस का गुज़र बसर हो सकता है । क्या हम वाकई उस को सही मानों में मुआवज़ा देते हैं । मैं समझता हूं कि नहीं देते हैं । यह बात कही जा सकती है कि इस वक्त जो कीमतें बढ़ गई हैं उस में सरकार का भी बड़ा भारी हाथ है । सरकार जनता की नुमाइन्दा है और अगर इस नाते उस के द्वारा ऐसी फ़िज़ा पैदा

†मूल अंग्रेज़ी में

होती है, ऐसी समस्यायें पैदा होती हैं, जिन की वजह से कीमतें बढ़ती हैं, तो वह भी मुआवज़ा पाने की मुस्तहक है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह दलील जो सरकार की है उस पर कारगर इसलिये नहीं होती है कि जो मालिक जायदाद है उस को जो मुआवज़ा मिलता है वह उस से उसी हैसियत की जायदाद नहीं ख़रीद सकता है और वह ख़ामख़्वाह नुक्सान में पड़ता है। मैं समझता हूं कि वास्तव में शक्ल ऐसी आ जाती है कि हम उस जायदाद को आधा, तीहा, जो कुछ कम्पेन्सेशन हिसाब से पड़ता है, उस पर उसे ले लेते हैं, । यह चीज़ बड़ी भारी जांच की वस्तु है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन भी इस में आना चाहिये कि **व्हिचएवर इज़ लैस** की बात जो है उसे इस में से निकाल देना चाहिये । बल्कि इस वक्त जो प्राइस हो हम उस के देनदार हो जायें तो मैं समझूंगा कि वाकई कोई ज्यादती नहीं होती है ।

सरकार को हमेशा इस तरफ ध्यान देना चाहिये, जैसाकि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, कि हम बड़े बड़े आदमियों के आराम और आसाइश और दुनियां भर की बातों की व्यवस्था तो करें लेकिन जो छोटे लोग हैं उन की तरफ ध्यान न दें, उन की तरफ न्यायपूर्ण दृष्टि न रक्खें, जैसेकि हम दूसरे लोगों के लिये रखते हैं, तो यह चीज़ बड़ी अनुचित होगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नौशेरवां के लिये कहा जाता है कि उस के महल के बग़ल में एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी। वह बदनुमा मालम होती थी। वहां सलाह हुई कि उस की झोंपड़ी को ले लिया जाये । नौशेरवां की तरफ़ से बहुत से लोगों ने उस बुढ़िया को समझाया कि तुम अपनी झोंपड़ी दे दो, इतनी उस की कीमत ले लो, यह कर लो, वह कर लो, लेकिन बुढ़िया ने कहा कि यह झोंपड़ी मेरे बाप दादा की है, मैं इस की मालिक हूं, मैं इस को देने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं हूं । नौशेरवां को जब यह बात मालूम हुई तो उस ने इस बात का तहैया किया कि नहीं, चाहे वह बुढ़िया गरीब हो, छोटी से छोटी औरत हो, लेकिन उस के साथ भी न्याय होगा, और मैं उस की झोंपड़ी को हर्गिज़ नहीं लूंगा। आज तक उस के महल के बग़ल में इस किस्म की झोंपड़ियां मौजूद हैं और उस ने इस बात को गवारा किया। इस लिये मैं समझता हूं कि अगर वाकई में हम को सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी को क़ायम रखना है तो इन उसूलों की तरफ, इन चीज़ों की तरफ़ हम को ध्यान देना होगा । अगर हम इस तरीके पर चलें तो वाकई में हम कह सकेंगे कि हम वास्तव में सोशलिस्ट टर्न आफ़ सोसायटी चाहते हैं। वर्ना अगर हम नाम के लिये बाज़ वक्त इधर उधर कहते रहें कि हम यह चाहते हैं, वह चाहते हैं, उस को वास्तविक रूप में न लायें, तो यह ठीक नहीं है। हम नहीं कह सकेंगे कि हम वास्तव में इस चीज़ को चाहत हैं, बल्कि हमारे विरोधी लोग कहेंगे कि यह बड़ी भारी मक्कारी है । इस लिये मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इन बातों की तरफ ध्यान दें और थोड़े दिन में कोई न कोई संशोधन इस विधेयक के ऊपर लावें ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, सन, १८४१ में अंग्रेज़ जिस कानून को लाये थ उस के मातहत मार्केट वैल्यू की १५ फ़ी सदी क़ीमत दी जाती थी और आज स्वतन्त्रता के दिनों में जो बिल लाया गया है उस के मातहत केवल दुगुनी कीमत या उस से भी कम पर हम जायदाद ख़रीद सकते हैं। इस का मतलब यह होाग कि सरकार ज़मीन को २ रुपये गज़ ले कर ६६ रुपये गज़ तक पर बेच सकती है। सरकार ३० रुपये या ४० रुपये गज़ तक मुनाफ़ा कमा सकती है । अगर किसी ग़रीब ने उस वक्त ज़मीन ली थी जबकि उस की कीमत कम थी और आज उस की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो मार्केट वैल्यू के साथ जो कीमत उस को मिलेगी उस का कोई जोड़ नहीं है। इस लिये दुगुनी कीमत की बात जो रक्खी गई है उसे हटाया जाय और जो मार्केट वल्यू हो उस के मुताबिक मुआवज़ा दिया जाये। पंजाब में श्री प्रताप सिंह कैरों ने पचास

[श्री यशपाल सिंह]

गुना तक मुआवजा दिया है और वहां के किसान उन के गुण गा रहे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ दुगुनी कीमत दे कर यह चाहती है कि ज़मीन ले ली जाये। यह अच्छा नहीं मालूम होता।

इस के साथ साथ जब यह बिल बना तो ज्वायेंट कमेटी में यह आश्वासन दिया गया था कि यह सिर्फ दस सालों के लिये बनेगा। दस साल हो गये हैं लेकिन यह मसला हल नहीं हुआ। मसले का हल यह नहीं है, मसले का हल यह है कि यहां से आफ़िसेज़ उठाये जायें। जैसा गांधी जी ने कहा था कि देहातों के अन्दर नये मकान बनाये जायें और शहरों में नई मकानियत कम की जाये। लेकिन आज शहर बसते जा रहे हैं और गांव उजड़ते जा रहे हैं। हमारे मंत्री महोदय ने अमरीकनों का जिक्र किया। हमने अमरीकनों को बहुत बसाया है। सब से पहले मेरी कांस्टीटुएन्सी में अमरीकन आ कर बसे। ऊंचे से ऊंचे अमरीकन आ कर बसे। ऐसे ऐसे लोग बसे जिन को अमरीका की सरकार दस दस हजार रुपये माहवार देती थी। मैंने उन को बहुत जगह दे दी। हमने उन को देहात में बसाया और देहात में पक्की सड़क बनवायीं। देहातों में हम ने रोशनी का इंतज़ाम किया। देहातों में अस्पतालों का इंतज़ाम किया। थोड़े से अगर विदेशी आ जायें और सरकार उन के लिए बसे हुए लोगों को उजाड़ना चाहे तो यह अच्छी बात नहीं है।

अभी जैसा कि मंत्री महोदय ने बतलाया कि ५५००० और ७५००० का मामला है और जैसा कि अभी श्री त्यागी ने कहा कि ७४००० मकानों का मामला है, ७४००० कर्मचारी ऐसे है जिनके कि पास रहने को मकान नहीं हैं तो उस के लिए सरकार को तकलीफ़ करने की जरूरत नहीं है। उस के वास्ते ज़मीन हम से लीजियेगा। ज़मीन हम देंगे देहात में और बगैर मुआविजे के देंगे। उस के लिए सरकार से हम कोई मुआविजा नहीं लेंगे। लेकिन जो पिछड़े और ग़रीब आदमी हैं, पस्ती की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उन से कहा जायें कि चूंकि यहां पर कोई नई बिल्डिंग बनेगी इसलिए वह यहां से हट जायें और उसे उसकी जगह से उजाड़ा जाये तो यह न्यायसंगत और तर्कसंगत बात मालूम नहीं होती है। मेरी आप से यह दरख़्वास्त है कि इस नये बिल को लाने से पहले आप इस बात पर गौर कीजियेगा कि आज जो आपका रिहैब्लिटेशन चल रहा है वह उस सोशलिस्टिक पैट्रन आफ़ सोसाइटी से मेल नहीं खाता है जिसका कि हम दावा करते हैं। अगर दरअसल सोशलिस्टिक पैट्रन आफ़ सोसाइटी हो तो आज का रवैय्या बंद होना चाहिए। अगर वाक़ई सोशलिस्टिक सोसाइटी हो तो आज रेलवेज में तो फ़र्स्ट क्लास का टिकट मिलता है वह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख कर दिया जाये। रेलवे में फर्स्ट क्लास का जो टिकट मिलता है वह आदमी की हैल्थ को देख कर दिया जाये। रेलगाड़ी में रेलवेज का आदमी हो या कोई बीमार है तो वह फर्स्ट क्लास में चलता है लेकिन जो देश की रक्षा कर सकता है वह थर्ड कलास में चलता है। अब अगर सोशलिस्टिक पैट्रन आफ़ सोसाइटी होती तो ऐसे नहीं चलता।

अब श्रीमन्, मैं सध्या, पूजा पाठ में रहता हूं, मुझे इस संध्या व पूजा पाठ का इस तथाकथित सोशलिस्टिक पट्रन आफ़ सोसाइटी में यह मुआविज़ा मिला कि मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूं। मामूली से कमरे में रहता हूं। मैंने यहां हाउस में भी यह कहा कि आप चाहे किराया ४, ५ रुपया माहवार तक बढ़ा दें, १००० रुपया माहवार तक भले ही बढ़ा दें लेकिन एम० पीज० को इन कबूतरखानों में भगवान के लिएन रखिये जिनमें कि आज उनको रक्खा जाता है। अब आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिये कि मुझे हाई ब्लड प्रैशर हो जाये तो मुझे हाउस कमेटी के चेअरमैन साहब रहने के लिए बढ़िया बंगला दे देंगे लेकिन चूंकि मैं स्वस्थ हूं

इसलिए मुझे अच्छी जगह नहीं मिलती है। सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब यह है कि ज़रूरत के मुताबिक दिया जाय, जिसे जिस चीज की ज़रूरत हो उसे उसके मुताबिक दिया जाय। मेरा कहना यह है कि अगर कोई मंत्री साहब हैं और वे अकेले हैं, बाल बच्चे नहीं हैं, विडोअर हैं तो उनको बड़े बड़े बंगलों से हटा कर छोटे छोटे कमरों में भेजा जाय। अब अगर मुझे हार्टट्रबल होती तो माननीय मिनिस्टर मुझे देखने के लिए अस्पताल में आते लेकिन मैं चूंकि स्वस्थ हूं इसलिए मुझे एक छोट से कमरे में बै ा दिया गया है। अब यह कैसी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी है कि मनुष्य को उस के विकास के लिए काफ़ी जगह भी नहीं मिलती है . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका विधेयक से कोई सम्बंध नहीं।

†**श्री त्यागी** : वह हृदय रोग का समाजवाद स्थापित करना चाहता है।

श्री यशपाल सिंह :-मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह ५५००० या ७५००० आदमियों के बसाने का सवाल है तो यह ७५००० आदमी बग़ैर एक शख़्स को उजाड़े हुए भी बसाये जा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस को इस ढंग पर किया जाय ताकि एक व्यक्ति भी उजाड़ा न जाय और एक आदमी को भी बेदख़ल न किया जाय और जैसा मैंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो वह ऐसा कर सकती है और उन ७५००० आदमियों को बसा भी सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा बिल लाया जाय जो कि कम्प्रीहैंसिव हो और सारे देश पर लागू हो। यहां शहरों में तो यह बात कही जाती है कि आदमी के साथ आदमी सोता है लेकिन देहातों में हालत इससे कहीं बदतर है। हम किसानों और मज़दूरों की जो कि गांवों में रहते हैं, दिक्कत को नहीं समझ सकते हैं। वहां हम लोग भैंसों के साथ सोते हैं, गाय और बैलों के साथ सोते हैं, दस, दस आदमी एक, एक चारपाई पर सोते हैं, रात रात भर जाग जाग कर काटना पड़ता है। उन ग़रीब लोगों के लिए इस बिल के अंदर कोई चिन्ता नहीं की गई है।

माननीय खन्ना जी से जो कि इस समय मिनिस्टर हैं उन से हमें यह आशा है, उन की मुंसिफमिजाज़ी से हमें यह उम्मीद बंधती है कि वह उन बेकसों के लिए ज़रूर कुछ इंतज़ाम करने के लिए सोचेंगे। उन्होंने इस से पहले भी बड़े बड़े काम किये हैं, उनसे हमें यह उम्मीद है कि इस बिल को एक कम्प्रीहैंसिव बिल की शक्ल में रक्खा जायगा और बग़ैर एक आदमी को उजाड़े हुए यह मसला हल किया जायगा। मिनिस्टर साहब की लौंग लाइफ़ और अच्छी सेहत के लिए हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग रोज सवेरे उठ कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या ही अच्छा हो कि उन करोड़ों की तादाद में और करोड़ों का इजाफ़ा हो। हम यह चाहते हैं कि एक व्यक्ति को भी उसकी मरज़ी के खिलाफ़ न उठाया जाय। तने देहात पड़े हुए हैं, इतने मैदान पड़े हुए हैं जहां कि उनको आसानी से बसाया जा सकता है। गांधी जी ने कहा था कि अगर सही स्वराज्य लाना है तो गांवों में नये नये मकान बनाइये और शहरों में मकान बनाना बंद कर दीजिये। आज भी इस बात की ज़रूरत है कि शहर में जो आफिसेज़ वगैरह हैं उनको शिफ्ट करके देहातों में ले जाया जाय और दूसरी जगह हमारे भाई यानी क्लास ४ के जो कर्मचारी हैं और जो कि मवेशियों की तरह रह रहे हैं, उन का सही इतज़ाम किया जाय।

शहरों में आज जो बेतहाशा आबादी बढ़ती जा रही है उस से ग़रीब आदमी ही पिस रहे हों सो बात नहीं है, अमीर आदमी भी उससे नुक़सान उठा रहे हैं। यहां दिल्ली के अंदर मिनिस्टर्स

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशपाल सिंह]

हैं, आई० सी० एस० और आई० ए० स० के बड़े बड़े अफसर रहते हैं और वे सब आज इसी दिल्ली मिल्क सप्लाई का बोतलों का दूध लेते हैं। बोतल वाला दूध उन तक ७२ घंटे बाद पहुचता है, दूध बिलकुल बासी हो जाता है, दूध में बदबू आने लगती है और वह बिलकुल नाकारा हो जाता है और वह दूध सब मिनिस्टर्स और बड़े बड़े सरकारी अफसरान आज पी रहे हैं। चूंकि मिनिस्टर साहब को स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं है इसलिए बड़े फक्र से पूछते हैं कि यह दिल्ली मिल्क सप्लाई की बोतल है या नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि दिल्ली शहर की आबादी कम हो और देहात की आबादी बढ़े और इसके लिए जैसा मैंने पहले कहा मिनिस्टर साहब को उस हिसाब से अपने हाउसिंग की स्कीम चलानी होगी। अगर वे ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जहां आज करोड़ों लोग खन्ना जी की लौंग लाइफ़ और सुन्दर हैल्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन प्रार्थना करने वालों में लाखों और करोड़ों का और इजाफ़ा हो जाने वाला है।

मेरी यह अर्ज है कि या तो इस बिल को वापिस लिया जाय लेकिन अगर इसे पास ही करवाना है तो यह ज्वाइंट रिसपौंसिब्लिटी है, यह सम्मिलित आपकी जिम्मेदारी है इसलिए इसे होम मिनिस्टरी से पेश करवा दीजियेगा क्योंकि होम मिनिस्टरी और हत्या का आपस में एक अच्छा मेल है, दोनों की एक राशि भी है लेकिन इस मिनिस्टरी से जो कि इतनी सुन्दर है उससे इस बिल को न लाया जाय। अगर लाना ही है तो नये सिरे से एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाया जाय जिसमें खाली यहां का ही नहीं अपितु सारे देश भर के विस्थापित और बेघर लोगों को बसाने का इंतजाम हो।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : यह विधेयक प्रतीत तो हानि रहित होता है किन्तु इसमें बहुत खतरा है। विश्व भर में यह खतरा पैदा हो रहा है कि अधिकाधिक जन संख्या गांव से कस्बों और कस्बों से बड़े बड़े नगरों में जा रही है। समाजशास्त्री इस खतरे के निवारण के लिये प्रयत्नशील हैं। कुछ देशों में किसी नगर में प्रवेश के लिये पारपत्र की आवश्यकता पड़ती है उसका भी यही उद्देश्य है।

माननीय मंत्री इस विधेयक के द्वारा यह प्रयत्न कर रहे हैं कि बम्बई कलकत्ता और दिल्ली के जो नगर पहले ही बहुत बड़े हो गए हैं उनमें अधिकाधिक मकान बना दिये जायें और वहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो जायें।

मैं इस सम्बन्ध में चेतावनी देना चाहता हूं कि वे छोटे नगरों और गांवों को हानि पहुंचा कर इन बड़े नगरों को समृद्ध बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

सभी जानते हैं कि गांवों की आजकल क्या स्थिति है। हम लोग गांवों में क्यों नहीं रहना चाहते उनकी दुर्दशा क्यों है? उसका कारण यह विधेयक है। हमें सचेत होकर भविष्य की कल्पना को दृष्टिगत रखते हुए योजना को बनाना चाहिये।

यह विधेयक, १९५८ मे प्रस्तुत किया गया था। किन्तु अधिग्रहण और अर्जन की बात हमें किसने सिखाई थी? वे विदेशी लोग थे। उन्होंने युद्ध काल में इसका वर्तन किया था। किन्तु आज न तो विदेशियों का शासन है और न ही युद्ध काल की स्थिति है। किन्तु मंत्री महोदय युद्धकालीन प्रवृत्ति को सजीव क्यों रखना चाहते हैं। वे कहते कि उन्हें संकट काल के लिये जगह चाहिये उन्हें सिपाहियों

†मूल अंग्रेजी में

के लिये जगह चाहिये जो लड़ाई पर जा रहे हैं। तो हम उनकी सेवा के लिये कटिबद्ध हो जाते किन्तु उन्हें तो दफ्तरों के लिये जगह चाहिये। हम उनके पूर्वाधिकारी और उन से यह पूछते रहे हैं और उत्तराधिकारी से यह पूछते रहेंगे कि आप दफ्तरों को दूसरे नगरों में क्यों नहीं ले जाते।

वे कहते हैं कि वे स सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि किसी दफ्तर के स्थानान्तरण का आदेश देते हैं तो दवाव के कारण आदेश वापस लेना पड़ता है। अधिग्रहण का अधिकार लेने की बजाय उन्हें करना तो यह चाहिये कि वे दफ्तरों को बाहर भेज ें।

उन्हें दफ्तरों के लिये ५९ लाख वर्ग गज भूमि और ७४,००० रिहायशी मकानों की आवश्यकता है। यदि वे कहते कि इन मका ों में से ७०,००० मकान गंदी बस्तियों में रहने वाले दरिद्र लोगों के लिये चाहिये तो हम समझते कि यह अच्छा विधेयक है। किन्तु उन्हें यह जगह बड़े बड़े अधिकारियों और संसद सदस्यों के लिये चाहिये श्रेणी ३ और ४ के कर्मचारियों के लिये नहीं।

सम्पत्ति के प्रश्न को मैं नहीं लेता। मैं समझता हूं कि अधिगृहीत सम्पत्ति का उचित मूल्य दिया जायगा। किन्तु इस देश का नागरिक और संसद् का सदस्य होने के नाते मैं विधेयक से संतुष्ट नहीं हूं।

इस लिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को विधेयक वापस ले लेना चाहिये और ऐसा विधेयक लाना चाहिये जो सब के लिये समान रूप से हितकारी हो।

†**श्री रा० बरुआ** (जोरहाट) : यह विधेयक मूल विधेयक के काल में वृद्धि करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। मूल विधि को युद्ध काल में, संकट काल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लाया गया था। थोड़े थोड़े समय के पश्चात् वर्तमान अधिनियम की अवधि बढ़ा कर यह सिद्ध करना चाहती है कि हम अभी भी युद्धकालीन स्थिति से ही निकल रहे हैं इसके साथ ही सरकार की ओर से केवल इतना ही बताया जा रहा है कि स्थान की कमी है। सरकार को यह बताना चाहिये कि गत कुछ वर्षों से सने इस समस्या को हल करने के लिये क्या कुछ किया है। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि यह अब जो अवधि बढ़ाई जा रही है, समें वह अपेक्षित कमी पूरी करने में समर्थ हो जायेगी। परन्तु यदि वह अपनी स्थिति को छिपाने का यत्न कर रही है तो यह बहुत ही दुःखदायी स्थिति होगी।

भारत सरकार के यहां तक सम्बन्ध है, देखा यह गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, अपनी योजनाओं को तुरन्त कार्यान्वित नहीं करता है। एक ही स्थान का निर्माण करते बरसों लग जाते हैं। तो स सब का कोई इलाज है तो आवास मंत्रालय के पास ही हो सकता है। मेरा निवेदन है कि मंत्रालय को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पुनर्गठन करना चाहिये ताकि वह जनता की आवश्यकताओं के अ ुसार कार्य कर सके। मेरा निवेदन है कि सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि एक निश्चित अवधि में मकान बनायेगी ताकि सरकार को गैर सरका ी मकानों का अधिग्रहण न करना पड़े।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। यह नहीं कि इस विधेयक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी तक जिस ंग से स कानून को कार्यान्वित किया गया हैं उसको देखते हुए में समझता हूं कि इस कानून का कार्यकाल समाप्त होने देना चाहिए और कुछ समय के बाद नये ढंग से, नये सत्र में, नये दृटिकोण से एक कानून बनाया जाना चाहिए। अभी तक इस बिल को शोषण के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जरूरी बातों और समस्याओं के नाम पर। इसस दो तरफा शोषण हुआ है, एक तो किसान का शोषण किया जाता है और दूसरे अल्प आमदनी वाले जो किराएदार हैं

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीकिशन पटनायक]

या किराएदार होना चाहते हैं उनका भी शोषण होता है किसानों के बारे में मैं एक बात कह दूं कि किसानों से बहुत कम कीमत पर जमीन ऐक्वायर की जाती है, जैसे कि दिल्ली की उन्नति के लिये देहात के किसानों से जो जमीनें एक्वायर की गई थीं उन का रेट २ रु०, ३ रु० या ज्यादा से ज्यादा ४, ५ रु० गज़ था। लेकिन नाम के वास्ते उन का डेवलपमेंट करने के बाद उन ज़मीनों को अब नीलाम में बेंचा जा रहा है जिस से कि उनका दाम हो जाता है ४० रु०, ५० ० और ७० रु० गज़ तक। इस तरह से मुनाफाखोरी होती है क्या वह सरकार के लिये जायज़ है। किसानों से २ रु० गज़ के हिसाब से सरकार जमीन ले और उस पर इतना मुनाफा करे, यह सरकार के लिये बिल्कुल उचित नहीं है यह किसानों का जबर्दस्त शोषण है। मैं समझता हूं कि इस शोषण को पहले बन्द हो जाना चाहिये। इस शोषण के पहले जो प्राइवेट कालोनाइज़र्स थे, निजी कारोबार करने वाले थे, वे लोग शोषण किया करते थे लेकिन उन के मुनाफे का जो हिसाब था वह इससे कम था, जिस हिसाब से कि सरकार मुनाफा कमा रही है। अभी भी दिल्ली में लोग कहते हैं कि अच्छा था जब कि प्राइवेट कालोनाइजर्स का जमाना था क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा मुनाफाखो ी जमीन के ऊपर होती है, और यह सब होता है गरीब लोगों के नाम पर, अल्प आमदनी वालों के वर्ग के नाम पर। आज जमीनों की उन्नति करने के बाद जो खर्च आता है उन्नति का उस को जोड़ कर सरकार को बेचना चाहिये था। इस तरह से जोड़ कर सारी कास्ट हो सकती है ५ रु०, १० रु० या १५ रु०। इस के बदले में उस को २० या ३० ० गज़ में बेचना चाहिये था, उन लोगों को जिन को वास्तव में अभाव है मकानों का यानी जिन लोगों को आमदनी कम है। लेकिन इस को करने के बजाय सरकार ने यह नियम बनाया है कि दिल्ली में जो जमीन की बिक्री हो रही है वह आक्शन बेसिस पर होगी। यह शोषण का पहला नमूना है क्योंकि जो जमीन नीलाम में बेची जाती है उस को सिफ रईस ही ख ीद सकते हैं। चूंकि रईस लोगों को सीधे जमीन नहीं मिलती है इस लिये बड़े बड़े रईस लोग ज़मीन खरीद के लिये दलाल रखते हैं, अल्प आमदनी वाले वर्ग में से ले कर। उनसे वे ज़मीन खरीदवाते हैं और खुद उस के मालिक बन कर रहते हैं। दिल्ली में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि डेवेलप्ड लैंड की जो बिक्री दिल्ली में हो रही है वह बिल्कुल अल्प आमदनी वाले वर्ग के हाथ में नहीं जा रही है। वह तो सिर्फ रईसों के ही हाथ में जा रही है। इस चीज़ को पहले बन्द कर देना चाहिये और इस के लिये ऐसा कोई कानून बनाने की जरुरत है जिस में ऐसी शर्त या नियम रख दिया जाय जिस से कि उस कानून का दुरुपयोग न हो सके। इस लिये मैं मंत्री महोदय के सामने यह अर्ज पेश करता हूं कि वे इस तरह का अपना दृष्टिकोंण बना लें।

दूसरी बात यह है कि सरकार की घोर लापरवाही रही है इस दिशा में। दिल्ली में एक बहुत बड़ा मसला है इस का अल्प आमदनी वालों के नाम पर जमीन ली जाती है, मकान भी बन जाते हैं। लेकिन लोगों को मकान मिलते नहीं हैं, उनको किराये पर दिया नहीं जाता है। भरतनगर के पास करीब ६०४ लोगों के लिये एक बड़ी मारत बनी हुई है। ाई सालों से वह इमारत बन कर पड़ी हुई है वैसे ही, उस को किराये पर भी नहीं दिया जा रहा है। अभी तक उस को कंट्रैक्टर के हाथों से अधिकारियों ने लिया भी नहीं है। स का नतीजा यह हुआ है कि वह मकान गिरने वाले भी हो गये हैं, उन की छतें वगैरह सब खराब होने लगी हैं। यह जो इतना बड़ा स्टैंडिंग स्कैन्डल खड़ा हुआ है उस की तरफ किसी का ध्यान नहीं है।

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह किस का मकान है।

श्री किशन पटनायक: हो सकता है कि यह कारपो ेशन का हो या हो सकता है कि आप का हो या सरकार का हो।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरा नहीं है।

श्री किशन पटनायक : इसी तरह से होता है। कारपोरेशन कहता है कि इस की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है और केन्द्रीय मंत्रालय कहता है कि उस की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि ६०४ मकान बने पड़े हैं, कोई उन को जा कर देख सकता है। कुछ समय पहले दिल्ली के नागरिक लोग कारपोरेशन के पास गये थे, यह कहने के लिये कि यह मकान ख़ाली पड़ हुए हैं। अभी इमर्जेन्सी का पीरियड है, सरकार को पैसा ज्यादा चाहिये। वहां पर लाइट और पानी का इन्तज़ाम न होते हुए भी हम वहां पर किराये पर जा कर रहना चाहते हैं, हमें यह मकान दे दिये जायें। लेकिन कारपोरेशन ने कहा कि यह हमारे देने की बात नहीं है केन्द्रीय मंत्रालय ने कहा कि यह हमारे हाथ की बात नहीं है और मकान वैसे ही पड़े हुए हैं। हो सकता है कि सीधे मंत्री महोदय के महकमे में न आते हों। लेकिन चूंकि यह विषय उन के महकमे से ही सम्बन्धित है इस लिये उन को इस की जानकारी होनी चाहिये कि दिल्ली में ऐसे ६०४ मकान ढाई सालों से बने पड़े हुए हैं और उन का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन के महकमे का विषय न होने पर भी उन का कर्तव्य है कि वे इस बारे में ध्यान दें और इस के बारे में कुछ फैसला करें।

इस ढंग से अल्प आमदनी वाले वर्ग के नाम पर ज़मीन ली जाती है और उस का इस्तेमाल रईसों के लिए होता है यह शोषण एक तरफ़ और दूसरी तरफ़ किसानों से कम दामों पर ज़मीन छीन ली जाती है और उस पर बहुत मुनाफ़ाख़ोरी होती है। इस किस्म से दोतरफा शोषण इस कानून के नाम पर अभी चल रहा है। इस को बन्द करना चाहिये।

तीसरी बात यह है क मैं त्यागी जी ने जो कुछ कहा उस से सहमत हूं और मैं अर्ज़ करता हूं मंत्री महोदय से कि वे भी उन के भाषण से कुछ प्रेरणा लें। सरकार को पहला नियम यह बनाना चाहिये कि कुछ सालों के लिए, दस साल हो, पन्द्रह साल हो, सेन्टर इमारतें बनाना बिल्कुल बन्द कर दे यह बुनियादी नियम होना चाहिये ताकि हम फ़ज़ूलख़र्ची से बच सकें और उन पैसों से हम गरीबों की हालत कुछ सुधार सकें।

श्री बड़े : बड़े बड़े होटल बन रहे हैं।

श्री किशन पटनायक : वही तो कह रहा हूं। इस काम को कम से कम कुछ सालों के लिये बन्द कर देना चाहिये जब तक कि हम हर गरीब आदमी के लिये, हर नागरिक के लिये ,देश में एक छोटे से मकान का इन्तज़ाम न कर सकें। थोड़े दिनों तक अपनी लालच को मंत्री लोग और जो सरकार को चलाने वाले होते हैं रईस लोग होते हैं उन को दमन कर के रखना चाहिये। यही तीन बातें कहते हुए में अपना यह दृष्टिकोण रखता हूं कि इस बिल को ख़त्म कर देना चाहिये और नये ढंग से और नये सिरे से, नये दृष्टिकोण से नया बिल बनाया जाना चाहिये।

श्री कछवाय (देवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इसमें दो रायें नहीं हैं और इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मंत्री महोदय के द्वारा इस देश में और इस नगर में प्रगति हुई है। परन्तु विचार करने का विषय यह है कि देश की बढ़ती हुई आबादी की तुलना में इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है। इस बिल में यह बताया गया है कि इस इमर्जेन्सी-काल में हमें कभी भी ज़मीन की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए हम को ज़मीन लेने का अधिकार मिलना चाहिये, क्योंकि हम ने मकान बनाने हैं। लेकिन इस बात का क्या कारण है कि इस बिल को पेश करने से पहले ही पिछल नवम्बर से ले कर, जबकि इस देश में इमर्जेन्सी घोषित हुई थी, अब तक दिल्ली नगर में ६,३५३ झुग्गियां तोड़ी गईं और लगभग ३०, ४० हजार लोग बेघर कर के वे ज़मीनें ख़ाली कराई गईं? क्या कारण है कि इमर्जेन्सी के नाम पर बार-बार लोगों को उजाड़ा गया और उन को बेघरबार किया गया?

मैं यह बात कह दूं कि हमारे सदन में एक सदस्य हैं, जो कि पहले दूध और लस्सी के ग्लास

[श्री कछवाय]

धोया करते थे। उस के बाद वह कार्पोरेशन के मेम्बर बने। मेम्बर बनने के बाद उन्होंने चार, छः आने गज पर हजारों रुपये की जमीन खरीदी। वह जमीन बाद में तीस, चालीस रुपये गज पर बेची गई और उसके सम्बन्ध में उन्होंने पचास लाख रुपये कमाए। मैं इस का प्रूफ दे सकता हूं। उन के द्वारा कुछ लोगों को जमीन बची गई और उन लोगों ने वहां पर लाखों रुपयों की लागत से अपने कुछ मकान बनाए उन की शर्त यह थी कि आप मकान बनाओ, लेकिन मेरे नाम से यह कालोनी होनी चाहिए और वह कालोनी "गुप्ता कालोनी" के नाम से बसाई गई। उनके नाम के पहले "शिव" लगता है और अन्त में "गप्ता" लगता है। मैं उन का नाम नहीं खोलना चाहता हूं। लेकिन लाखों की लागत से उन लोगों ने जो कालोनी बनाई, वह तोड़ दी गई। मैं पूछना चाहता हू कि क्या उन लोगों ने फ्री जमीन ली थी ? क्या उन लोगों ने हजारों रुपया उस माननीय संसद्-सदस्य को नहीं दिया था ? वह सदस्य यहां बैठते हैं और उन्होंने सस्ती जमीन खरीद कर काफी पैसा कमाया है।

इस सम्बन्ध में जिन चार नगरों का नाम लिया गया है, अर्थात् दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, मैं देखता हूं कि ऐसे स्थानों पर हजारों लाखों की तादाद में मजदूर काम करते हैं। जो व्यक्ति इस देश में उत्पादन बढ़ाने में इतना सहयोग देते हैं, क्या कारण है कि उन के साथ इतनी धांधली की जाती है, उनके साथ इतना अन्याय किया जाता है कि उन को गन्दी बस्तियों और गन्दी जगहों में रहना पड़ता है, जहां बराबर सफाई नहीं हो ती है, जहां उनको पीने का पानी व्यवस्थित ढंग से नहीं मिलता है, जहां उन को लाइट नहीं मिलती है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की ोई व्यवस्था नहीं है ? आखिर इस का क्या कारण है ? योजना बनती है और यह बिल ी पास हो जायेगा, लेकिन इस सम्बन्ध में काम शुरू कब होगा ? यह काम उस समय शुरू होगा, जबकि संसद् के चुनाव का समय आयेगा और तब लोगों के विचार एक दम बदलने के लिए धड़ाधड़ मकान बनाय जायेंगे।

१९५४ में विदेश से लौट कर हमारे प्रधान मंत्री ने इसी दिल्ली में यहां की झुग्गी-झोंपड़ियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद प्रधान मंत्री ने कहा कि मैंने विदेशों में जा कर अच्छे मकान देखे हैं और जिस देश में अच्छे मकान ज्यादा बनते हैं, जिस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे मकानों में रहते हैं, वह देश ज्यादा उन्नतिवान् माना जाता है। उन्हों ने यह इच्छा प्रकट की कि ये गन्दी बस्तियां जला दी जाये और इनके स्थान पर अच्छे मकान बनाने चाहियें। उस बात को आठ साल होने को आये, लेकिन प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार झुग्गी-झोंपड़ियों की तरक्की नहीं हुई, उन की जगह पर पक्के मकान नहीं बने। उसी समय प्रधान मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि हमारे देश में ऐसा कोई बड़ा होटल नहीं है, जहां पर विदेशों से आने वाले लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो सके। उस घोषणा के दस मास के अन्दर ही करोड़ों की लागत से अशोका होटल बना कर तेयार कर दिया गया।

श्री मेहरचन्द खन्ना : वह मुझ से पहले की बात है।

श्री कछवाय : मैं ताजा उदाहरण बताता हूं। अब एक वेस्ट्रेन होटल बनाया जा रहा है, जिस पर २६ लाख का खर्चा किया जा रहा है। इमर्जेन्सी का नाम बार-बार लिया जाता है और कहा जाता है कि इमर्जेन्सी में को ज्यादा खर्चा नहीं किया जायेगा और इसी इमर्जेन्सी में पंखे की हवा खाने के लिए २६ लाख का होटल तैयार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के मजदूरों ने, क्या इस देश के ग़रीब लोगों ने इस देश का साथ नहीं दिया ? क्या उन्हों ने सरकार का साथ नहीं दिया ? जब अंग्रेजों से हमारी लड़ाई चल रही थी, तो कांग्रेस ने सारे देश में यह नारा दिया कि हम ने देश में राम-राज्य लाना है, इसलिये देश के मजदूरों औ रजवानो, हमारा साथ दो,

कांग्रेस का साथ दो। उस समय देश के मज़दूरों और गरीब लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन जब मज़दूरों ने यह देखा कि यह राम-राज्य एक ढकोसला है, यह राम-राज्य झूठा है, इस में कोई सार नहीं है, तो हमारे कांग्रेसी भाइयों ने सोचा कि यह बात बिल्कुल सही है, कोई राम-राज्य तो रहा नहीं, इसलिए एक नया नारा दो। तब उन्हों ने जनता के राज्य का नारा दिया। राम-राज्य से जनता का राज्य बन गया और जनता के राज्य में क्या हुआ, वह भी इस देश और जनता के सामने है, शासन के सामने है। देश में ज्यादा बेकारी बढ़ी, ज्यादा भुखमरी आई, ग़रीबों को ज्यादा सताया गया, यह उस प्रजातंत्र और प्रजा के राज्य का नमूना सामने आया। जब जनता ने यह समझ लिया कि इस प्रजा-राज्य में कोई सुख नहीं है, तो हमारे कांग्रेसी भाइयों ने अपनी मीटिंगों में सारे देश को नारा दिया कि यह न तो राम-राज्य है, न प्रजा-राज्य है, यह राज्य तो नेहरू का राज्य है और इस नेहरू के राज्य में नये मकान बनेंगे, नई जगह मिलेगी और लोग अच्छी तरह बसाए जायेंगे। यह नारा भी झूठा रहा। जब जनता का विश्वास इस नेहरू-राज्य से उठ गया, तो कामराज योजना का नारा दिया गया। जनता की जगी हुई शक्ति को कामराज योजना के नाम पर किस तरह दबाया गया है, वह सारा नक्शा आज देश के सामने है। आख़िर ये झूठ आश्वासन क्यों दिये जाते हैं ? प्रश्न यह है कि इस अवधि में कितने ज्यादा लोग पढ़े, कितने ज्यादा लोगों को घर-बार मिले, कितनी गन्दी बस्तियां कम हुईं ?

मैं पहले कह चुका हूं कि मैं मानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय ने बहुत सी प्रगति की है, लेकिन जहां मज़दूर वर्ग है, जहां पर फ़ैक्टरियां हैं, वहां पर कौन कौन सी कालोनियां बनाई गई हैं ? नन्दा कालोनी, देसाई कालोनी, गांधी कालोनी। इन तमाम कालोनियो में कौन लोग रहते हैं ? मज़दूर रहते हैं। परन्तु कौन से मज़दूर रहते हैं। वे मज़दूर रहते हैं, जो **इनटक** के सदस्य हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, जो नेहरू की दुहाई देते हैं, जो गांधी जी का नाम लेते हैं। वही मज़दूर उन कालोनियों में बसाए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह पक्षपात क्यों किया जाता है।

जिस गति से आज देश की आबादी बढ़ रही है क्यों नहीं उस गति से सारे देश में मकान बनाए जाते ? इस बात का क्या कारण है कि हमारे मकान बनाने का काम इतनी ढीली गति से किया जा रहा है ? ग़रीबों से टैक्स वसूल करने में तो सरकार की ओर से कभी भी ढील नहीं बरती जाती है। कौन सा उन को सामान सस्ता मिलता है कि उन को संतोष हो कि जितना हम कमाते हैं, उस में से दो पैसे बचा कर रख पाते हैं। ऐसे मज़दूर ज़रूर मिलते हैं, जो कुछ पैसा जमा कर के या कर्ज़ा ले कर मकान बनाने का इरादा करते हैं। लेकिन जब वे मकान बनाने का इरादा करते हैं, तो उन को लकड़ी ठीक नहीं मिलती है, सीमेंट के लिए उन को पचास चक्कर लगाने पड़ते हैं। टीन चद्दर के लिए उन को किसी एम० एल० ए० या एम० पी० को पकड़ना पड़ता है और उस की खुशामद कर के उस की सिफ़ारिश के द्वारा लेना पड़ता है, नहीं तो ब्लैक में लेना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है। इस प्रकार जो पक्षपात किया जाता है, उस को ख़त्म किया जाना चाहिये। सरकार के चलने की जो गति है, यह कम क्यों है ? क्यों नहीं इस गति को बढ़ाया जाता ? क्यों नहीं इस को तेज़ किया जाता ? यह बात निश्चित है कि देश में जितने ज्यादा बड़े और अच्छे

[श्री कछवाय]

मकान होंगे, जितने ज्यादा नये मकान बनेंगे, देश की उन्नति उसी के आधार पर देखी जायेगी ।

यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली–करोलबाग) : भूमि के अधिग्रहण, उसको प्राप्त करने सम्बन्धी यह जो विधेयक हमारे सामने आया है, उसका मैं स्वागत करता हूं ।

दिल्ली में जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है और उसको बसाने की जो समस्या हमारे सामने है, उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि भूमि का अधिग्रहण किया जाए, उसको प्राप्त किया जाए । दिल्ली में लगभग पचास हज़ार लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं । इन सभी को बसाने का मसला हमारे सामने है । इसके अलावा और जो लोग, नए लोग आ गए हैं और आ रहे हैं, उनके लिए भी मकानों की समस्या है । कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि किराये के मकानों में इस समय रहते हैं, उनको भी हमें मकान मालिक बनाना है । इन सब समस्याओं को देखते हुए यह भूमि अधिग्रहण वाला जो बिल आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं ।

आज दिल्ली में विकास की अत्यन्त आवश्यकता है और उसके लिए जहां तक हो सके, शीघ्राति-शीघ्र भूमि प्राप्त की जानी चाहिए । भूमि प्राप्त करने के बाद जो प्लाट्स हैं, उनको डिवेलेप कर के इन लोगों को दिया जाना चाहिये । इस काम में जितनी तेज़ी आ सके, उसका सभी को, इस सदन को, स्वागत करना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । जहां तक मुझे मालूम है कुछ समय पूर्व चौंतीस हजार एकड़ ज़मीन प्राप्त की गई थी और उसकी कीमत २ रुपया ४४ नए पैसे के आस पास पड़ती है, प्रति वर्ग गज़ । कहा जाता है कि ४० प्रतिशत ज़मीन के अन्दर तो प्लाट्स बनाये जाते हैं, बाकी को विकास के लिये रख लिया जाता है, जिसमें सड़कें आती हैं, पार्क आते हैं, स्कूल आते हैं तथा दूसरी जो नागरिक सुविधायें हैं वे आती हैं । उस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो लगभग ६ रुपये के आस पास यह ज़मीन पड़ती है या ७ रुपये प्रति वर्ग गज़ पड़ती है । उसके ऊपर अगर आप तीन रुपये डिवेलेपमेंट चार्ज़िज़ के लगायें तो इस दृष्टि से भी यह अधिक से अधिक कोई १७ रुपये के आसपास पड़ती है । सूद भी अगर उस रुपये का लगाया जाए जो खर्च किया गया है तो १८ या साढ़े १८ के आस पास वह पड़ती है । पिछले दिनों दिल्ली प्रशासन की तरफ से जो दिल्ली विकास अधिकरण है, जिसको डी० डी० ए० कहा जाता है, एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई थी जिसमें कुछ प्लाट्स देने की बात कही गई थी । जो फार्म थे, उनको मैंने देखा था । उनमें लिखा हुआ था कि कुछ प्लाट्स जो कि कम आय वालों को दिये जाने हैं ३१ रुपये और कुछ नए पैसे प्रति वर्गगज़ के हिसाब से दिये जायेंगे और कुछ ऐसे थे जो कि ३४ रुपये और ३५ रुपये प्रति वर्गगज़ के हिसाब से दिये जाने थे । अगर उनकी कीमत हम १७ या १८ या अधिक से अधिक आठ आने या एक रुपया और लगा दें तो भी ३१ रुपये वह कभी नहीं हो सकती है । इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस ओर आप का ध्यान जाए । यदि हम अल्प आय वाले लोगों को बसाना चाहते हैं तो हमें अपनी पालिसी बदलनी पड़ेगी । अल्प आय वर्ग में कौन लोग आते हैं । उन में आते हैं गरीब मजदूर, हरिजन, पछड़े वर्ग इत्यादि ।

भूमि के अधिग्रहण के सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भूमि तो प्राप्त की जाए लेकिन निवासियों को जब पलट कर देने की बात आये तो उसकी कीमत के बारे में सोचा जाए ।

इस बिल का मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिया है, उस पर माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे ।

श्री द्वारका दास मंत्री (भीर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल रिक्विज़िशनिंग एंड एक्विज़िशन आफ़ इमूवेबल प्रापर्टी का आया है और इस की अवधि और ६ वर्ष के लिए बढ़ाने की बात सरकार की तरफ से पेश की गई है यानी १९७० तक के लिए इसका लागू करने की बात कही गई है । इसके द्वारा सरकार चाहती है कि उसको अधिकार दे दिया जाए कि जिन ज़मीनों पर वह अधिकार कर चुकी है, उन पर इसका अधिकार कायम रहे और आगे भी अगर किसी सम्पत्ति या ज़मीन पर वह अधिकार करना चाहे तो इसकी उसको इज़ाजत हो । इससे एक चीज़ प्रतीत होती है । करीब १५ वर्ष में मध्यवर्ती सरकार के जो आफिसिस हैं, उन के लिए हम अभी तक भी इमारतें नहीं बना पाये हैं । पन्द्रह वर्ष तक बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े बड़े शहरों में हम खानगी लोगों की इमारतों का उपयोग करते रहे हैं । हो सकता है कि पन्द्रह वर्ष पहले जो किराया इन जायदादों के मालिकों को मिलता था, वही किराया उनको अब भी मिलता हो । कहने का मतलब यह नहीं है कि उनको किराया वही न दिया जाए या उसको बढ़ा दिया जाए । लेकिन एक चीज़ अवश्य कही जा सकती है कि पन्द्रह वर्ष में भी केन्द्रीय सरकार निज की इमारतों की व्यवस्था नहीं कर सकती है । यह उचित बात हुई है, ऐसा नहीं लगता है । फिर भी अब यह अपेक्षा की जा सकती है कि केन्द्रीय सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं की इमारतों की व्यवस्था कर सकेगी और फिर इस बिल की लाइफ को एक्सटेंड करने की नौबत नहीं आएगी ।

जहां यह बिल इमारतों के लिए या रेज़ीडेंशल परपज़िज़ के लिए मकानों को हस्तगत करने के लिए लाया गया है वहां जरूरत इस बात की भी थी कि जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, उनके लिए भी कोई योजना की जाती । ऐसी बस्तियां बसाने की योजना भी की जाती जहां पर वे लोग जा कर रह सकते जिनके पास कोई मकान नहीं हैं । कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने मांग की है कि जिन जिन लोगों के पास रिहायश के लिए घर नहीं हैं, जो कि सड़कों पर लाखों की तादाद में रह कर गुज़ारा करते हैं, कोई अन्य स्थान न होने की वजह से वहीं पर रात्रि गुज़ारते हैं जैसे बम्बई में उनके लिए कुछ योजना सरकार अपने हाथ में लेती और उनके लिए कुछ व्यवस्था करती तो अधिक अच्छा होता । यदि ऐसा किया जाता तो कुछ हमारा जो एक ध्येय है कि सब लोगों को कम से कम घर रहने को दिया जाए, उसकी कुछ हद तक पूर्ति हो सकती थी । इस ध्येय की पूर्ति के लिए यदि हम इस बिल का उपयोग करते और इसको एक बड़े पैमाने पर लाते तो अधिक अच्छा होता ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

[**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुईं ।]

श्री मेहरचन्द खन्ना : श्रीमती जी, इस बिल पर जो बहस हुई है उसको मैं दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं । एक तो यह है कि मेरे मंत्रालय की जो मकानात की पालिसी है इसके मुताल्लिक कुछ कहा गया और दूसरे इस बिल के मुताल्लिक भी कुछ थोड़ा सा कहा गया । जहां तक मकानों की पालिसी का ताल्लुक है, मैं सब भाइयों से सहमत हूं कि मकान बनने चाहियें, गरीब आदमियों को मकान मिलने चाहियें, देहातों में मकान तैयार होने चाहियें और जो शहरों में देहातों से आबादी आती है, अगर उसकी रोकथाम कर सकें तो हमें जरूर करनी चाहिये ।

थोड़े दिन हुए मैंने इस हाउस में कहा था कि जहां तक मेरी जनरल पालिसी का ताल्लुक है, हाउसिंग के मुताल्लिक, पहले प्लान में जो तमाम एलोकेशन हुआ उसका चौदह या सोलह परसेंट

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

एलोकेशन था, दूसरे प्लान में आठ रह गया और तीसरे प्लान में अब सात है। एमरजेंसी ने मेरे लिए एक और तकलीफ पैदा कर दी है। पिछले साल नेशनल डिवेलपमेंट काउंसिल ने सभी स्टेटों को यह लिख दिया कि एमरजेंसी के वक्त में हाउसिंग को जितनी भी नीचे की प्रायोरिटी दी जा सकती हो, दी जाए क्योंकि अगर इरिगेशन के लिए, बिजली के लिए, एग्रिकल्चर के लिए रुपया चाहिये या डिफेंस के मामले में चाहिये तो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जह दी जा सके। नतीजा यह हुआ कि पहले ही रुपया कम था, और भी कुछ कम हो गया।

मैंने प्लानिंग कमीशन से बात की और मैं प्लानिंग कमीशन के मेम्बर साहिबान से भी मिला हूं। मैं नन्दा जी से भी मिला था जब वह प्लानिंग कमिशन में काम करते थे। तब मैंने कुछ स्टेटों को लिखा कि हमें हाउसिंग के मुताल्लिक कुछ तवज्जह देनी चाहिये, और हमारे नये फाइनेन्स मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया है कि इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड्स को रोकने के लिए यह जरूरी बात है कि जो मकानात बन रहे हैं वे ज्यादा से ज्यादा तादाद में बनें। मैं समझता हूं कि शायद मकानों के बनाने में कुछ न कुछ तरक्की होगी और कुछ ज़ाफ़ा होगा।

स्लम्स के मुताल्लिक तो मैंने बहुत कुछ कहा जब कि स्लम्स बिल इस हाउस के सामने पेश था। झुग्गी झोपड़ी के मुताल्लिक भी मैंने बहुत कुछ कहा। इसी तरह ज़मीनों के एक्वायर करने, लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिये मकान बनाने के मुताल्लिक और जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके मुताल्लिक भी मैंने कहा था। परसों की बात है कि एक भाई ने मुझे लाबी में बतलाया कि वे शायद भिलाई गये थे और भिलाई में जाकर उन्हें बहुत अफ़सोस हुआ कि वर्कर्स के लिए एक कमरे के मकान हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता--दक्षिण पश्चिम) : प्रधान मंत्री के बोलने के बावजूद।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं उनसे वही कहना चाहता था जब उन्होंने मुझ से लाबी में कहा था। ठीक है, जो गरीब देश होता है उस में हम जब यह चाहते हैं कि इंडस्ट्री बढ़े और पब्लिक सेक्टर में बढ़े, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ें और वर्कर्स के लिये मकान भी हों तो ज़रा बजट का भी ख़याल करना पड़ता है। प्रधान मंत्री ने पहले भी कहा था, और उन्होंने यह डाइरेक्टिव दिया है कि आगे से एक कमरे के मकान कोई नहीं बनने चाहियें। अब एक कमरे के मकान नहीं बनेंगे, यह हम जानते हैं, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था, आप की ख़िदमत में, कि इस बिल का झुग्गी झोपड़ी का कोई सम्बन्ध नहीं, लेकिन ठाकुर साहब ने यह कहा था कि यहां से लोगों को उठा कर देहातों में ले जाया जाय, हालांकि इसका भी इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं। उन्होंने यह भी मेहरबानी कर दी कि वह ज़मीनें मुफ्त दे देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मगर जो काम है वह यह है कि जहां जहां सरकारी दफ्तर हैं चाहे वह कलकत्ते में हों, चाहे बम्बई में हों, चाहे मद्रास में हों, चाहे दिल्ली में और चाहे नागपुर या शिमले में हों, जहां जहां सरकारी दफ्तर हैं वहां से मुझे काम करना है। अगर हमें गवर्नमेंट चलाना है तो हम गवर्नमेंट सिर्फ उसी जगह से चला सकते हैं जहां हमारे दफ्तर मौजूद हैं। अगर हमारे काम के लिए हमें ज़रूरत हो किसी मकान की तो हमें उसको रिक्विज़िशन भी ज़रूर करना पड़ता है। सरकारी मुलाज़िमों के लिये जगह की ज़रूरत होती है तो उसके लिये भी हमें इन्तजाम करना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ की तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया कि सारे हिन्दुस्तान में इस वक्त सिर्फ ९०० प्रापर्टीज़ हैं जो कि हमने रिक्विज़िशन करके अपने पास रक्खी हैं। सिर्फ ९००। मैंने यह भी कहा था शुरू में कि मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूं कि अगर किसी की जायदाद आज से बीस वर्ष पहले ली गई हो तो उस पर हम अपना कब्जा रक्खें। मैं चाहता हूं कि उसको छोड़ दूं। मैंने यह भी कहा था कि अगर किसी को किराये की तकलीफ हो रही है तो जो

जायज़ केस मेरे सामने आता है मैं उसे भी देखूंगा । मैंने यह भी कहा था कि मैं कोई जायदाद एक्वायर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा इस बारे में यकीन है कि बजाय इसके कि मैं आज एक पुरानी जायदाद को एक्वायर करूं, मैं एक नई जायदाद क्यों न बना दूं । बजाय इसके कि मैं किराया देता जाऊं रु० या डेढ़ रु० पर स्क्वायर फुट, मैं दो या तीन वर्ष का उस जायदाद का किराया लगा कर अपनी जायदाद क्यों न बना लूं । मैंने यह आश्वासन भी दिलाया था कि जो कानून है उसे लागू रहना चाहिये, यह ठीक है, लेकिन मैं उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं करूंगा । मैं यह भी कह सकता हूं कि हमने जो पुरानी प्रापर्टीज़ ली हुई हैं उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा, लेकिन अगर हमें यह देखना है कि देश पर कल संकट आ सकता है, जैसा कि कल आया था, तो गवर्नमेंट के पास यह भी ताकत होनी चाहिये कि वह जायदाद को रिक्विज़िशन कर ले ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है, मंत्री महोदय के भाषण के समय कोरम होना जरूरी है ।

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बजाई जा रही है ..... अब कोरम है । माननीय मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रक्खें ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़रूरी बात है कि गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिये । अभी किसी भाई ने कहा था कि तुम बड़ा अत्याचार करते हो, लोगों पर ज़ुल्म करते हो, उनको मकानों से निकाल देते हो । मैंने न किसी पर अत्याचार किया और न किसी को मकान से निकाला ।

†**श्री रा० बरुआ** : ऐसा कहना हमेशा ठीक नहीं ।

श्री कछवाय (देवास) : सरकार की पुलिस ने किया है ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : ज़रा ठहरिये । माननीय सदस्य तकरीर करने के बाद बाहर चले गये थे । मैं दूसरी बात कह रहा था, जिसका उनको इल्म नहीं है ।

मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि हम जो भी मकान लेते हैं, रिक्विज़िशन करते हैं, वह मकान खाली होता है । अभी जब हम ने मकान लिये, जब कि हमारे मेहमान बाहर से आये थे, तो कोई ऐसा मकान नहीं लिया जो खाली नहीं पड़ा था । मैं ने मकान रिक्विज़िशन किया हो और रिक्विज़िशन करने के बाद किसी को निकाल दिया हो, यह बात है ही नहीं । हम तो मकान लेते हैं मालिक मकान से, और उस का मकान नहीं लेते जो कि खुद रह रहा हो या किसी अच्छे काम के लिये उस का इस्तेमाल कर रहा हो । अगर एक मकान ख़ाली है, तैयार हुआ है, किराये पर उसे देना है और हमें ज़रूरत है गवर्नमेंट के काम के लिये, और हम ने उसे ले लिया तो कौन सा अनर्थ किया । दूसरी बात यह है कि जो मकान हम आज कल किराये पर लेते हैं वे पुराने किराये पर नहीं हैं । हमें काफ़ी अच्छा किराया देना पड़ता है । जो भी मकान हमने लिये हैं अजकल दिल्ली में या कहीं और, उस का किराया हम को हिसाब से देना पड़ता है । अगर मैं थोड़ा दूं तो इस ऐक्ट के नीचे यह चीज मौजूद है जिस के तहत जिस का मकान हम लेना चाहते हैं वह अपील कर सकता है, अपनी चाराजोई कर सकता है । हां, जैसा मैं ने सुबह कहा था, मुमकिन है कि यह दुरुस्त हो कि जो मकान आज से बीस बर्स पहले लिये गये थे उनका किराया उस वक्त ठीक रहा हो लेकिन आज के हिसाब से उस का रिकाया कम हो या टैक्स बढ़ गया हो, कास्ट इंडैक्स बढ़ गया हो, मरम्मत का काम बढ़ गया हो, शायद उस के मुकाबले में वह चीज़ दुरुस्त न हो । मैं अर्ज़ कर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

रहा था कि जहां तक जनरल हाउसिंग पालिसी का ताल्लुक है, मैं आज उस में नहीं जाना चाहता। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है वह सिर्फ यह है कि छः बरस के लिये आप मुझे इजाज़त दें कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े पब्लिक परपज़ के लिये, गवर्नमेंट के लिये, तो मैं किसी मकान को रिक्विज़िशन कर सकूं। जैसा मैं ने कहा सिर्फ ६०० जायदादें हैं तमाम हिन्दुस्तान में जो कि हमने रिक्विज़िशन की हुई हैं और उन को भी हम ने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दिया है।

मैं खास कर त्यागी जी का बहुत मशकूर हूं। शर्मा जी तो बोल कर चले गये। दरहकीकत बात यह है कि शर्मा जी की तकरीर मेरी समझ में ही नहीं आई। शायद उन्होंने न बिल को पढ़ा है और न शायद उन्हें उस के पढ़ने की ज़रूरत है। यहां आ कर बोल दिया जो कि एक अमृतधारा है, चली चली, न चली न चली। लेकिन जहां तक त्यागी जी का ताल्लुक है, उन्होंने जो कुछ कहा, मुझ से या गवनमेंट से, एक कांग्रेसी होने की हैसियत से और इस से भी ज्यादा एक हिन्दुस्तान का असल मानों में नागरिक होने की हैसियत से, क्योंकि वे दिल रखते हैं और जो जी में आता है कह देते हैं, मैं उन का बहुत मश्कूर हूं। मैं त्यागी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं और हाउस को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उन की ज़बान पर है, गो आज से पहले भी वह मेरे दिमाग़ में था, वही मेरी ज़बान पर भी है। वह यह है कि यह दुरुस्त बात है कि जहां तक सरकारी कर्मचारियों का ताल्लुक है, खास तौर पर जो क्लास ३ और क्लास ४ के कर्मचारी हैं, यह बड़े अन्याय की बात है कि जितने बड़े अफसर हों, जितना बड़ा वज़ीर हो, वह सेक्रेटेरियट के नज़दीक रहे और जितना ही ग़रीब कर्मचारी हो वह उतनी ही दूर रहे। यह अच्छी बात नहीं है। मैं इसको मानता हूं। इसलिए मैं अब यह कह कर रहा हूं कि चाहे वह पंचकुंई रोड हो या मिन्टो रोड हो, जो भी एरिया है, उसके बारे में मेरी यह प्लान है, यह पलिसी है और यह प्रोग्राम है कि जो भी कर्मचारी वहां रहते हैं मैं उनमें से किसी को निकालूंगा नहीं। मैं ने अगर वह जमीन डेवेलप करनी है तो उसको डेवेलप करूंगा, मल्टी स्टोरीड कंस्ट्रक्शन करूंगा, और अगर उसके बाद कोई जमीन बच जाए तो उसका कोई और इस्तेमाल हो सकता है, चाहे अस्पताल के लिए, चाहे स्कूल के लिए और किसी और चीज के लिए। अब यह कहना है कि जो दूर चले गए हैं उनको वापस लाया जाए, यह तो मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन यह जरूर है कि जो क्लास ३ या क्लास ४ के कर्मचारी जो सेंट्रल दिल्ली में रह रहे हैं, वह जमीन मैं उनके लिए ही डेवेलप करूंगा और उस पर उनके लिए मकान बनवाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता---दक्षिण पश्चिम): और जिनको पहले ही निकाल दिया?

श्री मेहरचन्द खन्ना: मेरे आने से पहले जो कुछ हो चुका है वह मेरी जिम्मेवारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: अब इन्हीं जगहों से बहुत से लोगों को निकाला जा रहा है, क्या उनको वह जगह दी जाएगी?

श्री मेहरचन्द खन्ना: मेरे भाई को जो खबर मिलती है वह अक्सर गलत मिलती है। मैं ने इनसे करार किया है और मैं हाउस में उकरार करता हूं कि जिनको मैं ने पंचकुईं रोड से रामकृष्णपुरम भेजा है मैं ने उनको कहा है कि जब ये मकान बन जायेंगे उस वक्त अगर वे आना चाहें तो उनको पहला मौका मिलेगा और बाद में दूसरों को मौका दिया जाएगा। यही चीज मिन्टो रोड वालों के लिए है। मैं उनको हटाना नहीं चाहता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मैं यह चीज आपके मुंह से सुनना चाहता था।

श्री मेहरचन्द खन्ना : अब बाकी रहा यह सवाल कि कंस्ट्रक्शन सस्ता होना चाहिए। मैं इसे मंजूर करता हूं कि जरूर होना चाहिए और जितना रुपया भी बच सके वह हमारे फायदे के लिए होगा। मैं त्यागी जी की खिदमत में और हाउस की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं ने यह इन्तिजाम किया है कि हमारा काम दो तरह से होता है। एक तो सी० पी० डब्ल्यू डी० की मारफत होता है और दूसरे जो हमारी प्रिफैब हाउसिंग फैक्टरी है उसके जरिए करना चाहता हूं। जब मैं आया था उसका प्रोडक्शन ७० लाख के करीब था, आज उसका प्रोडक्शन १४० लाख हो गया है। और इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा सकता। इसमें १५-२० परसेंट कास्ट भी कम आती है और वक्त भी कम लगता है। तो मैं हाउस की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि दो तीन दिन हुए मैं ने एक चीफ़ इंजिनियर, एक आरकिटेक्ट और अपने मंत्रालय के एक और अफसर को यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका भेजा है। लेकिन मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के लिए यह कह देना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाद उनको रूस भेजा जाएगा, चैकोस्लावेकिया भेजा जाएगा और पोलैंड भेजा जाएगा यह देखने के लिए कि किस जगह से हमें अच्छी प्रिफैब हाउसिंग फैक्टरी मिल सकती है ताकि मैं उनको दिल्ली में, कलकत्ते में और बम्बई में लगा सकूं, जिससे कि हाउसिंग का प्राबलम हल हो सके।

तो मैं ने अभी कहा था कि हमारा शार्टेज करीब ७० या ७५ हजार मकानात के करीब है। मुझे उम्मीद तो यह है कि ६, ७, ८ या दस हजार मकान अगर हर साल बना सकूं तो पांच सात साल के अन्दर जो यह शार्टेज है वह पूरा हो जाएगा। इसी तरह से मेरी ख्वाहिश है कि मैं दफ्तरों के लिए भी जगह बनाऊं ताकि हमको किराए से इमारतें लेने की जरूरत न रहे और इस काम के लिए जो हम मकान एक्वायर या रिक्वीजीशन करते हैं उनकी जरूरत न रह जाए। वह चीज भी जल्दी पूरी हो जाएगी।

एक भाई ने यह सवाल उठाया कि तुम दफ्तरों को दिल्ली से बाहर ज्यादा तादाद में क्यों नहीं भेजते मैं ऐसा कर रहा हूं। कुछ दफ्तर बाहर गए हैं। शर्मा जी ने कहा कि डलहाउजी में दफ्तरों को भेज दिया जाए। क्या वह समझते हैं कि डलहौजी में दफ्तरों का काम हो सकता है। मैं ऐसा नहीं समझता। जहां सरकारी काम ठीक से हो सके वहां दफ्तरों को भेजा जा सकता है। आज हालत यह है कि कहीं भी मौजूं जगह नहीं मिलती। हमने शिमले में कुछ दफ्तर भेजे हैं। लेकिन वहां पंजाब सरकार को और हिमाचल सरकार को अपने दफ्तरों के लिए जगह की जरूरत है, हम भी वहां जगह के लिए चिल्ला रहे हैं। नागपुर भी भेजना चाहता था। मैं ने अपने अफसरों को तमाम स्टेट्स में भेजा और काफी कोशिश की कि मुझे अच्छी जगह मिल जाए लेकिन नहीं मिलती। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई अच्छी जगह मालूम हो जो कि मिल सकती हो, तो वह मुझे बतलाएं, मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह देखना होगा कि वहां से हमारी गवर्नमेंट का काम ठीक तरह से चल सकता है या नहीं। आखिर गवर्नमेंट दिल्ली में है। तो जो दफ्तर बाहर जायेंगे उनका सम्बन्ध होगा दिल्ली से, कलकत्ता से या बम्बई से। तो हमें इस काम के लिए सेंट्रल प्लेस चाहिए। यह बात नहीं है कि मुझे कोई खास प्यार हो गया है दिल्ली से या कलकत्ता से और बम्बई से। बाज साहबान ने कहा कि मुझे इन से प्यार हो गया है। लेकिन यह बात सही नहीं है। हमें तो काम करना है और उसके लिए हमें मौजूं जगह चाहिए।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे विश्वास है कि मुझे पांच सात सालों में सौ करोड़ रुपया मिल जाएगा और मुझे सी० पी० डब्ल्यू० डी० पर ऐतबार है। एक भाई ने कहा कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० तो बहुत खराब है। न तो यह कहना दुरुस्त होगा कि सी० पी० डब्ल्यू०

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

डी० में तमाम आदमी ईमानदार हैं और न यह कहा जा सकता है कि इसमें सब आदमी बेईमान हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहत हूं कि मारल वैल्यूज़ तो आपको भी देखनी पड़ेंगी और मुझे भी देखनी पड़ेंगी। एक भाई ने तो यहां तक कह दिया कि कोई आदमी दूध और लस्सी बेचता था, वह काग्रेस का मेम्बर था, आज ५० लाख रुपया उसके पास है। मैं नहीं जानता उनको कैसे इसका पता चल गया। ये तमाम चीज़ें हम रोज सुनते रहते हैं। मुझे इससे कोई ज्यादा डर नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि अगर मैं अपने अफसरों से दुरुस्त बरताव करूंगा तो अच्छा काम उनसे ले सकूंगा। जहां उनकी गलती होती है वहां मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी यह पालिसी है कि चाहे कोई अफसर कितना ही एफीसेंट हो और अच्छा हो लेकिन अगर उसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो मेरा कहना है कि उसे आगे एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और अगर किसी के खिलाफ कुछ साबित हो जाता है तो उसको जाना पड़ेगा।

मैं अर्ज करना चाहता हूं एक डेढ़ साल के अरसे में एक काम तो मैंने यह किया है कि मेरे जो एडीशनल चीफ इंजीनियर दिल्ली में बैठ कर काम करते थे, उनके लिये मैंने जोनलाइजेशन कर दिया है। और आज उन एडीशनल चीफ इंजीनियर्स में से एक नागपुर में है, एक कलकत्ता में है और एक पटना में है और वहां से काम हो रहा है। मैंने उन्हें रेसपांसिबिलिटी दी है और साथ ही पावर भी दी है ताकि वे काम कर सकें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह भी किया गया है कि ठेकेदारों के बिल जितने जल्द हो सकें तै किये जाएं जिससे कि कास्ट में जो फर्क पड़ता है वह कम हो। इसके अलावा जो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन है उसको भी मैं काम दे रहा हूं। भारत सेवक समाज भी हमारा काम कर रहा है।

श्री त्यागी : क्या भारत सेवक समाज टेंडर देता है या उसको वैसे ही काम दिया जाता है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : हम टेंडर इनवाइट करते हैं, वह भी टेंडर देते हैं, तो उनको काम दिया जाता है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : वह जो काम में देरी करते हैं उसके लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं उनके काम का जिम्मेवार नहीं हूं। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर में काम होगा तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स को काम देना होगा। और एक ही दिन में तो उनको एक्सपीरिएंस हो नहीं जाएगा।

श्री त्यागी : क्या वह खराब काम कर रहे हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इस बारे में किसी और वक्त बात करेंगे। आपको इसका जवाब तो नन्दा जी देंगे क्योंकि वह उनके भी नेता हैं। मैं तो ज्यादा जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जो थोड़ा सा मुझे तजरबा है उसकी बिना पर कहता हूं कि वह खराब काम नहीं कर रहे हैं और मुझे उनसे कोई खास गिला नहीं है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई दयानतदार आरगनाइजेशन है और शुरू में उससे कोई गलती होती है, तो उस गलती को नजरअन्दाज करना चाहिये और उनको

एनकरेज करना चाहिये । अगर पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन साहब मुझे एक नोट भेज दें तो मैं तमाम चीजें, जहां तक मेरे मंत्रालय का ताल्लुक है, उनको भेज दूंगा ।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि यह कहना कि सी०पी०डब्ल्यू०डी० अच्छा नहीं है सरीहन गलत है । आसाम में जो कुछ हुआ है मैं वहां की एक एक चीज़ जानता हूं और हाउस के सामने कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी के वक्त में हमें डिफेंस के मंत्रालय ने दस महीनों के अन्दर २५ करोड़ का काम दिया । यह वह काम है जो कि मेरे आपने काम से ज्यादा है और मैं हाउस को यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये मैं सी०पी०डब्ल्यू०डी० की सराहना कहना चाहता हूं कि ६ महीने या ७ महीने के अन्दर, इस एमरजेंसी पीरियड में, मैं उन कामों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई १२, १३ या १४ करोड़ का काम था, उस काम को इस मुहकमे ने ६-७ महीने के अन्दर पूरा कर दिया । अब उनको और भी काम करने को दिये जा रहे हैं । मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरे प्लांस तैयार हैं और रुपये की मुझे दिक्कत नहीं होगी । मैं यह कोशिश करूंगा और मेरी इस तरह की कोशिश है कि जो कंटीनुएस प्रोग्राम हो, और जो भी मकानों या दफ्तरों का काम बकाया रहता हो वह जल्द से जल्द पूरा कर लूं ।

मैं हर एक केस जो कि रिक्वीजीशन का है उस को देखने की कोशिश करूंगा । जिन केसेज़ में रिक्वीजीशन हुए काफी अर्सा हो चुका है उन को रिलीज़ करने की कोशिश करूंगा । अगर उन में कोई सरकारी मुलाज़िम रह रहा है तो उस को मैं कोई एक आलटरनेटिव जगह देने की कोशिश करूंगा । अगर वहा पर कोई सरकारी दफ्तर है तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां से दफ्तर को हटा कर किसी दूसरी जगह ले जाऊं । मेरा इरादा किसी की नाजायज़ तौर पर जायदाद वगैरह लेने का नहीं है न ही किराया काटने का है । मेरा इरादा किसी की प्राइवेट जायदाद को थोड़ी कीमत पर एक्वायर करने का नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर एक मकान उस का है और दूसरा मैं बनाऊं तो दो मकान बन जायेंगे । उसका वह मकान मैं एक्वायर करता हूं या रिक्वीज़ीशन करता हूं तो एक ही मकान रहता है । उस से मेरी प्राब्लम सौल्व नहीं होती है ।

जहां तक बिल के मुताल्लिक कहा गया है कि एक पूरा कम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाना चाहिए था तो मेरा आज उससे सम्बन्ध नहीं है । जो भी बिल बना है वह इस हाउस ने बनाया था । यह ठीक है कि १९५२ में वह लाया गया, १९५८ में फिर लाया गया लेकिन आज तो मैं सिर्फ इस हाउस से यह इजाज़त मांग रहा हूं कि मुझे इस के लिये ६ वर्ष की मियाद दो, ६ साल की इजाज़त दो ताकि इस की लाइफ बढ़ जाये । मैं यह कोशिश करूंगा कि इस में किसी के साथ अन्याय न हो किसी के साथ अनर्थ न हो जाये । मेरी यह कोशिश होगी कि जो रिक्वीजीशंड मकानात हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता देख कर रिलीज़ करूं । मैंने कुछ को छोड़ा भी है । अब अगर इस बारे में कहीं किराये को कोई तकलीफ होगी तो उसको भी मैं देखूंगा लेकिन हाउस को मैं यह एश्योरेंस नहीं दे सकता कि ४ महीने, ६ महीने या साल दो साल के अन्दर अन्दर मैं तमाम की तमाम जगह ओनर्स को रैस्टोर कर दूंगा और उनको रिलीज़ कर दूंगा या और कोई नई जगह व मकान वगैरह रिक्वीज़ीशन नहीं करूंगा । यह आश्वासन देना मेरे लिये नामुमकिन है क्योंकि मैं अभी से यह नहीं देख सकता कि आयन्दा क्या हालात पैदा होंगे । इन अल्फाज़ के साथ मैं हाउस से यह अपील करूंगा कि मेरा यह जो कंसिडिरेशन का मोशन है इस को मंजूर किया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं :—

"कि भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम १९५४ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय ।"

यह १९५५ में लागू किया गया था और जिन लोगों ने इस कानून को तोड़ा उन्हें सजायें दी गयीं । दिल्ली में २२ मामले हुए, और उन लोगों पर जो जुर्माना हुआ उसके फलस्वरूप कुछ रुपये एकत्रित हुए । ऐसा होने पर भी १९५९ में कुछ निर्माताओं ने जिनमें हमदर्द दवाखाना और साधना फार्मेस्यटिकल्स प्रमुख हैं । अब उन्होंने एक याचिका १९(१)(क) और १९(१)(च) और (छः) के अंतर्गत प्रस्तुत की है और अधिनियम के उपबन्ध को संविधान के मूलभूत अधिकारों के उपबन्ध के विपरीत बताया है । यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । सर्वोच्च न्यायालय ने इस सारे प्रश्न की गम्भीरता से जांच की है और अन्त में निर्णय किया कि इस अधिनियम के सामान्य उपबन्ध वैध हैं । उसका कहना था कि धारा (छ) और धारा ८ सन्तोषजनक नहीं हैं । उसमें संशोधन कर दिया

†मूल अंग्रेजी में

जाना चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि धारा ३(छ) कुछ अस्पष्ट है और इसके अन्तर्गत कार्यपालिका को बहुत अधिक अधिकार दिये गये हैं। जो अधिकार दिये गये हैं। वे रोगों, स्थितियों और व्यवस्था की सूची में सम्मिलित किये जाने का मामला सिद्धांत पर आधारित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा ८ भी मनमानी है अतः इसमें संशोधन किया जाना चाहिये। अतः हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रख कर ही इन धाराओं का संशोधन कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त गत कुछ बरसों के अनुभव के आधार पर हमारे विचार में भी कुछ संशोधन जरूरी थे उन्हें भी सम्मिलित कर लिया गया है। उद्देश्य तो यही है कि इन विज्ञापनो को पढ़ कर जो गड़बड़ की सम्भावना हो सकती है, उसे दूर कर दिया जाय। वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य अनुसूची में लिखित रोगों, स्थितियों और अवव्यवस्था के मामलों में विज्ञापन पढ़ कर आत्म चिकित्सा को रोकना है। हमारे देश में अधिकांश लोग निर्धन है और वे विज्ञापन पढ़ कर आत्म उपचार करना चाहते हैं। देश में नीम हकीमों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। आत्म चिकित्सा से यह खुद को ही बहुत हानि पहुंचाते हैं जिससे बाद में रोग का निराकरण बहुत ही कठिन हो जाता है। देश के अशिक्षित लोग इन मन्त्रों, कबचों अथवा जादू की अंगूठियों में उलझ जाता है। अतः हमने सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुसार धारा ३ (छ) में तो परिवर्तन किया ही है परन्तु अपने गत कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर कुछ और भी परिवर्तन किये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि सूची को बदलते समय हमें कुछ सिद्धांत निर्धारित कर देने चाहियें। इस लिये उसी आदेश के अनुसार यह परिवर्तन किये जा रहे हैं।

पुरानी धारा ८ बिल्कुल ही उड़ा दी गयी है। यह भी सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुसार ही है पहिले यह व्यवस्था थी कि किसी भी स्थान में घुस सरकार का कोई कर्मचारी आपत्तिजनक चीजों को उठा कर ला सकता था, पर अब जो व्यवस्था की गयी है उसके अनुसार केवल एक गजेटेड आफिसर ही दंडाधिकारी के आदेश से कहीं जा सकता है और आपत्तिजनक विज्ञापनो को अपने कब्जे में ले सकता है। उन विज्ञापनों को जब्त भी किया जा सकता है।

धारा ९(क) के अन्तर्गत इसे संज्ञेय अपराध मान लिया गया है। धारा १४ में कुछ छोटे छोटे संशोधन किये मये हैं। ये बचत उपबन्ध है। इस के अनुसार कोई भी चिकित्सा करने वाला जो रजिस्टर्ड हो, अपना विज्ञापन कर सकता है। चिकित्सा करने वालों में सभी तरह के लोग, डाक्टर, वैद्य और हकीम आ जायेंगे। सरकार भी अपने मलेरिया, चेचक इत्यादि नियंत्रण के कार्यक्रमों का विज्ञापन कर सकेगी, इस का उद्देश्य तो जनता की भलाई ही होता है। इसी प्रकार धारा १५ में, केन्द्रीय सरकार को छूट देने के अधिकार का उपबन्ध है। धारा ३, ४, ५ और को चालू करने की उस के बारे में आवश्यकता ही नहीं ; ये वे परिवर्तन जो किये जा रहे हैं, आशा है कि माननीय सदस्य इस का समर्थन करेंगे।

इन शब्दों से मैं यह विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वारियर** (त्रिपुरा) : यह विधेयक यद्यपि बड़ा सरल सा दिखाई देता है परन्तु वास्तव में यह बड़ा जटिल है। कुछ डाक्टरों और हकीमों को इससे बहुत ही हानि होगी जोकि जनता की काफी सेवा कर रहे हैं। इस के कार्यान्वित करने से जिन लोगों को कष्ट होगा, उन के लिए भी कुछ.

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

सोचा जाना चाहिये । मैं तो इस बात पर भी आश्चर्य करता हूं कि पहिले यह मूल अधिनियम भी कैसे पारित हो गए । यह ठीक है कि ब्रिटेन में ऐसा कानून है, परन्तु हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए । हमें अपने देश के हालात को देख कर चलना चाहिये ।

रोग कुछ गर्म क्षेत्रों के हैं और कुछ परम्परागत हैं । "एलोपैथिक" पद्धति के तरीके, विकास और प्रक्रिया आयुर्वेद से बिल्कुल भिन्न है । इस में सारा उत्तरदायित्व ही फार्मेसी का होता है । मेरा निवेदन है कि वर्तमान लोगों को यह काम नहीं सौंपा जाना चाहिये । मेरा सुझाव है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दो भाग कर दिये जायें और आयुर्वेद से सम्बन्धित सभी भागों की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ वैद्य पर डालनी चाहिये । एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि ऐलोपैथिक प्रणाली में प्रत्येक औषध निर्माण के अपने विशेष ढंग होते हैं, परन्तु आयुर्वेदिक प्रणाली में ऐसी कोई विशेष बात नहीं होती । उस में यह परीक्षा नहीं की जा सकती कि प्रत्येक औषध को पूर्ण रूप से निर्धारित ढंग से बनाया गया । और इस में पुराने तथा नवीन ग्रंथों के सभी तत्व हैं । वैसे चिकित्सक यदि चाहे तो कोई भी वस्तु अपनी मर्जी से छोड़ सकता है । वह नयी औषधि तैयार करने में स्वतंत्र है ।

कुछ आयुर्वेदिक औषधियों में ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं, वे बहुमूल्य होते हैं, जैसे कस्तूरी इत्यादि । सरकार यदि ऐसी व्यवस्था कर सके कि जिस के द्वारा लोगों को वे महंगी चीजें दे सके तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी । इस के साथ ही मैं इस बात का भी आग्रह करना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक औषधियों को सरकार की ओर से कम से कम उतना संरक्षण तो मिलना ही चाहिये जितना कि ऐलोपैथिक औषधियों को मिलता है । ताकि साधारण जनता इस का लाभ उठा सके । मैं यह निवेदन करूंगा कि दंड सम्बन्धी खंड इस के अन्तर्गत नहीं आना चाहिये ।

यह बात ठीक है कि तत्काल उपचार करने वाले औषध निस्सन्देह तत्काल आराम देते हैं । अब यदि सरकार हस्त रेखा देखने वालों और ज्योतिषियों को देश में घूमने की अनुमति दे सकती है तो इन तत्काल उपचार वाली औषधियों के प्रचार की अनुमति क्यों नहीं देती । मेरा यह अनुरोध है कि आयुर्वेद के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये ।

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बतलाया है कि इस बिल को लाने में उन का उद्देश्य यह था कि आज कल जो लोग अपना प्रचार कराते हैं अखबारों में विज्ञापन आदि दे कर, इस सम्बन्ध में जो बुराइयां होती हैं उन को दूर किया जाय । जो ओरिजिनल कानून सन् १९५४ में लागू हुआ, उस के लागू होने के बाद इस अर्से में जो वैधानिक कठिनाइयां आईं सिर्फ उन को ही दूर करने के लिए नहीं बल्कि वाकई जो मैजिक रेमेडीज़ वगैरह होती हैं, जोकि अभी भी चलती हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रही हैं, चूंकि उन को दूर नहीं किया जा सका इसलिए हम उम्मीद करते थे कि इस कानून के अन्दर उस के सम्बन्ध में अमेंडमेंट लाया जायेगा । अभी भी हमारे देश के बहुत बड़े इलाके में मैजिक रेमेडीज़ चलती हैं और यह एक बड़ा भारी गोरख धन्धा है कि असली दवा के इस्तेमाल करने में लोग रुकावट डालते हैं । उम्मीद थी कि इस ऐक्ट के अन्दर जो इस तरह के काम होते हैं, यानी मैजिक रेमेडीज़ वगैरह के, जिन के कारण लोगों को असली दवा नहीं मिल पाती है, उन के लिये लोगों को दंडित करने के वास्ते अमेंडमेंट लाया जायेगा । लेकिन ऐसा हुआ नहीं । इस में सिर्फ विज्ञापन से सम्बन्धित बातों के विषय में दिया हुआ है ।

हम यह भी उम्मीद करते थे कि इस में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की डेफ़िनिशन दी गई है, उस में कुछ इशारा होगा उन लोगों की तरफ जो कि देहातों में क्वैक डाक्टर्स हैं और उन की

कुछ मनाही होगी, लेकिन उस की तरफ़ भी इस में इशारा नहीं है। देहातों के सम्बन्ध में, इस तरह के कानून बनाने से ही काम नहीं चलता। जरूरत है कि लोगों को सस्ती दवायें मिलें। हमारे देहाती इलाकों में जो ब्लाक्स होते हैं वहां पर दवाओं का जो इन्तजाम है, उस में ख़ामी यह है कि कई जगह पर ब्लाक्स खुल गये, लेकिन डाक्टर नहीं मिलते, और यदि डाक्टर्स हैं भी तो वे हेल्थ सेन्टर्स में जा नहीं पाते हैं। नतीजा यह होता है कि दवा मौजूद होते हुए भी मिलती नहीं है। दूसरी ओर वहां पर जो कविराज और वैद्य आदि होते हैं वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं होते। कई राज्यों में तो ऐसा होता है कि कुछ रुपयों के दे देने से ही उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। हम यह भी उम्मीद करते थे कि इस अमेंडिंग बिल में कुछ ऐसा होता कि गलत तरीके से जहां पर रुपयों को खर्च कर के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं और गलत तरीके से दवा दारू होती है, उस की कुछ रोकथाम होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मेरी मिनिस्टर साहब से एक प्रार्थना है कि इस बिल को वे वापस लें और नये संशोधित रूप में ला कर जो भी खामियां हैं उन को दूर करने का इन्तजाम करें। ऐसा हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। वे इस समय इस बिल को वापस लें और नये संशोधन के साथ दुबारा लायें।

†**श्री श्यामलाल शर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जादू की दवाओं के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में यह एक अच्छा कदम है। विधि को समयानुकूल बनाने की आवश्यकता है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धतियों पर एक प्रकार के कानून लागू नहीं किये जा सकते। इन को एक ही विधि के अन्तर्गत लाया जा सकता है परन्तु यह इस तरह किया जाये कि उस विधि से इन में से किसी को हानि न पहुंचे। मैंने गत सत्र में यह प्रश्न उठाया था कि यूनानी तथा आयुर्वेदिक पद्धतियों को औषध नियंत्रण आदेश के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत न लाया जाये तथा इन को पथक् रखा जाये। मुझे उत्साहजनक उत्तर मिला था। यह ठीक ही होगा कि इन दोनों पद्धतियों के समूचे पहलुओं से सम्बद्ध एक विधि बनाई जाये तथा ये देश में सुचारू रूप से पनप सकें।

ये दोनों पद्धतियां देश के ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हैं। यूनानी तथा आयुर्वेदिक दवाइयां ऐलोपैथिक दवाइयों की तुलना में सस्ती होती हैं। तथा देश में उपलब्ध हैं। इन बातों को ध्यान में रख कर हमें ऐलोपैथिक पद्धति को आधुनिक बनाना चाहिये ताकि यह अन्य दोनों पद्धतियों के लिए सहायक सिद्ध हो।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है वह आज की परिस्थितियों को देखते हुए अत्यन्त आवश्यक है। आज देश में अशिक्षा और रूढ़ियों का बोलबाला है इसलिए इस बिल का लाना बहुत उपयुक्त है। देश में मैजिक रेमेडीज का प्रचार लोगों को बहुत खटकता है। हम देखते हैं कि जहां तहां आज टोना, मंतर, जन्तर के द्वारा साधारण लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यह स्वतंत्र भारत के लिए शोभा की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अमेंडमेंट लाना आवश्यक था। लेकिन ऐसा न हो कि जो लोग अच्छे वैद्यों से आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं या यूनानी इलाज कराते हैं उन को नुकसान पहुंचे। इस बात का ध्यान स्वास्थ्य मंत्रालय को रखना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि शिड्यूल को छोटा किया जा सकता है। इस में अभी बहुत एग्जास्टिव लिस्ट दी गई है, इस को छोटा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

एंट्री नम्बर १० में दिया है "डिज़ीज़ेज़ एंड डिसआर्डर्स आफ दी ब्रेन" और एन्ट्री नम्बर २१ में दिया है "इनसैनिटी"। एंट्री नम्बर ५४ में बहुत सी चीजों को एक साथ लिया गया है। उसी तरह एंट्री नम्बर दस और २१ को मिलाया जा सकता था और "डिज़ीज़ेज़ एंड डिसआर्डर्स आफ दि ब्रेन" के बाद ब्रेकिट में "इनसैनिटी" लिखा जा सकता था। इस से लिस्ट छोटी हो जाती। ठीक इसी तरह एंट्री १९ में फीवर इन जनरल दिए हैं और फिर निमोनिया और टाइफाइड फीवर अलग भी दिए हैं। इन तीनों को एक साथ मिलाया जा सकता था। इस तरह शिड्यूल छोटा हो सकता था। लेकिन फिर भी जो किया गया है सोच समझ कर किया गया होगा। हम लोग तो साधारण जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं तो समझता हूं कि यह सुन्दर काम किया गया है।

यह सही है कि आज लोग पैसा कमाने के लिए तरह तरह से एडवरटाइजमेंट कर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वे तरह तरह के पैम्फलैट निकालते हैं और साधारण औषधि को रामबाण औषधि बताने का प्रयास करते हैं। आज ऐसा करने की होड़ सी लगी हुई है। लोग एड्वरटाइजमेंट देख कर बहकावे में आ जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं। इन को रोकना चाहिये। लेकिन साथ ही जो हमारे देश में आयुर्वेद की परम्परा है उस की अच्छी औषधियों के प्रचार को नहीं रोकना चाहिये। जैसे अगर कोई तुलसी के पत्तों के बारे में शुद्ध भावना से कुछ लिखे तो वह इस के अन्तर्गत नहीं आना चाहिए, उस पर रोक न लगायी जाये। अगर कोई काम अच्छे मतलब से किया जाता है तो उस को एडवरटाइज़मेंट न समझा जाए।

आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पत्र और पत्रिकाएं हैं जो कहने को तो पत्र और पत्रिकाएं हैं लेकिन जिनके भीतर इस प्रकार की दवाओं के एगवरटाइजमेंट भरे रहते हैं। इन पर भी रोक लगनी चाहिए। जो रजिस्ट्रार पत्रों का रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको ऐसे पत्र पत्रिकाओं पर रोक लगाने की हिदायत देनी चाहिए। ऐसा न हो कि जो आप इस कानून द्वारा रोक लगाएं उससे बचने के लिए लोग इन पत्र पत्रिकाओं का आश्रय लेकर अपना काम करते रहें।

मैं फिर कहता हूं कि इस प्रकार का कानून लाना एक स्तुत्य कार्य है। यह क्वेकरी को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। जो लोग गलत विज्ञापन करके लोगों को ठगने का गन्दा रास्ता अपनाते हैं उस पर इससे रोक लगेगी। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस बिल को देखा तो मुझे प्रतीत हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग हुआ है उसी के परिणामस्वरूप यह बिल लाया गया है। इसके पहले भी फारमैस्यूटिकल एनक्वायरी कमेटी ने अपनी १९५४ की रिपोर्ट में भी इस प्रकार की सिफारिश की थी। उसने आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में एडवरटाइजमेंट के बारे में सिफारिश की थी।

इंगलैंड में, औषधियों तथा उपचार सम्बन्धी विज्ञापनों के बारे में एक ब्रिटिश प्रमाप संहिता है जो समाचारपत्र-मालिकों की मंत्रणा समिति द्वारा तैयार की जाती है। राष्ट्रीय समाचारपत्र ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं करते जो उस संहिता के अनुरूप न हों। वहां पर न्यूजपेपर्स के प्रोपराइटर्स हैं वे इस प्रकार की दवाओं के एडवरटाइजमेंट को प्रसिद्ध नहीं करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गांधी धाम, के निकट हुई रेलगाड़ी और बस की टक्कर

†**श्री यशपालसिंह** (कैराना) : श्रीमान्, मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

> "२५ नवम्बर, १९६३ को गांधीधाम, कच्छ के निकट एक रेल फाटक पर, जिस पर कोई चौकीदार नहीं था, हुई रेलगाड़ी और बस की टक्कर, जिसके फलस्वरूप कुछ व्यक्ति मारे गये और अन्य घायल हुए ।"

†**रलवे मंत्री (श्री दासप्पा)** : श्रीमान्, २५ नवम्बर, १९६३ को लगभग ८.५८ बजे सवेरे जब ६५ अप तेज यात्री गाड़ी, पश्चिम रेलवे के राधनपुर–गांधीधाम मीटर गेज सैक्शन पर, भीमसार से गांधीधाम जा रही थी इसका इंजन एक बिना चौकीदार के समपार द्वार संख्या २३६, जो १८२ मील पर है, पर हरी घास से भरे मोटर ट्रक से टकरा गया ।

इस टक्कर के परिणामस्वरूप ट्रक में बैठे दो व्यक्तियों—ट्रक के ड्राइवर तथा एक श्रमिक की मृत्यु हुई तथा तीन को चोटें आईं । आहत व्यक्तियों को रेलगाड़ी के गार्ड द्वारा प्रथमोपचार (फर्स्ट एड) के बाद उसी गाड़ी से गांधीधाम ले जाया गया तथा रेलवे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया । उनमें से एक १५-११-१९६३ की शाम को उसको आई चोटों के फलस्वरूप मर गया । अन्य दो व्यक्तियों की हालत संतोषजनक है ।

मृत तथा आहत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को सूचित कर दिया गया है ।

इस मामले की छानबीन हो रही है तथा जांच का आदेश दे दिया गया है ।

सड़क से रेलवे लाइन बिल्कुल साफ दिखाई देती है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां इस तरह की अनमैंड लेविल क्रौसिंग हैं, वहां पर सरकार को अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाने में कितना समय लगेगा और इस तरह से आये दिन ऐक्सीडेंट्स का होना और जनता की जानों को इस तरह से खत्म करने का काम कब तक बन्द हो जायेगा ?

†**श्री दासप्पा** : श्रीमान्, इन समपारों पर ओवरब्रिज या अंडरब्रिज का उपबन्ध करने के बारे में हमने एक सूत्र बनाया है जिसके आधार पर रेलवे प्रशासन लाइन के पार जाने के लिये पुल का उपबन्ध करता है । लाइन तक आने वाली सड़क का उपबन्ध सम्बन्धित प्राधिकारों को करना होता है—चाहे वह राज्य सरकार हो, या नगरपालिका हो या पंचायत बोर्ड हो, इत्यादि । नीति यह है कि जहां भी वे चाहते हैं हम ओवरब्रिज या अंडरब्रिज इस आधार पर दे सकते हैं ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के उपबन्ध के प्रश्न के अतिरिक्त, मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि बिना चौकीदार के फाटकों पर ये दुखद घटनायें प्रायः होती रहती हैं तो क्या सरकार अपने पहले निर्णय पर, कि कई हजार बिना चौकीदार की फाटकों पर चौकीदार की व्यवस्था नहीं की जायेगी, पुनर्विचार करने को तैयार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दासप्पा:** ये बिना चौकीदार के फाटक भारतीय रेलों पर ही नहीं है अपितु यह हर देश में विद्यमान हैं। मैं सभा को यह सूचना दूंगा कि लगभग १९,००० बिना चौकीदार वाले समपारों की तुलना में चौकीदार वाले फाटकों की संख्या १२,००० है।

हमने अब वे शर्तें काफी उदार कर दी हैं जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार या सम्बन्धित नगरपालिका या निगम अपना कोटा दे सकता है। पहले यह ५०/५० के आधार पर था, अर्थात्, उन्हें अनावर्ती व्यय का ५० प्रतिशत देना पड़ता था और आवर्ती व्यय का भी। परन्तु अब हमने यह कर दिया है कि यदि वे अनावर्ती व्यय के अपने अंश की अदायगी कर दें यह प्रत्येक समपार के लिये ५,००० रुपये के लगभग होना चाहिये तो फाटक पर चौकीदार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी। हमने अब यह निर्णय किया है।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर): क्या यह सच है कि राज्य सरकारों के इस बारे में अनेक अनुरोधों के बावजूद, भी कि भारी यातायात वाले बिना चौकीदार के फाटकों को ले लिया जाये, रेलवे अधिकारियों द्वारा ऐसे फाटकों पर पुलों के निर्माण को पूरा करने में बहुत विलम्ब किया जाता है?

†**श्री दासप्पा**: माननीय सदस्य किस ओर निर्देश कर र हैं। मैंने बता दिया है कि जहां तक फाटक पर पुलों के निर्माण का प्रश्न है, इस बारे में एक सूत्र बना दिया गया है।

श्री कछवाय (देवास): सन् १९६०, ६१, ६२, और ६३, में इस में औसतन कितने व्यक्ति मरे हैं, उन मरने वालों में कितने सरकारी कर्मचारी हैं, कितने गैर-सरकारी अथवा जनता के लोग हैं और प्रतिवर्ष कितना मुआविज़ा उन को शासन की ओर से दिया गया?

†**श्री दासप्पा**: इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री बड़े**: मंत्री महोदय ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपना कोटा नहीं देती हैं और रेलवे क्रौसिंग पर वे कोई आदमी नहीं रखती हैं तो इस के लिए क्या आपने राज्य सरकारों को बाध्य किया कि वहां इस तरह का वे कोई इंतज़ाम अवश्य करें, ताकि इस तरह के डेंजर से वहां पर लोगों को बचाया जा सके?

†**श्री दासप्पा**: यह एक सुविदित सिद्धान्त है। मैं नहीं समझता कि हमें एक विशेष सूचना निकालने की आवश्यकता है। हर कोई चौकीदार या बिना चौकीदार वाले फाटक की व्यवस्था के बारे में जानता है।

---

*दिल्ली में भारत के साम्यवादी दल के जलूस सम्बन्धी समाचार-चित्र

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम): यदि यह साम्यवादी दल और सरकार अथवा साम्यवादी दल और माननीय मंत्री के बीच झगड़े की बात होती तो मैं इसे चर्चा के लिए एक तुच्छ मामला समझता। परन्तु मैं उस दृष्टिकोण से इस प्रश्न को नहीं उठा रहा हूं। जहां तक साम्यवादी दल का सम्बन्ध है मुझे इसकी चिन्ता नहीं है कि समाचार-चित्र हमारे दल द्वारा निकाले गये जलूस को प्रदर्शित नहीं करता। मैं तो मंत्री महोदय का आभारी हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

उन्होंने साम्यवादी दल के जुलूस सम्बन्धी समाचार-चित्र को प्रदर्शन के लिए दे कर तथा फिर वापिस लेकर उस जुलूस के अधिक प्रचार को बढ़ावा दिया है।

मेरी आपत्ति यह है कि चूंकि समाचार-चित्र बनाने तथा प्रदर्शित करने का एक मात्र अधिकार सरकार को प्राप्त है तो क्या वह इसका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ही करना चाहती है। मैं इस चर्चा को यह प्रकाश में लाने के लिए उठा रहा हूं कि सरकार ने समाचार-चित्र ७८० को सिनेमाघरों को प्रदर्शन के लिए दिया और फिर लगभग एक सप्ताह के अन्दर कांग्रेस दल के प्रमुख सदस्यों के आग्रह पर उसे वापिस ले लिया। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री इतने जल्दी अपने दल के व्यक्तियों के दबाव में आ जाते हैं।

इस चित्र के वापिस लिये जाने पर काफी प्रतिक्रियायें हुई हैं। साम्यवादी दल के कट्टर विरोधियों ने भी सरकार की इस कार्यवाही की आलोचना की है। सरकार का प्रचार के एक शक्तिशाली माध्यम, जिस पर उसका एकमात्र एकाधिपत्य है, की ओर ऐसा रुख होना एक खतरनाक चिह्न है।

"हिन्दुस्तान टाइम्स" तथा "टाइम्स आफ इंडिया", जो कि अपने साम्यवाद-विरोधी विचारों के लिए सुप्रसिद्ध हैं, ने भी सरकार की इस कार्यवाही की कटु आलोचना की है।

मैंने वर्तमान सत्र के प्रथम दिन एक प्रश्न रखा था तथा उसका जो लिखित उत्तर दिया गया था वह, मेरी राय में, सभा की बुद्धिमत्ता के प्रति अपमान है। प्रश्न का भाग (ग) इस प्रकार था :

> "ऐसे समाचार-चित्रों के तैयार किये जाने के सिद्धान्त क्या हैं।" उसका उत्तर इस प्रकार था :
>
> ".....समाचार-चित्रों के सम्बन्ध में ये प्रतिबन्द लगाये गये हैं कि ऐसे राजनीतिक दलों की गतिविधियों की ओर ध्यान न दिया जाये जिनको एक अखिल भारतीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त न हो।"

मैं नहीं जानता कि यहां अखिल भारतीय दल से क्या अभिप्रेत है। यदि माननीय मंत्री चुनाव में चिह्नों के आवंटन से इसे जोड़ते हैं तो मेरा विश्वास है कि उसका विवादास्पद मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार तो केवल कांग्रेस ही एक अखिल भारतीय पार्टी है।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि समाचार-चित्रों को किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम अथा गतिविधियों का प्रसार नहीं करना चाहिये। परन्तु किसी भी सिनेमा जाने वाले को यह मालूम होगा कि समाचार-चित्र सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के दृश्यों से भरे रहते हैं। मुझे नहीं पता कि यह कैसे युक्ति संगत है।

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे जुलूसों इत्यादि के चित्रित किये जाने का स्वविवेक सरकार को प्राप्त है। यह सब से खतरनाक चीज़ है क्योंकि सरकार, इस बारे में किसी परिनियम या विधि के अभाव में, किसी भी ऐसे समाचार या घटना, जैसा कि उक्त मामले में किया गया है, को दबा सकती है जिस को कि वह अपनी नीति के प्रतिकूल समझती है। परन्तु इस पर भी सरकार नहीं जमी है। क्योंकि गत सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के अवसर पर, एक ओर से

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

जनसंघ तथा कुछ अन्य विरोधी दलों ने तथा दूसरी ओर से कांग्रेस दल ने जो प्रदर्शन किये थे, उनको समाचार-चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया था। अतः ये सब सिद्धान्त गढ़े गये हैं क्योंकि केवल भारतीय समाचार-चित्र संख्या ७८० के बारे में ही ऐसा अपूर्व कदम उठाया गया है।

सरकार द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह सर्वथा असंगत, तर्कहीन तथा सभा की बुद्धिमत्ता के प्रति अपमान है। इससे विचार के स्वातंत्र्य को खतरा है। अतः मैं चाहूंगा कि सरकार—इस बारे में, अपने दृष्टिकोण, नीति तथा भविष्य में उनका क्या करने का विचार है—इन सब बातों को सभा में स्पष्ट करेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तीन सदस्यों ने प्रश्न पूछने की सूचना दी है। श्री वासुदेवन नायर। वे उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : चूंकि वे प्रेस तथा सूचना की पूर्ण स्वतन्त्रता की बातें करते रहते हैं अतः क्या सरकार को यह जानकारी है कि इंगलैंड में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों पर भी चित्र तैयार किये जाते हैं और उन्हें इंगलैंड में तथा विश्व भर में दिखाया जाता है? क्या सरकार ने यह कार्यवाही इसलिए की वह इस ऐतिहासिक जुलूस पर चित्र नहीं बनने देना चाहती थी?

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : यह फिल्म दिखलाई गई यह तो सरकार की गलती थी और वापिस ले ली गई यह सरकार ने अपनी भूल का सुधार किया। मैं जानना चाहता हुं कि जिन्होंने इस फिल्म को लिया था और जिन अफसरान ने फिल्म को दिखाने की इजाजत दी थी, उन्हें क्या सजा दी गई?

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैंने विरोधी दल के अपने माननीय मित्र के भाषण को ध्यान से सुना है। मैं यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने छोटी सी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा है। उनकी बातों को सुनने के पश्चात् मुझे और विश्वास हो गया है कि हमने जो पग उठाया है वह ठीक ही था। मुझे खेद इसी बात का है कि हमने एक सप्ताह तक सारे भारत में इसके प्रदर्शन की अनुमति दी। हमने इसे २० तारीख को प्रदर्शन के लिए दिया। मैं उस सदस्य का आभारी हूं जिन्होंने मेरा ध्यान उस ओर दिलाया। इसलिये नहीं कि वे कांग्रेस पार्टी के थे। ऐसी चीजों की ओर ध्यान दिलाये जाने का हम स्वागत करेंगे चाहे वह ध्यान दिलाने वाला संसत्सदस्य हो या अन्य साधारण व्यक्ति जब हमारा ध्यान दिलाया गया तब तक यह बात हो चुकी थी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या गलत बात हुई थी?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : मेरे माननीय मित्र को पता है कि समाचार-चित्र एक सप्ताह तक प्रदर्शित किया जाता है और इस मामले में वह अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। हमने इसे इसलिये रोका था कि यह अन्य शहरों को न जाने पाये परन्तु उस समय तक कम से कम एक सौ सिनेमाघरों में यह पहले ही दिखलाई जा चुकी थी। मुझे खेद है कि मेरे विभाग की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब हमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया तब मैं तथा गृह-कार्य मंत्री दोनों इसे पर्दे पर देखने गये। उसे देखने के पश्चात् हमें यह स्पष्ट हो गया कि इस बारे में क्या करना चाहिये। साम्यवाद संबंधी प्रचार को बढ़ावा न देव के उद्देश्य से यह नहीं किया गया। वास्तव में, हमने इसकी अनुमति दे दी थी और आकाशवाणी द्वारा भी इस जुलुस के समाचार प्रसारित किये गये थे। जिस चीज बारे में हमें आपत्ति थी वह यह है, और यही अब तक हमारी प्रक्रिया भी रही है, अत : माननीय सदस्य के लिये ऐसा कहना उचित नहीं है कि ये सब बातें गढ़ी गई हैं और बाद के विचार हैं। जैसे मामले पहले के भी हुए हैं और समय-समय पर इस मंत्रालय द्वारा निदेश दिये गये हैं और कुछ निदेशक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं कि ऐसे मामलों में हमें क्या करना चाहिये।

जहां तक समाचार-चित्रों का प्रश्न है, समाचार-चित्र डिवीजन इन्हें तैयार करती है तथा इनमें समाचार योग्य सब महत्वपूर्ण मदें ली जाती हैं। राजनीतिक दलों के जुलूस सम्मेलन तथा अन्य बातों का उल्लेख करते हुए मेरे माननीय सदस्य ने कहा था कि उनकी पार्टी भी एक अखिल भारतीय पार्टी है। यह सही है। साम्यवादी दल भी अखिल भारतीय दलों में से एक है। अखिल भारतीय दलों में कांग्रेस, प्रजा समाजवादी, साम्यवादी, स्वतन्त्र, जनसंघ तथा समाजवादी दल सम्मिलित हैं। अतः इस आधार पर, हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि मेरे माननीय मित्र का दल, निस्सन्देह एक अखिल भारतीय दल है। परन्तु यह नियम कांग्रेस दल पर भी समान रूप से लागू होता है।

मेरे मानतीय मित्र को कांग्रेस दल तथा सरकार के बीच भेद रखना चाहिये। उन दोनों में सदैव अन्तर रहा है। उन दोनों के झंडों में भी अन्तर है। हम प्रचार की दृष्टि से कांग्रेस दल को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दगे। हमारी आपत्ति केवल एसे समाचारों पर है जिनका प्रचार की ओर झुकाव होता है। अन्य बातों पर हमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इसमें कटाक्ष क्या है ? आप के जुलूस पर भी समाचार-चित्र बना था।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं साफ साफ कहता हूं कोई भी छोटी से छोटी सरकार बढ़ा चढ़ा कर दिये गये तथ्यों पर आधारित प्रचार की आज्ञा नहीं देगी। यदि मेरे माननीय मित्र सदन के इस ओर होते तो जिस चीज की आज हम अनुमति दे रहे हैं वे उसके सौवें हिस्से की भी अनुमति न देते। इस लिये उनको यह कहना शोभा नही देता कि हम यह नहीं कर रहे हैं और वह नहीं कर रहे हैं।

हमने निश्चित रूप से कुछ सिद्धांत निर्धारित किये हैं।

"समाचार-चित्र ऐसी घटनाओं को चित्रित न करें अथवा उनको इस ढंग से पेश न करें जिससे :

(क) भारत सरकार के विदेशों से संबंध खराब हों ;

(ख) सरकार की धर्म निरपेक्षता अथवा मद्यनिषेध जैसी स्वीकृत नीतियों का विरोध हो" .....

ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमने समाचार-चित्रों से संबधित व्यक्तियों को सावधान रहने के लिये कहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आपने इनका मेरे प्रश्न के उत्तर में उल्लेख नहीं किया। आप इन्हें अब क्यों पढ़ रहे हैं।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : शायद आपने उन सबको ठीक से नहीं पढ़ा।

फिर :

"(ग) भाषा अथवा क्षेत्रों संबंधी भ्रम या अस्पृश्यता को बढ़ाता है".....

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : तब आपने ये नहीं दिये थे।

†**श्री सत्यनारायण सिन्हा** : कृपया संयम से काम लीजिए।

"(घ) जनता के विभिन्न वर्गों में फूट, वैमनस्यता, घृणा अथवा फूट उत्पन्न करता है".....

क्या मेरे मित्र यहां पर जनतन्त्र या स्वतन्त्रता के नाम पर इन विषयों पर समाचार चित्र (न्यूज रील) बनाने की अनुमति लेंगे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं समझता हूं कि आप इसे निवारक निरोध अधिनियम से पढ़ रहे हैं।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : निवारक निरोध अधिनियम में कोई अनुचित बात नहीं है। वह भी देश की सुरक्षा के लिये ही है, उसी प्रकार हम अपने हित के विरुद्ध समाचार चित्रों (न्यूज रील्स) से अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं देंगे।

फिर :

"(ङ) अव्यवस्था, हिंसा, विधि का उल्लंघन अथवा जनता की शान्ति में विघ्न पैदा करता है"।

हमने असत्य तथ्यों पर आधारित अतिरंजित प्रचार पर आपत्ति की है नहीं तो हम इसे नहीं रोक सकते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यदि यह वृतान्त है तो यह आन्तरिक विभाग का कार्य है। आपने इस पर अपने विभाग के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : हम ऐसा कर रहे हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : बताइये, इसमें असत्यता क्या है ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : वह वक्तव्य असत्य है जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शन में एक लाख लोग थे। कुछ समाचार-पत्रों ने इसे छापा होगा—में इसके बारे में नहीं जानता हूं। सरकारी अनुमान के अनुसार प्रदर्शन में तीस हजार लोग थे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : तीस हजार ही नहीं पचास हजार लोग थे।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : हम अपने विभाग को इस प्रकार के गलत प्रचार की अनुमति नहीं देंगे, चाहे वह कांग्रेस पार्टी के हित में ही क्यों न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

संबंधी समाचार-चित्र के बारे में आधे घंटे की चर्चा

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आपके प्रदर्शन में पचास हजार लोग शामिल थे।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : समाचार चित्र (न्यूज रील) में स्वतन्त्र पार्टी के सम्मेलन तथा अन्य विषय भी शामिल हैं। ऐसा करने का यह प्रथम अवसर नहीं है। (**अन्तर्बाधायें**)

स्वतन्त्र तथा अन्य पार्टियां, कांग्रेस पार्टी तथा सारी गैर-साम्यवादी पार्टियां इसमें शामिल थीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : फिर भी यह संख्या पचास हजार थी।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : साम्यवादी पार्टी को भी वही सुविधायें प्राप्त है जो दूसरी पार्टियों को दी जाती हैं। कांग्रेस पार्टी को भी सरकार द्वारा आपत्ति की जाने वाली कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति तथा दूसरे विषयों संबंधी समाचार चित्रों को लीजिये, ये केवल सूचना देती हैं। उनमें कोई बात अपनी ओर से बढ़ा चढ़ा कर नहीं कही जाती हैं। हमने बढ़ा-चढ़ाकर मिथ्या प्रचार करने पर आपत्ति की है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रदर्शन करने वालों की संख्या एक लाख थी इसलिये ऐसा कहा गया है।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : मेरे मानतीय मित्र ने कुछ समाचार पत्रों का उद्धरण दिया है। इस समाचार के लिये—यह उन्हें पता लगा होगा—, बम्बई की एक साप्ताहिक पत्रिका, जिसका लोगों में बहुत प्रचार है। अपने मुख पृष्ठ पर यह प्रकाशित किया है . . .

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या आपका आशय **करेन्ट** से है ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : जी हां, आप **टाइम्स आफ इंडिया** का उद्धरण दे रहे हैं। शायद आपके विचार से **करेन्ट, टाइम्स आफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स** तथा बिड़ला के अन्य समाचार पत्रों में थोड़ा ही अन्तर है। चाहे इसका कितना ही प्रचलन हो, इसके मुख पृष्ठ पर अत्यन्त महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित किया गया था और दुर्भाग्य से वह भी हमारे मंत्रालय के बारे में। मैं और मेरा मंत्रालय इसमें कुछ कर सकने में असमर्थ थे। साम्यवादी लोग हमारी आलोचना करते हैं तथा हमें दोषी ठहराते हैं। समाचार पत्र ने अपने मुख पृष्ठ पर यह समाचार छापा था कि : "यह मंत्रालय (सूचना और प्रसार मंत्रालय) जनता के लिये नहीं है वरन् साम्यवादियों के लिये है"।

†**श्री कपूर सिंह** : बिलकुल ठीक है।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : यह हानिकारक है।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : उन्होंने अपती बात के समर्थन में बहुत सी बातें कही हैं, उन्होंने सबसे अधिक महत्व इस समाचार चित्र को दिया है जिसकी हमने सात दिन उपेक्षा करने के बाद बनाने की अनुमति दे दी थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिये आप श्री कराका को अपती सद्भावना जताना चाहते है।

श्री सत्यनारायण सिंह : आप दूसरे समाचार पत्रों का उद्धरण क्यों दे रहे हैं। नहीं तो हम समाचारपत्रों के ऐसे समाचारों पर बहुत कम ध्यान देते हैं।

दूसरी बात की गई कार्यवाही के विषय में उठाई गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या दण्ड दिया गया है ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : दण्ड़ देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । हमने इस विषय में उन्हें स्पष्टीकरण देने को कहा था। उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है । हम इस पर विचार कर रहे हैं । बिना किसी परिणाम पर पहुंचे हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ।

मैं फिर कहता हूं जो कुछ भी हमने किया है वह उचित है और आगे के लिये भी यह हमारा मार्ग-दर्शक रहेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं एक तथ्यात्मक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री कहते हैं समाचार चित्रों के विषय में पहले निदेश दिये गये थे। क्या 'फिल्म सेन्सर बोर्ड' और फिल्म मंत्रणा समिति इन निदेशों के विषय में अनभिज्ञ थे ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : यह उनकी चूक थी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह हर व्यक्ति की चूक थी ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : कभी कभी ऐसा हो जाता है ।

†**श्री दो० चं० शर्मा** : क्या माननीय सदस्य सा ी प्रक्रिया जानते हैं ?

कार्य मन्त्रणा समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, बृहस्पतिवार, २८ नवम्बर, १९६३/७ अग्रहायण १८८५ (शक), तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २७ नवम्बर, १९६३

६ अग्रहायण, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		८६७—९३
तारांकित प्रश्न संख्या		
२११	भूतपूर्व मंत्री द्वारा सरकारी अभिलेखों का देखा जाना	८६७—७०
२१२	बरौनी तेलशोधक कारखाना	८७०—७१
२१४	हिमाचल प्रदेश की राजधानी का हटाया जाना	८७१—७३
२१५	भारतीय प्रशासन सेवा के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा	८७३—७४
२१६	जम्मू तथा काश्मीर का भारत से अग्रेतर एकीकरण	८७५—८३
२१७	तेल की खोज	८८३—८५
२१८	जापान में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	८८५—८७
२१९	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	८८७
२२०	स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति	८८८—९०
२२१	ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था	८९०—९२
२२२	अखिल भारतीय शिक्षा सेवा	८९२—९३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		८९३—९२७
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१३	राष्ट्रीय प्रयोगशाला जांच समिति	८९३
२२३	जाली पासपोर्ट	८९४
२२४	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिये कर्मचारी	८९४
२२५	पुलिस दलों में समन्वय	८९५
२२७	गैस का मूल्य	८९५
२२८	शारीरिक शिक्षा	८९६
२२९	प्रशासी पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति	८९६

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३१	तेल की खोज सम्बन्धी नीति	८९७
२३२	प्राथमिक शिक्षा	८९७–९८
२३३	व्यापार तथा उद्योग प्रबन्ध	८९८
२३४	मद्रास में तेल शोधक कारखाना	८९८–९९
२३५	प्रशासनिक सुधार आयोग	८९९
२३६	न्यायाधीश को हटाने के लिये विधान	८९९
२३७	पाकिस्तान से गैस	८९९–९००
२३८	अफगानिस्तान को भारतीय पुरातत्ववेता	९००
२३९	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का रक्षण	९०१
२४०	राष्ट्रीय प्रयोगशाला	९०१–०२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६१९	नई सार्वजनिक संस्थाओं के नाम	९०२–०३
६२०	आवास योजनाओं में गैर-सरकारी बस्ती बसाने वालों का सहयोग	९०३
६२१	इलाहाबाद उच्च-न्यायालय	९०३
६२२	मृत्यु दण्ड	९०३
६२३	बस्तर नरेश	९०४
६२५	आंध्र के कालिजों को अनुदान	९०४
६२६	पट्टकोट्टई में छिद्रण कार्य	९०४–०५
६२७	बडागरा (केरल) में जूनियर टेक्निकल स्कूल	९०५
६२८	उड़ीसा में पुस्तकालय स्कूल	९०५
६२९	उड़ीसा में सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी साहित्य	९०५–०६
६३०	"पेंकिंग रिव्यू" की प्रतियों का जब्त किया जाना	९०६
६३१	मंत्रियों का यात्रा भत्ता	९०६
६३३	दिल्ली में कैदी	९०७
६३४	दिल्ली में नये कालिज	९०७
६३५	कुवैत से अशोधित तेल का आयात	९०७–०८
६३७	अमरीका में एक भारतीय द्वारा इलेक्ट्रानिक आविष्कार	९०८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६३८ खेल कूद जांच समिति की रिपोर्ट ९०८
६३९ हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी समिति . . ९०९
६४० ग्राम्य शिक्षा ९०९
६४१ दिल्ली के न्यायालयों में लम्बित मामले . . . ९०९–९१०
६४२ दिल्ली में अंग्रेजों की प्रतिमा . . . ९१०
६४३ खनन सार्थों की तलाशी . ९१०
६४४ निकोबार में सुपारी के मूल्य ९११
६४५ पोर्ट ब्लेयर में सिविल जज . . . ९११
६४६ ि टिश विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी . ९१२
६४७ अन्दमान में उपभोक्ता सहका ि स्टोर . . ९१२
६४८ टापू संग्रहालय, श्रीरंगापटम् . . ९१२–१३
६४९ जापान के तेल की स्पात की नलियों की खरीद . ९१३
६५० दिल्ली के न्यायालय . ९१३–१४
६५१ औद्योगिक बन्ध संग्रह . . ९१४
६५२ दिल्ली में अश्लील साहित्य की बिक्री . . . ९१४
६५३ विदेशी छात्रवृत्तियां ९१४–१५
६५४ चीनी बन्दी . ९१५
६५५ दिल्ली पुलिस . . ९१५
६५६ मध्य प्रदेश में उर्दू विश्वविद्यालय . . ९१५
६५७ प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षा . ९१६
६५८ नयी अखिल भारतीय सेवायें . ९१६
६५९ फास्फेट और कार्बनेट के निक्षेप . ९१६–१७
६६० दिल्ली में मकानों का गिरना . . ९१७
६६१ आई० ए० एस० पदाधिकारी . . . ९१७–१८
६६२ रेडियो सक्रियता द्वारा तेल और अयस्क निक्षेपों का पता लगाना ९१८
६६३ सांस्कृतिक शिष्टमंडल . . ९१८
६६४ विकास खंड ९१९
६६५ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण ९१९
६६६ प्राथमिक शिक्षा के लिये अनुदान . . . ९१९–२०

विषय पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६६८	पिछड़ेपन की कसौटियां	६२०
६६९	मुख्य न्यायाधिपतियों का सम्मेलन	६२०
६७०	बच्चों के गांव	६२१
६७१	सेनेट्रो और सिंडीकेटों के लिये अध्यापकों का निर्वाचन	६२१
६७२	पंजाब के स्कूलों तथा कालिजों के लिये आडिटोरियम	६२२
६७३	अस्पृश्यता	६२३
६७५	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के बच्चों को रियायतें	६२३
६७६	पुस्तकालय विज्ञान संस्था, दिल्ली	६२३–२४
६७७	आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी पाठशालाएं	६२४
६७८	आदिवासी बोलियों में अनुसन्धान	६२४
६७९	अनुसूचित आदिम जातियां	६२४–२५
६८१	भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा	६२५
६८५	पटना उच्च न्यायालय	६२५
६८६	तेल समवाय	६२५
६८७	विश्वभारती विश्वविद्यालय की ग्रामीण संस्था	६२६
६८८	महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में प्राकृतिक संसाधन	६२६
६८९	महाराष्ट्र राज्य में आदिम जाति के व्यक्ति	६२६
६९०	मद्य निषेध प्रचार केन्द्र, दिल्ली	६२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ६२७—३४, ६८१–८२

(एक) श्री रंगा ने २२ नवम्बर, १९६३ को पुंछ के निकट हुई भारतीय वायुसेना के हेलीकोप्टर की दुर्घटना की ओर जिसके फलस्वरूप सशस्त्र सेनाओं के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों की मृत्यु हो गई, प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(दो) श्री हेम राज ने २२ नवम्बर, १९६३ को बनिहाल दर्रे के निकट हुई भारतीय वायुसेना के डकोटा विमान की दुर्घटना की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(तीन) श्री यशपाल सिंह २५ नवम्बर, १९६३ को गांधी धाम, कच्छ के निकट एक रेल के समपार पर, जिस पर कोई चौकीदार नहीं था, हुई रेलगाड़ी

विषय पृष्ठ

और बस की टक्कर की ओर, जिसके फलस्वरूप कुछ व्यक्ति मारे गये और अन्य घायल हुए, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया।

रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

सभापटल पर रखे गये पत्र ६३४--३५

(१) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १९ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७३१ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (पांचवां संशोधन) आदेश, १९६३।

(दो) दिनांक २५ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०५६ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (छठा संशोधन), आदेश, १९६३।

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक) डीजल ईंधन अन्त:क्षेपण उपकरण उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६३)।

(दो) दिनांक २५ नवम्बर, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या ८(२)—टार/६३।

(तीन) उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेज उक्त उपधारा में निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर क्यों नही रखे जा सके इसके कारण बताने वाला एक विवरण।

(३) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६१८ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (दसवां संशोधन) नियम, १९६३।

(दो) दिनांक ८ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७५९ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (ग्यारहवां संशोधन), आदेश, १९६३।

(४) रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, १९६२ की धारा ३४ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, दिनांक ५ अक्टूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २८४ में प्रकाशित रक्षित तथा सहायक वा. सेना एक्ट (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति।

विषय	पृष्ठ
विधेयक—पुरस्थापित	९३५–३६
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६१–६२	९३६—४५
वर्ष १९६१–६२ के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई। मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।	
विधेयक-पारित	९४६—७६
निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) ने प्रस्ताव किया कि अचल सम्पत्ति का, अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।	
विधेयक-विचाराधीन	९७६—८०
स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) ने प्रस्ताव किया कि भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्ति जनक विज्ञान) संशोधन विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
आधे घंटे की चर्चा	९८२—८८
श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दिल्ली में भारत के साम्यवादी दल के जलूस सम्बन्धी समाचार-चित्र के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २४ के १८ नवम्बर, १९६३ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।	
संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) ने चर्चा का उत्तर दिया।	
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	९८८
इक्कीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।	
गुरुवार, २८ नवम्बर, १९६३/७ अग्रहायण, १८८५ (शक) के लिए कार्यावलि	
भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्ति-जनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक पर अग्रेतर विचार तथा इसका पारित किया जाना और विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक, १९६३, विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३ और समवाय (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा इनका पारित किया जाना।	

GMGIPND—LS III—1621 (Ai) LS—31-12-63—150.

विषय सूची—(जारी)

	पृष्ठ
अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक–	९४६—७६
विचार करने का प्रस्ताव	९४६
श्री मेहरचन्द खन्ना	९४६—४९
श्री बड़े	९४९—५२
श्री त्यागी	९५२—५५
श्री वारियर	९५५–५६
श्री कुं० कृ० वर्मा	९५७—५९
श्री यशपाल सिंह	९५९—६२
श्री दी० चं० शर्मा	९६२–६३
श्री रा० बरुआ	९६३
श्री किशन पटनायक	९६३—६५
श्री कछवाय	९६५—६८
श्री नवल प्रभाकर	९६८–६९
श्री द्वारकादास मंत्री	९६९—७५
खंड २ तथा १	९७६
पारित करने का प्रस्ताव	९७६
भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक	९७६—८०
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	९७६
डा० द० स० राजू	९७६–७७
श्री वारियर	९७७–७८
श्री ह० च० सौय	९७८–७९
श्री श्यामलाल सर्राफ	९७९
श्री यमुना प्रसाद मंडल	९७९–८०
श्री बड़े	९८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	९८१–८२
गांधी धाम के निकट हुई रेलगाड़ी और बस की टक्कर	
दिल्ली में भारत के साम्यवादी दल के जलूस सम्बन्धी समाचार-चित्र के बारे में आधे घंटे की चर्चा	९८२—८८
श्री इन्द्रजीत गुप्त	९८२—८४
श्री सत्यनारायण सिंह	९८४—८८
कार्य मंत्रणा समिति	९८८
इक्कीसवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका	९८९—९४

P.L.S. 41. XXII. 8. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।